लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १९ अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६–अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बाढ़ की स्थिति . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र . . . १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन १६३

दैनिक संक्षेपिका १६४—८०

विषय पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . . १८१—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . . २०४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ ,से ३४३ . . . . . . २३८—३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . . ३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . . ३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३३१—३४

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ३३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३३४—७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८०—९१

अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . . ३९३—४१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . . ४१३—७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ . ४७३—५५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५५९—६५

चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . . ५६५

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पच्चासीवां प्रतिवेदन ५६५

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति . ५६६

तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि ५६६

समितियों के लिये निर्वाचन . . . . ५६६—६७

(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।

(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प . ५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . ५९४–६१३

खंड २ से २४ . ६१०–११

पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१९

दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८

अंक ४--गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८९, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६९६ ६९८–७५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५

आयकर विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५

विधेयक पुरःस्थापित--

(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८

खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९

पारित करने का प्रस्ताव ७५९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७

पारित करने का प्रस्ताव ७७७

प्रसूति लाभ विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ७७७–८५

विषय सूची

	पृष्ठ
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा .	७८५–९४
दैनिक संक्षेपिका	७९५–८०४
अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१	८०५–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ .	८३३–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ .	८५१–९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता .	९३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	९३९–४२
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश .	९४२
सिख गुरुद्वारा विधेयक—	९४२
राय	
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन . .	९४२–४३
सभा का कार्य	९४३
ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य .	९४३–४४
तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . .	९४४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	९४५
दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित . .	९४५
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	९४५–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	९७८
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	९७९–८६
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	९८६–९८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन . . .	९९८
दैनिक संक्षेपिका	९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३–६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१

अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ मे ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९२—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	१४९५—१५०२
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०२—१४

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १ . . .	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१९—२९
अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१ .	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक .	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३९—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित . . .	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६९—८०

अंक १०— शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . .	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, १४ अगस्त, १९६१

२३ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजाब में मतदान-पत्रों का छापा जाना

+

†*४३०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वाजपेयी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के जालंधर डिवीज़न में चुनावों के मतदान-पत्र दोनों लिपियों (देवनागरी और गुरुमुखी) तथा दोनों भाषाओं (हिन्दी और पंजाबी) में छपवाने के आदेश दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). पिछले सत्र में लोक-सभा में प्रश्न-काल में चर्चा के परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग ने, विशेष तौर पर, फैसला किया है कि पंजाब में अगले सामान्य निर्वाचन के लिये छापे जाने वाली सभी मतदान-पत्रों पर उम्मीदवारों के नाम देवनागरी और गुरुमुखी दोनों लिपियों में होंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि मतपत्रों के अतिरिक्त मतदाता सूचियां भी क्या दोनों भाषाओं और दोनों लिपियों में प्रकाशित होंगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि वे देवनागरी और गुरुमुखी दोनों लिपियों में हों तो मतपत्रों पर सभी बातें दोनों लिपियों में होंगी ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : मतदाता सूची ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : मतदाता सूची के बारे में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता सूची भी देवनागरी और गुरुमुखी दोनों लिपियों में प्रकाशित करने का फैसला किया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार उन क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों की प्रार्थना पर भी विचार करेगी कि ये उनकी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित की जायें, जहां लोग हिन्दी अथवा अंग्रेजी नहीं जानते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारे भारत में ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जी, हां । यह प्रमुख समस्या है । यह केवल जालंधर का ही प्रश्न नहीं है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : स्पष्टत: इस बारे में कोई सामान्य नियम नहीं हो सकता । यदि कोई ऐसी भाषायें हैं जो किसी क्षेत्र में खूब चल रही हैं और उस क्षेत्र के मतदाता मतपत्र और मतदाता सूची को उस क्षेत्र की राज्य भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त उन भाषाओं में भी छपवाना चाहें तो नि:सन्देह मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस पर विचार करेंगे क्योंकि समूचा सिद्धान्त मतदाताओं को अपने मत निर्बाध रूप से और उचित रूप से देने की अनुमति देने का है ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में मतदाता सूची तेलुगु में छापने की कोई व्यवस्था की है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह मैं नहीं कह सकता । यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती । परन्तु नि:सन्देह मुख्य निर्वाचन आयुक्त तेलुगु और तमिल को बराबर मानते हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : यह प्रश्न जालंधर डिवीज़न के बारे में है । हिन्दी प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है जहां ९० प्रतिशत जनता हिन्दी-भाषी है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : हमें प्रतिशतता की बात नहीं करनी चाहिये । जहां तक पंजाब का सवाल है, यह मतभेद का मामला है । परन्तु प्रतिशतता को न मानते हुए यह सिद्धान्त सभी प्रदेशों पर लागू होगा ताकि चाहे जो भी प्रदेश हो, ये चीज़ें गुरुमुखी और देवनागरी दोनों लिपियों में छापी जायेंगी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इस बारे में कोई आदेश जारी किये गये हैं कि नम्बर (संख्या) अन्तर्राष्ट्रीय तरीके से छापी जायेगी और देवनागरी तरीके से नहीं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य प्रश्न दोबारा पढ़ें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि संख्या अन्तर्राष्ट्रीय तरीके से छापी जायेगी अथवा हिन्दी लिपि में ।

†**श्री अ० कु० सेन** : सरकारी नीति यह है कि संख्या अन्तर्राष्ट्रीय तरीके से हो । परन्तु यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । इस बारे में मैं निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दे सकता परन्तु मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग इस बारे में सामान्य सरकारी नीति अपनायेगा ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इलैक्शन कमिशनर ने यह निर्णय किया है कि वोटर्ज़ लिस्ट्स को भी दोनों लिपियों के अन्दर वह प्रकाशित करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कुछ धनराशि भी अतिरिक्त नियत की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का तात्पर्य कुल व्यय की धनराशि से है । धनराशि वह अभिव्यक्ति है जो असानी से समझ में नहीं आती । निःसन्देह इसका ध्यान रखा जाता है परन्तु चाहे खर्च जो भी हो, सूचियों को दोनों लिपियों में छापने का फैसला किया गया है ।

इस्पात कारखानों के लिये कार्यपालक अधिकारी

†*४३१. **श्री हेम बरुआ** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखाने चलाने के लिए सक्षम कार्यपालक अधिकारियों के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई चुनाव करने तथा प्रशिक्षण और पुनरभ्यास पाठ्यक्रम संगठित करने का विचार है ; और

(ग) १९५९ और १९६० में इन इस्पात कारखानों के कितने कर्मचारियों ने इन पाठ्यक्रमों से लाभ उठाया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने, अपने सक्षम कार्यपालक अधिकारी बढ़ाने के ख्याल से एक प्रशिक्षण योजना लागू की है जिसके अनुसार नये अभ्यर्थियों को स्नातक प्रशिक्षार्थी (गैर-प्रविधिक) के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें प्रबन्ध में प्रशिक्षण किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त भारत में और विदेश में रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी गयी सुविधाओं का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड लाभ उठा रहा है ।

(ख) अब तक ७६ स्नातक प्रशिक्षार्थी भरती किये जा चुके हैं और इसके अतिरिक्त ५९ पदाधिकारियों को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिये भेजा गया है ।

(ग) वर्ष १९५९ और १९६० में प्रबन्ध में २८ पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

†**श्री हेम बरुआ** : अपने देश में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के अतिरिक्त कौन से अन्य देशों में कार्यपालक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की व्यवस्था है, अवधि क्या है और प्रशिक्षण का स्वरूप क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका मतलब सारे संसार से है । मैं नहीं समझता कि मैं इस प्रश्न की अनुमति दूं या नहीं । अन्य दिन, कुछ माननीय सदस्य अन्य देशों में चीनी के मूल्य आदि जानना चाहते थे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसमें से हमने किसी को विदेश नहीं भेजा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या अन्य देशों में भी ऐसी बातें हैं । प्रत्येक देश अपनी आवश्यकतानुसार चलता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि सक्षम कार्यपालक अधिकारियों के लिये विदेशों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है । अतः मैं जानना चाहता था कि वे देश कौन से हैं जहां इसकी व्यवस्था की गयी है । इसलिये मेरा अनुपूरक प्रश्न इससे उत्पन्न होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जब तक पृथक प्रश्न न पूछा जाये मैं जानकारी नहीं दे सकता। वह वे आंकड़े पूछ रहे हैं जो इस समय मेरे पास नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि वे देश कौन से हैं। वह आंकड़े नहीं चाहते।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय वह उत्तर देते हैं जिससे अन्य प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। यदि वह यह न कहते "विदेश भी" तो मैं उत्तर को अपूर्ण नहीं समझता। इससे कई बातें उत्पन्न होती हैं और फिर माननीय सदस्य उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं।

†**श्री कासलीवाल** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस लेख-माला की ओर आकृष्ट किया गया है कि इन तीनों इस्पात संयंत्रों में कार्यपालक अधिकारियों की बड़ी कमी है और क्या विदेशों में कार्यपालक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये कोई कार्यवाही की गयी है और क्या किसी विदेश ने, जहां इस्पात संयंत्र हैं, हमारे व्यक्तियों को वहां प्रशिक्षित करने से इन्कार कर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को ऐसे प्रश्न की पूर्वाशा थी और वह बतला चुके हैं कि इस सूची में से कोई भी व्यक्ति विदेश नहीं भेजा गया है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अब मैंने रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के बारे में कागजात देख लिये हैं और उनसे पता चला है कि प्रबन्ध में प्रशिक्षण के लिये यू० एस० एस० आर० स्टील वर्क्स और ब्रिटिश आइरन एण्ड स्टील फैडरेशन स्टाफ़ट्रेनिंग स्कूल, ब्रिटेन से लाभ उठाया गया है। रूस को २१ व्यक्ति और ब्रिटेन को ११ व्यक्ति भेजे गये।

जहां तक श्री कासलीवाल के प्रश्न का सम्बन्ध है, ये व्यक्ति प्रबन्ध प्रशिक्षण के लिये भर्ती किये गये थे और इन व्यक्तियों के अतिरिक्त भी अन्य पदाधिकारी, जो प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में प्रशासनिक कार्यों में लगे हैं---भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी और रेलवे और अन्य मंत्रालयों से कुछ कार्यकारी पदाधिकारी---चुने गये है और कुछ औद्योगिक प्रबन्ध पूल के व्यक्ति भी हैं। अतः प्राथमिक प्रावस्था में, जब हम बड़ी संख्या में, विभिन्न आय वर्ग के, लोगों को भरती नहीं कर सकते, तो हमें भरती के विभिन्न संसाधन अपनाने पड़ते हैं।

†**श्री च० द० पांडे** : इस बात को देखते हुए कि भविष्य में इन समवायों में बड़ी संख्या में व्यक्ति रखे जायेंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्योंकि वेतन अधिक है और संख्या बड़ी है, क्या सरकार एक विनियमित चुनाव बोर्ड अथवा लोक सेवा आयोग के जरिये भरती करने की संभावना पर विचार करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : विनियमित चुनाव बोर्ड हैं और भरती प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस बात के बावजूद भी कि वे प्रबन्ध-कार्य नहीं संभाल सकते, क्या बड़ी संख्या में अधिवार्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रबन्ध-कार्य कौन नहीं संभाल सकते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : अधिवार्षिक कर्मचारी, वे व्यक्ति जो रेलवे और अन्य कार्यालयों से सेवा-निवृत्त हुए हैं, भर्ती गिये जा रहे हैं । अपनी आयु के कारण वे इस कार्य को अच्छी तरह नहीं संभाल सकते ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है । यह सच है कि अनुभव और कार्य करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिवार्षिक व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जांच की है कि ये अधिवार्षिक कर्मचारी प्रबन्ध में कमी और अकुशलता के कारण हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ऐसा नहीं समझता ।

†**श्री महन्ती** : क्या यह सच है कि रूरकेला संयंत्र में बाद में रूरकेला इस्पात संयंत्र के कुछ विभागों को चलाने के लिये १४,५०० रुपये प्रति मास के वेतन पर कोई कई विदेशी प्रविधिज्ञों को रखा गया है । यदि हां, तो उन विभागों के लिये भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये पग क्यों नहीं उठाये गये ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : रूरकेला में और अन्य इस्पात संयंत्रों में कुछ विदेशी प्रशिक्षित प्रविधिज्ञ हैं जो विभिन्न यूनिटों के उत्पादन में सहायता कर रहे हैं--भिलाई में रूसी हैं, रूरकेला में अमरीकन और जर्मन हैं, दुर्गापुर में अंग्रेज हैं--और हमें यह बात स्वीकार कर ले नी चाहिये कि प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम से अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता और कुछ समय तक कुछ आवश्यक पदों पर हमें अनुभवी विदेशी प्रविधिज्ञ रखने पड़ेंगे ।

जहां तक वेतन-स्तर का सम्बन्ध है, विभिन्न व्यक्तियों को दी जा रही ठीक रकम का मुझे पता नहीं है परन्तु यह मानी हुई बात है कि हमारे वेतन-स्तर, अर्थात् आन्तरिक वेतन-स्तर उन देशों में वेतन-स्तरों के समान नहीं हैं और इसलिए हम इन कुछ प्रविधिक पदों पर व्यक्ति रखने के लिये तभी आकर्षित कर सकते हैं जब हम उनको वही वेतन दें जो उन्हें अपने देश में मिलता है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ।

†**श्री महन्ती** : यद्यपि हम विदेशी प्रविधिज्ञों पर वेतन और परिलब्धि के रूप में एक बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्पादन लक्ष्य के अनुसार क्यों नहीं है और विशेषत: रूरकेला इस्पात संयंत्र में इतनी खराबियां क्यों हुई हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह एक पृथक प्रश्न है । मुझे ब्यौरे में जाना पड़ेगा जिनमें से कुछ कई प्रश्नों के उत्तर में बताये जा चुके हैं ।

†**श्री हेडा** : अपनी बड़ी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि रिफ्रेशर पाठ्यक्रम पर बल देने के बजाय क्या भरती के समय किसी और विशेष पाठ्यक्रम को मान्यता दी जाती है ? भरती के समय क्या उपाय अथवा पूर्वोपाय किये जाते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : भरती के समय प्रतियोगी परीक्षायें की जाती हैं और जो व्यक्ति योग्य होते हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालयों में अच्छे अंक प्राप्त किये हैं उन्हें चुना जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि आज की तारीख तक मंत्री महोदय ने क्या समझा है कि कितने ट्रेन्ड आदमियों की कमी है और उस कमी की पूर्ति कितने दिनों के अन्दर वे कर लेंगे ताकि स्टील प्लांट्स ठीक से चलें ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कितने ट्रेन्ड आदमियों की कमी है यह कहना मुश्किल है । यह ठीक है कि जितने आदमी प्लांट में लगाने चाहियें वह तकरीबन जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद हैं । मगर फिर भी जिस्मानी तौर पर मौजूद होने से पूरे तजुर्बे वाले आदमी मिलने कठिन हैं । यही वजह है कि मैंने कहा है कि कुछ जरूरी जगहों पर दूसरे देशों के कारीगर जो कि तजुर्बा रखते हैं वहां रक्खे जा रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उनके स्थान पर अपने आदमी कब रखे जायेंगे । प्रश्न का यही उद्देश्य है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि हम इस्पात संयंत्रों में नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या से उन की संख्या की तुलना करें तो उन की संख्या बड़ी नहीं कही जा सकती क्योंकि कारखाने के संचालन विभाग में करीब १०,००० व क्ति हैं । जहां तक प्रशिक्षित व्यक्तियों का सम्बन्ध है, हमें यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह विदेशियों को नौकरी देने का प्रश्न नहीं है क्योंकि पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवी व्यक्ति मिलना आसान नहीं है और सामान्यतः विदेश ऐसे व्यक्तियों को छोड़ने में सकुचाते हैं । यहां पर अपेक्षित अनुभव वाले व्यक्ति भेजने के लिये दूसरों को मनाने में कुछ प्रयत्न करना पड़ता है । हमारी सामान्य नीति इन विदेशी प्रविधिज्ञों को यथासंभव शीघ्र छोड़ने की है । मैं इस का उत्तर नहीं दे सकता कि इस में कितना समय लगेगा, यह विभिन्न विभागों पर निर्भर है; परन्तु मैं समझता हूं कि हम एक से दो वर्ष के भीतर उन के स्थान पर अपने आदमी लगा सकेंगे ।

†**श्री हेडा** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या कार्यपालक अधिकारियों की भरती के लिये कोई प्रबन्ध प्रशासन पाठ्यक्रम अथवा ऐसे ही किसी विशेष पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जाती है । क्योंकि ये पाठ्यक्रम इस समय हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं हैं, क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और क्या वे ये पाठ्यक्रम लागू करने के लिये कुछ विश्वविद्यालयों से कह रहे हैं ताकि वहां से उचित कार्यपालक अधिकारी भरती किये जा सकें ?

†**सरादार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि कुछ प्रबन्ध पाठ्यक्रम चालू किये जा रहे हैं परन्तु हमारा सामान्य अनुभव यह है कि विश्वविद्यालयों से कुशल विद्यार्थी, यदि उन्हें छांटा जाये और प्रशिक्षण और प्राच्य पाठ्यक्रम दिये जायें, प्रशासन में अच्छे रहेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कितने कार्यपालक अधिकारी अब तक हैदराबाद स्थित प्रशासनिक कर्मचारी कालिज में प्रबन्ध प्रशिक्षण के लिये भेजे गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हैदराबाद में प्रशासनिक कर्मचारी कालिज में अब तक १४ व्यक्ति भेजे गये हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं । हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम एक ही प्रश्न में उलझ जाते हैं । हमें कुछ और प्रश्न भी समाप्त करने चाहियें । जो माननीय सदस्य प्रश्न रखते हैं, उन को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिले बिना ही जाना पड़ता है । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात के पास तेल

+

†*४३३. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कुन्हन :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री वाजपेयी :
श्री कालिका सिंह :
श्री क० उ० परमार :
श्री अरविन्द घोषाल :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री हेम बरुआ :
श्री साधन गुप्त :
डा० क० ब० मेनन :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद के करीब १५ मील दूर गुजरात की नयी राजधानी के लिये प्रस्थापित स्थान सरथा (गांधी-नगर) में तेल पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विश्लेषण का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). कलोल में, जो गुजरात की नयी राजधानी के लिये प्रस्तावित स्थान से कुछ दूर है, तेल पाया गया है। अभी विस्तृत रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है। परन्तु सामान्यतः यह तेल अंकलेश्वर में पाये गये तेल के समान है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वहां पर पाये गये तेल का गुणात्मक और परिमाणात्मक विश्लेषण करने में मंत्री महोदय को कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, जब तेल मिलता है, तो देश भर में विद्यमान प्रयोगशालाओं में उस के नमूने भेजे जाते हैं और कुछ सप्ताहों में हमें उन के परिणाम मिल जाते हैं। ये परिणाम रिकार्ड में रखे जाते हैं और परिशोधन का समय आने पर और तेल के और कुएं मिलने पर उन की फिर पुष्टि की जाती है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : गांधी-नगर स्थान से यह क्षेत्र कितनी दूरी पर है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कलोल का यह तेल क्षेत्र प्रस्तावित गांधी-नगर के ठीक नीचे है।

†**श्री खीमजी** : इस क्षेत्र में तेल के बारे में और ब्यौरा प्राप्त होने तक क्या भारत सरकार ने इस स्थान पर राजधानी बनाने का कार्य आरम्भ न करने के लिये गुजरात सरकार से कहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह तेल क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां गुजरात सरकार राजधानी बनाना चाहती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस समय छिद्रण द्वारा इस क्षेत्र का सीमांकन किया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि उस प्रदेश में राजधानी के लिये कितनी जगह दी जा सकती है। जब हम चार अथवा पांच कुंओं का अपना छिद्रण कार्यक्रम पूरा कर लेंगे, हम उन्हें बता देंगे कि राजधानी के लिये कौन सा क्षेत्र छोड़ा जा सकता है और छोड़ा जाना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरथा में पाये गये तेल में मोम की मात्रा अधिक है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे पता नहीं है। शायद वहां मोम की मात्रा अधिक नहीं है।

प्रतिरक्षा सैनिक कर्मचारियों के वेतनक्रम

+

†*४३४. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री गोरे :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सैनिक कर्मचारियों के संबंध में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें इस बीच कार्यान्वित की जा चुकी हैं; और

(ख) अफसर श्रेणियों के पदाधिकारियों को क्या वेतनक्रम दिये गये हैं और भारतीय पुलिस सेवा (आ० पी० एस०) तथा भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) को दिये गये वेतनक्रमों की तुलना में वे कम हैं या अधिक ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) द्वितीय वेतन आयोग के निर्देश पदों में प्रतिरक्षा सेवाओं के लड़ाकू तथा नामांकित गैर-लड़ाकू सैनिकों का उल्लेख नहीं था। परन्तु इन कर्मचारियों पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में विचार करने के लिये एक विभागीय वेतन समिति नियुक्त की गई थी। अब समिति की अधिकांश सिफारिशों को लागू कर दिया गया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]**

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिखाये गये आई० पी० एस० के वेतनक्रम वे हैं जो इस समय लागू हैं वे नहीं जो अब लागू किये जाने वाले हैं।

†**श्री भक्त दर्शन** : किस तिथि से रघुरामैया समिति की सिफारिशें वास्तव में लागू की गयी थीं ?

†**श्री रघुरामैया** : इस को दो भागों में बांटा जा सकता है। अफसरों से संबंधित सिफारिशें १ अप्रैल, १९६० से तथा सैनिकों से सम्बन्धित जुलाई, १९५९ से लागू की गई हैं।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या सभी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं अथवा यदि कोई बाकी है तो उस को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। कर्मचारियों के हित वाली स्थिति को हम ने वैसा ही बनाये रखा है और उन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता लगता है कि आई० ए० एस० अफसरों का अधिकतम वेतन-क्रम १८०० रुपये है जब कि सेना के अफसरों को १२०० रुपये दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि रघुरामैया समिति अथवा कोई अन्य विभागीय समिति दोनों अधिकतम वेतनक्रमों को समान बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री रघुरामैया** : समिति ने प्रथम श्रेणी के अफसरों के समान 'मेजर' के पद के वेतन क्रमों पर ही विचार किया है। १८०० रुपये वेतन क्रम विशेष है। प्रथम श्रेणी के अफसर का अधिकतम वेतम लगभग १२०० रुपये होता है। समिति की सिफारिशें इतने ही तक सीमित थीं। अब आई० पी० एस० के वेतन-क्रम अलग हैं। संभव है कि दिये जाने वाले वेतन क्रम इस से भी अधिक हों। यह एक अलग मामला है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अफसरों तथा सैनिकों के बारे में रघुरामैया समिति की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सिफारिशों की क्रियान्विति के बाद अधिकतम तथा न्यूनतम क्या लाभ हुआ ?

†**श्री रघुरामैया** : यह जानकारी सभा पटल पर रखी जा चुकी है। मैं इतना ही बता सकता हूं कि प्रतिरक्षा सेवाओं में अब अफसरों को आरम्भ में पहल वर्ष ४०० रुपये मिलते हैं तथा मेजर के पद तक अधिकतम १२०० रुपये मिलते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं अधिकतम तथा न्यूनतम लाभ जानना चाहता हूं। जैसे यदि पहले एक अफसर को ४०० रुपये थे तथा सिफारिशों की क्रियान्विति के बाद ४५० रुपये मिलने लगे तो उस को ५० रुपये का लाभ हुआ।

†**श्री रघुरामैया** : समान लाभ नहीं हुआ है। सातवें तथा चौदहवें वर्ष की सेवा वाले अफसरों को सब से अधिक लाभ हुआ है। परन्तु लाभ सभी को हुआ है। एक खुलासा विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। उस के आंकड़ों से तुलना की जा सकती है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या पारिश्रमिक के अतिरिक्त लैफ्टिनेंट से मेजर के पद वाले अफसरों को कुछ अतिरिक्त सुविधायें भी दी जा रही हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : वर्तमान भत्तों के अतिरिक्त, हम ने युद्धस्थलों पर काम करने वालों को अलग होने का भत्ता देना तय किया है। इस की सूचना पहले ही सभा में दी जा चुकी है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या अलग रहने का भत्ता कोई नई सुविधा है जो पहले नहीं दी गई थी।

†**श्री रघुरामैया** : पहले यह थी परन्तु हाल में ही इस को बन्द कर दिया गया था। अब हम ने इस को दूसरे रूप में पुनः चालू कर दिया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अफसरों के बच्चों को जो शिक्षा सुविधायें दी जाती हैं क्या वही सुविधायें जे० सी० ओ० के बच्चों को भी दी जा रही हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : कोई गलतफहमी मालूम होती है। वास्तव में जे० सी० ओ० को अधिक सुविधायें हैं। के० जी० तथा अन्य इसी प्रकार के स्कूलों में इनके बच्चों की फीस हम देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसा ही अफसरों के बच्चों के बारे में होता है। जे० सी० ओ० तथा सैनिकों के बच्चों को निर्धारित स्थिति में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार मालूम होता जाता है कि उनकी सुविधायें अधिक हैं।

अफसर स्वय भी फीस आदि देते हैं जब कि जे० सी० ओ० तथा सैनिक नहीं देते हैं। इस से स्टष्ट हो जाता है कि अफसरों को अन्य व्यक्तियों से अधिक विशेषाधिकार है परन्तु अफसर को अपने पास से अपनी सुविधाओं के लिये व्यय करना पड़ता है। शेष व्यक्तियों जैसे जे० सी० ओ० तथा सैनिकों के बारे में सरकार अनुपातिक रूप में ही व्यय कर सकती है।

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत

+

†*४३५. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के निकटवर्ती कुछ ऐतिहासिक स्थानों या ध्वंसावशेषों को आकर्षक रूप देने की दृष्टि से वहां मरम्मत का काम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐतिहासिक स्थान पर कितनी रकम खर्च की जाने वाली है;

(ग) क्या उनमें से किसी को पर्यटन केन्द्र बनाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या विशेष बातें होंगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). स्मारकों की मरम्मत भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण का मुख्य कार्य है तथा दिल्ली के स्मारकों को धन की उपलब्धता के अनुसार ठीक तरह से रखा जा रहा है। यह एक लगातार चलने वाला काम है इसलिए उनको आकर्षक रूप देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) और (घ). अधिकांश स्मारकों को विदेशी पर्यटक देखने आते हैं। पर्यटन विभाग इन स्मारकों पर पर्यटकों के लिए सुविधायें प्रस्तुत करते हैं जैसे पैवीलियन, जलपानगृह, आदि बनाना तथा पीने के पानी की व्यवस्था करना।

†**श्री राधा रमण** : जैसा कि उपमंत्री ने अभी बताया कि नियमित मरम्मत होती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार कुतब अथवा तुग़लकाबाद फोर्ट के निकट ठहरने का स्थान तथा ऐसी ही सुविधायें देने का है क्योंकि पर्यटक इन स्थानों पर बहुत आते हैं तथा चाहते हैं कि यह सुविधायें इन स्थानों पर हों।

†**डा० म० मो० दास** : दिल्ली के आस पास के पुरातत्वीय स्मारकों में पर्यटन विभाग का विचार निम्नलिखित सुधार करने का है :—

(क) कुतब पर जलपानगृह बनाया जा रहा है। विभागीय व्यय समेत इस पर २,३५,०० रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(ख) सूरज कुंड पर भी एक जलपानगृह बनाया जा रहा है।

(ग) सूरज कुंड पर छः पैवीलियन बन रहे हैं। जलपानगृह तथा पैवीलियनों पर १,८२,३७३ रुपये व्यय होने का अनुमान है। तुग़लकाबाद फोर्ट की कोठरियों को

†मूल अंग्रेजी में

१२,६०० रुपया व्यय करके विदेशियों के रहने योग्य बनाया गया है। पर्यटन विभाग ने यह सुधार किये हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार का विचार कुतब पर भी ऐसे ही सुधार करने का है क्योंकि पर्यटक पर्याप्त संख्या में वहां भी जाते हैं ।

†**डा० म० मो० दास** : मैंने अभी बताया कि कुतब पर एक जलपान गृह बनाया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

विदेशी मुद्रा नियम

+

†*४३६. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** यह सच है कि विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले बहुत तेजी से **बढ़** रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उल्लंघन की इस बाढ़ को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था है कि देश से निर्यात किये गये माल की पूरी पूरी कीमत व्यापारी लोग वसूल कर लें ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क)सीमा शुल्क, भूमि सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों और डायरैक्टोरेट आफ एनफोर्समेंट ने १९५९, १९६० तथा १९६१ (३० जून, १९६१ तक) विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने के निम्नलिखित मामले पकड़े :—

१९५९	५६९६
१९६०	७२८३
१९६१	५४३९
(जनवरी से जून)	

यह तो सच है कि पकड़े गये मामलों की संख्या बढ़ी है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उल्लंघन करने के मामलों की संख्या बढ़ गई है । इस समय पुराने मामलों की जांच हो रही है । कर्मचारी भी अधिक सतर्क हो गये हैं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २**]

(ग) जी हां । निर्यातकर्ताओं को निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित विनिमय नियंत्रण फार्म पर दिखानी पड़ती है । निर्यातकर्ताओं को यह आश्वासन देना होता है कि निर्यात की कुल लागत, निश्चित अवधि में स्वीकृत तौर पर भारत में वापस आ जायेगी । भारत का रिज़र्व बैंक इसका ध्यान रखता है कि निर्यातकर्ता निर्यात की लागत का धन भारत में वापस लायें । जो निर्यातकर्ता इस धन के बारे संतोषजनक रूप में नहीं बता पाते हैं उनको काली सूची में रख दिया जाता है और उनके मामले को अग्रेतर कायवाही के लिए एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट भेज दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि जो कदम उठाये गये हैं उनसे इसकी तादाद में कमी आई है या उनकी तादाद बढ़ी है ? आपने कहा कि सन् १९५९ में ५६९६, १९६० में ७२८३ और सन् १९६१ में जनवरी से जून तक ५४३९ फौरेन एक्सचेंज वाएलेशंस के डिटैक्ट किये गये तो फीगर्स से तो यह मालूम देता है कि इन केसेज़ में बढ़ोतरी हो रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी ऐसी बात नहीं है कि बल्कि जो यह केसेज़ पकड़ते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है । इसलिए स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़ रही है । इसका मतलब यह नहीं होता कि उनकी चोरी भी बढ़ रही है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मैं जानना चाहता हूं कि जो कदम उठाये गये हैं उनमें कभी किसी का प्रासीक्यूशन हुआ है, किसी को सज़ा भी हुई है कि नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : बहुत से केसेज़ में हुई हैं । सन् १९५७ के पहले तो हर मामला कोर्ट आफ ला में जाता था मगर उसमें बहुत देर होती थी । इसलिए ऐक्ट में यह व्यवस्था की गई कि जिसके मुताबिक हम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स करते हैं और उनमें जिन केसेज़ को हम बहुत संगीन समझते हैं उनको कोर्ट में ले जाया जाता है । ऐसे कुछ केसेज़ हैं जो कोर्ट में भी गये हैं ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : सजायें भी मिली हैं या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री अन्सार हरवानी को पुकार चुका हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या यह सच नहीं है कि विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक बड़े व्यापारी को पकड़ा गया था तथा सरकार ने उसको बड़ी उदारता से छोड़ दिया था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरे विचार से प्रश्न का अन्तिम भाग सही नहीं है । उनके साथ विधि के अनुसार कठोरता से व्यवहार किया गया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह बताया गया कि सीमा शुल्क अधिकारियों के जांच अधिकार बढ़ा दिये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार बढ़ा दिये गये हैं ? इनके बढ़ाने के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : विदेशी मुद्रा नियम अधिनियम के अधीन हमने विभिन्न स्थानों की स्थानीय सीमा शुल्क चौकियों को विदेशी मुद्रा भंग करने के मामलों की खोज करने के अधिकार दे दिये हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने के बारे में भारत केस्टेट बैंक के एक डायरैक्टर को रोका गया था ?

†श्री ब० रा० भगत : मैं बता चुका हूं कि ऐसा एक मामला था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इसके अतिरिक्त भारत के रिज़र्व बैंक के जोनल डायरैक्टर का भी मामला था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह इसके अतिरिक्त है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वह पुराना मामला था । स्टेट बैंक का एक निदेशक उस मामले से सम्बन्धित था । उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । हाल में ही रिज़र्व बैंक के एक भूतपूर्व डायरैक्टर का मामला था । हम इनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने तब पहले ही प्रश्न का पूरी तरह उत्तर क्यों नहीं दिया था ? प्रश्न के पूछे जाने तक माननीय मत्री को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । क्या और भी मामले हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : परन्तु यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मामले क्या हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे खेद है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था । माननीय सदस्य ने स्टेट बैंक के डायरैक्टर का पूछा, मैंने 'हां' में उत्तर दे दिया । अब रिज़र्व बक के डायरैक्टर का प्रश्न पूछा गया, मैंने पुनः 'हां' कह दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें जो भी जानकारी हो सभी यहां बतानी चाहिए । क्या रिज़र्व बैंक तथा स्टेट बैंक से सम्बन्धित डायरैक्टर जो इन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, का इन मुद्रा के उल्लंघनों से सम्बन्ध है ? प्रश्न यही तो है ।

श्री अ० मु० तारिक : अभी पिछले हफ्ते बम्बई में हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कम्पनी के डाइरैक्टर इस जुर्म में पकड़े गये और उनके कोट में काफी डाइमंड्स सिले हुए पाये गये, मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन डाइरैक्टर थे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है और उनके पास से कितनी मालियत के डाइमंड्स बरामद किये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मौजूदा सवाल फौरेन एक्सचेंज रूल्स के मुताल्लिक है । अब माननीय सदस्य उसके लिए अगर अलग से सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा ।

श्री अ० मु० तारिक : उनके पास से फौरेन करेंसी, डाइमंड्स और दूसरी बहुत सी चीजें निकली हैं.....

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य इसके वास्ते अलग से सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : कितने मामले पकड़े गये हैं । इनसे कितना धन संबंधित था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : विवरण में बताया गया है कि उपयुक्त मामलों में अभियोग लगा दिए गए हैं जिससे कठोर दण्ड दिया जा सके । कितना अधिकतम जुर्माना किया गया है तथा दण्ड दिया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : एक उद्योगपति पर ५५ लाख रुपये का जुर्माना किया गया था जिसको अपील पर ५ लाख रुपया कर दिया गया । मेरे विचार से मामला उच्चतम न्यायालय तक गया था ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय मंत्री सभी ब्योरे जानते होंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको इन्हीं परिस्थितियों में पकड़े गये एल आइ सी के डायरैक्टर के बारे में कोई जानकारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक का डायरैक्टर तथा एल आइ सी का डायरैक्टर एक ही व्यक्ति है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : अध्यक्ष महोदय यह तो स्पष्ट है कि वह एक ही व्यक्ति है । परन्तु क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**श्री ब० रा० भगत** : उसके खिलाफ अभियोग लगा दिया गया है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या उनको इसके बारे में कोई जानकारी है तथा यदि हां, तो क्या जानकारी है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यदि अलग से प्रश्न पूछा जाये तो मैं बता सकता हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या जांच होने तक डायरैक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के प्रश्न पूछ कर हम मुख्य प्रश्न से भटक जाते हैं । उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मामलों की संख्या बता दी है । क्या माननीय सदस्य, जो स्वयं मंत्री थे, आशा करते हैं कि सभी मामलों के ब्योरे हमेशा याद रखें ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैंने कहा है कि मंत्री से यह आशा की जाती है कि विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर उसके बारे में पूरी जानकारी रखें । वह जानते हैं कि भारत के राज्य बैंक तथा एल आइ सी का डायरैक्टर एक ही व्यक्ति है । उनको पूरी जानकारी है और मेरा निवेदन है कि सभा को यह अधिकार है कि वह उनसे पूरी जानकारी हासिल करे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं । परन्तु जब वह स्वयं मंत्री थे, मैंने तबभी ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी थी ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : वह हमें जानकारी तो बता ही सकते हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : संभव है मैं एक दक्ष मंत्री सिद्ध न हुआ हूं . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : एक बड़ा ही अच्छा सामान्य सा प्रश्न पूछा गया कि क्या विदेशी मुद्रा का उल्लंघन बढ़ रहा है अथवा नहीं । माननीय मंत्री ने बताया कि कोई वृद्धि नहीं है । मैंने अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी और एक प्रश्न यह पूछा गया कि क्योंकि माननीय मंत्री द्वारा बताई गई संख्या बहुत अधिक है तो क्या ऐसे मामले बढ़ रहे हैं । मंत्री ने उत्तर दिया कि मामले बढ़ नहीं रहे हैं अपितु यह संख्या मामले पकड़ने वालों की बुद्धिमत्ता तथा प्रवीणता के कारण है । मैं प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न को समझ रहा हूं और पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि इस प्रश्न का पूरी तरह उत्तर दे दिया गया है । यदि कोई माननीय सदस्य किसी विशेष प्रश्न के बारे में ब्योरे पूछना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से उन्हें प्रश्न पूछने दूंगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और समझा जाता है कि माननीय मंत्री प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हो कर आए होंगे । यदि उत्तर पूरा नहीं होगा तो मैं और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय महिला परिषद्

+

*४३७. श्री खुशवक्त राय :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरजू पांडेय :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री खाडिलकर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् के लिए नियत की गई राशि बहुत घटा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप से नियत की गई राशि क्या है ;

(ग) प्रतिवर्ष कितनी धन राशि दी जायेगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि दी गई थी ; और

(घ) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में नियत राशि में से प्रस्तावित कटौती करने के कारण परिषद् की सभापति ने त्यागपत्र दे दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् एक सलाहकार संस्था है जो सरकार को लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा के मामलों में सलाह देती है और इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) अपने त्यागपत्र में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम के लिए अपर्याप्त साधनों की स्थिति में राष्ट्रीय समिति के आरंभ से अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है जब कि शिक्षा मंत्रालय ने भी परिषद् का समर्थन किया था। इन परिस्थितियों में उन्होंने समझा कि उनका सभापति बना रहना व्यर्थ है। यह भी बताया जा सकता है कि तीसरी योजना में सामान्य शिक्षा के लिए ४०८ करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से लगभग १७५ करोड़ रुपये लड़कियों की शिक्षा पर व्यय होंगे और इसमें से भी ११४ करोड़ रुपये लड़कियों की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर व्यय होंगे। लड़कियों की शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम में विशेष योजनाओं के लिए राज्य आयोजनों में भी ११ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना में इन विशेष योजनाओं के लिए २.१४ करोड़ रुपये रखे गये थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्पष्टत: निश्चित कर दिया गया है कि ६–११ आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा देने का कार्यक्रम इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि सभी राज्यों में इसको सफलता-पूर्वक लागू करने के लिए वित्तीय बाधायें नहीं आने दी जायेंगी।

श्री खुशवक्त राय : वक्तव्य के देखने से यह मालूम पड़ता है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देती है, मैं जानना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस तरह के शिक्षा के विशेष कार्यक्रम के लिए कितना रुपया रखने की सिफारिश इस कौंसिल ने की थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विवरण में पूरी जानकारी है ।

श्री खुशवक्त राय : इसमें यह नहीं दिया है । एलौकेशन कितना हुआ है यह दिया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि नेशनल कौंसिल ने कितना रुपया रखने की सिफारिश की थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जब इस योजना पर विचार हो रहा था उस समय राष्ट्रीय परिषद् ने केन्द्रीय कार्यकारी वर्ग से सिफारिश की थी। मैं इसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूं कि इसको कई क्रम से गुजरना पड़ता है। केन्द्रीय कार्यकारी वर्ग ने परिषद् की सिफारिश स्वीकार कर ली। ९८० करोड़ रुपये की तीसरी योजना के प्रारूप में ९४.८५ करोड़ रुपये का उपबन्ध शामिल कर लिया गया। यह शिक्षा पर कुल व्यय का लगभग १० प्रतिशत था। परन्तु जैसा कि सभा जानती है कि समस्त योजना की राशि कम कर दी गई थी और इसीलिए शिक्षा में भी कटौती कर दी गई और धनराशि ३७० करोड़ रुपये कर दी गई। लक्ष्यों में भी परिवर्तन कर दिया गया। मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र के लिए १७.५८ करोड़ रुपये तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में रखने का प्रस्ताव किया। श्रीमती देशमुख ने अपने त्यागपत्र में उल्लेख किया है शिक्षा मंत्रालय ने उनका पूरा समर्थन किया है। जितना मैं समझा हूं उसके अनुसार मैं समझता हूं कि उनको संभवतया मुख्य आपत्ति राज्यों की विशेष योजनाओं को ११ करोड़ रुपये देने पर है और वह चाहती है कि यह धनराशि भी केन्द्रीय क्षेत्र को ही दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस मामले पर भी पूरी तरह चर्चा हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियां बांट दी हैं। केवल शिक्षा के मामले में ही नहीं अपितु अन्य मामलों में भी यह ठीक समझा गया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी वाले कामों के लिए राज्यों को ही धन दिया जाये। शिक्षा के विकास में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। श्रीमती देशमुख को यह शंका थी कि यदि राज्य क्षेत्र में धन दे दिया गया तो योजनायें पूरी नहीं होंगी। इस संबंध में मैं सभा को आश्वासन देना चाहता

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि समस्त योजना में लड़कियों की शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और भारत सरकार कार्यक्रम के हितों का ध्यान रखेगी। हम प्रत्येक वर्ष योजना की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे और आवश्यक समायोजन करेंगे जिससे योजना में निर्धारित लड़कियों की शिक्षा की ठीक प्रगति होती रहे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सभी जानते हैं कि लड़कियों तथा लड़कों की शिक्षा के बीच बड़ा अन्तर है। मैं समझती हूं कि यह अनुपात ३३ : १०० है अर्थात् १०० लड़के यदि स्कूल जाते हैं तो केवल ३३ लड़कियां स्कूल जा पाती हैं। लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति के प्रतिवेदन में मुख्य बात यह है कि केन्द्र तथा राज्यों में विशेष उत्साहजनक योजनायें होनी चाहिएं। अभी जो नये आंकड़े बताये गये हैं उनके आधार पर मैं जानना चाहती हूं कि जब पहले प्रारूप में सामान्य बजट में १० प्रतिशत आवंटित किये गये थे तो कमी करते समय भी १० प्रतिशत ही कमी क्यों नहीं की गई थी और ३७० करोड़ रुपये के क्यों कर दिये गये थे ? मूलत: केवल १७ करोड़ रुपये उपलब्ध थे। शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के लिए १७.५८ करोड़ रुपये मांगे थे। अब केन्द्र की योजनाओं के लिए तो आवंटन बढ़ा दिया गया है परन्तु लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं रखा गया है और राज्यों के लिए ११ करोड़ रुपये निर्धारित कर दिये गये है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं समझता हूं कि मैं प्रश्न का पूरी तरह उत्तर दे चुका हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सामान्य नीति के प्रश्न पर विचार किया था। सामान्यत: यह मत व्यक्त किया गया था क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी राज्यों पर है इसलिए विशेष योजनायें राज्य क्षेत्रों में जानी चाहिएं। इसीलिये ११ करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में रखे गये थे। इससे विकास कार्यक्रम में कोई अन्तर नहीं आयेगा। मैं सभा को आश्वासन दे चुका हूं कि शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष योजनाओं की प्रगति का ध्यान रखेगा। यदि माननीय सदस्य योजना को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि योजना में विशेषतया लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि बड़ा अन्तर है और इस अन्तर को पूरा करने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। राज्यों के लिए विशेष योजनायें बनाई गई हैं। मेरे विचार से वो श्रीमती देशमुख इन योजनाओं को केन्द्र क्षेत्र में रखना चाहती थीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : राज्य सरकारों की मूल योजना में राज्य सरकारों ने भी कुछ आवंटन किये थे। केन्द्र ने अचानक ही तो आवंटन नहीं कर दिये थे। राज्यों ने इस वर्ष स्वयं अपनी योजनाओं के प्रारूप में १८.१९ करोड़ रुपये आवंटित किये थे। अब इनको कम करके ११ करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि राज्यों की योजनाओं को क्यों कम कर दिया गया है और केन्द्रीय योजनाओं में उन योजनाओं को क्यों नहीं रख दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य को कुछ ग़लतफहमी है। सामान्य शिक्षा योजना में ही कमी कर दी गई है। इस में कोई सन्देह नहीं है। जब समूचे प्रश्न पर विचार किया गया उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह ठीक समझा कि सभी साधन उपलब्ध नहीं हैं इसलिए योजना में कमी कर दी गई। परन्तु मैं योजना आयोग की तारीफ करूंगा कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम की ओर बड़ी रुचि दिखाई। उन्होंने राज्यों की शिक्षा योजनाओं को स्थान देने का पूरा प्रयत्न किया। मैं समझता हूं कि राज्यों की योजनाओं में कोई कमी नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमने राज्य सरकारों को आश्वासन दे दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में वित्तीय बाधायें नहीं आने दी जायेंगीं। राष्ट्रीय योजना ने भी इसी प्रकार का एक वक्तव्य दिया है। हम प्रत्येक वर्ष योजना का पुनरीक्षण करेंगे तथा आवश्यक होने पर योजना में समायोजन करेंगे जिससे प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम योजनानुसार आगे बढ़ाया जा सके।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं ने पूछा था कि क्या १८·१९ करोड़ रुपये को ११ करोड़ रुपये कर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी चीजों में कमी की गयी है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय क्षेत्र में रखे गये १७·५८ करोड़ रुपये को ११ करोड़ रुपये करके राज्य योजनाओं को दे दिया गया है।

दिल्ली में चिट फंडों पर नियंत्रण

४३८. { **श्री चुनी लाल** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चिट फंडों के विनियमन और नियंत्रण के बारे में कोई निर्णय अब किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि मद्रास विधान सभा में संकल्प पारित करने के बाद मामले पर विचार होगा। मैं जानना चाहता हूं कि अब क्या स्थिति है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मद्रास अधिनियम पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पड़ा रहा। तीन सप्ताह पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति मिली है। इसीलिए इसको दिल्ली के अनुसार बनाकर लागू किया जायेगा।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : दिल्ली में ऐसे कितने समवाय हैं तथा क्या उन पर कोई प्रतिबन्ध हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमारी सूचनानुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में चिट फंड व्यापार करने के लिये समवाय अधिनियम, १९५६ के आधीन लगभग २६ समवाय रजिस्टर्ड हैं। उनकी कुल अधिकृत पूंजी २४,८०,००० रुपये है। इन समवायों के अतिरिक्त कुछ ऐसी संस्थायें भी हैं जो काम तो दिल्ली में करती हैं परन्तु उनके रजिस्टर्ड आफिस दिल्ली से बाहर हैं।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री जी ने जो फ़िगर्ज़ बताये हैं, क्या वे किसी सरवे के आधार पर तैयार किये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जो कम्पनीज़ कम्पनीज़ एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड हैं, उन की सूची तो रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज़ के पास है। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन्ज़ हैं, उन का भी पता लगा लिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा तेल की खोज

+

†*४३९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों से प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) २७ जुलाई, १९६१ को बर्मा आयल कम्पनी से एक अनुपूरक समझौता किया गया जो आयल इंडिया लिमिटेड समझौते का रूपभेद था । अन्य गैर-सरकारी तेल समवायों से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में बातचीत हो रही है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : किन और समवायों के साथ बातचीत हो रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कुछ समवाय अलग निकल गये हैं क्योंकि उनके साथ समझौता नहीं हो पाया था । इस समय इटली की इ० एन० आह तथा अमरीका की कौन्टीनैन्टल से बातचीत हो रही है ।

†**श्री कासलीवाल** : एक फ्रांसीसी प्राइवेट फर्म को जैसलमेर में तेल की खोज का काम क्यों दिया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : किसी भी प्राइवेट फ्रांसीसी फर्म को जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज का काम दिया गया है हाल में ही, जैसा कि मैं बता चुका हूं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और फ्रांस सरकार द्वारा संचालित फ्रेंच पैट्रोलियम संस्था के बीच एक समझौता हुआ था कि वह जैसलमेर क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की तेल की खोज में सहायता दें ।

†**श्री दामानी** : कितने समवायों से समझौता हो चुका है तथा कितने आवेदन पत्र अभी लम्बित हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : विदेशी समवायों से आठ प्रस्ताव मिले थे जिनमें से तीन समवाय अलग हो गये हैं । दो समवायों से बातचीत हो रही है और तीसरा समवाय इटली का ई० एन० आह ही है जिससे बातचीत पूरी हो रही है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार ने तेल की खोज करने के काम को विदेशी सरकार द्वारा नियंत्रित समवायों के बजाये गैर-सरकारी तेल समवायों को देने का निर्णय कर लिया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं प्रश्न समझा नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : जब हम अब तक तेल की खोज के काम के लिए विदेशी सरकार द्वारा नियंत्रित समवायों को बुलाते रहे हैं तो अब विदेशी गैर-सरकारी समवायों को तेल की खोज की अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि सरकार अपनी नीति बदलने के बारे में सोच रही है। ऐसी बात नहीं है। हम सर्वदा विदेशी तेल समवायों को बुलाते रहे हैं कि वह हमारी नीति के अनुसार हमारे प्रस्तावों की जांच करें। बाद में कुछ समवायों ने जांच की और हम से बातचीत की। उन में से एक बर्मा आयल कम्पनी ने हमारी नीति की मुख्य रूपरेखा स्वीकार कर ली जिसके फलस्वरूप एक समझौता हुआ। इस समझौते में बर्मा आयल कम्पनी का और हमारा पचास प्रतिशत का भाग है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सरकार ने विभिन्न समवायों से किन शर्तों पर बातचीत की अर्थात उनको बताया कि 'हमारी यह शर्तें हैं और आपको इन्हें स्वीकार करना चाहिए' ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प की ओर दिलाऊंगा जिसमें निर्धारित नीति में बताया गया है कि समवाय का नियंत्रण, प्रशासन तथा अन्य बातें ऐसी होनी चाहिएं जिससे सरकार समस्त उद्योग पर नियंत्रण कर सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह समवाय जिससे बातचीत हो रही है, इन शर्तों से सहमत है अथवा कुछ और मामले भी हैं जिनके बारे में निर्णय करना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : खुलासा तौर पर उन्होंने नीति संकल्प के अनुसार व्यवस्था पर बातचीत करना स्वीकार कर लिया है। परन्तु जब ब्योरों पर विचार किया गया तो कुछ मतभेद उत्पन्न हो गये जो अधिकांशतः मूल्य, आय-कर सहायता तथा प्रशासक के रूप में नियंत्रण के बारे में थे। कभी कभी हम सहमत नहीं होते हैं तथा कभी कभी बातचीत करते रहते हैं।

होशियारपुर के पास गैस

\+

†*४४०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होशियारपुर से १४ मील दूर जनौरी में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये छिद्रण से भूतल के नीचे प्राकृतिक गैस के चिह्न दिखायी पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका कोई अंदाज लगाया गया है; और

(ग) इसका क्या नतीजा निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां। बहुत थोड़ी मात्रा में।

(ख) और (ग). गैस भी बहुत थोड़ी मात्रा में मिली थी। परीक्षण से पता लगा कि इसमें मुख्यतः 'मेथोन' आदि थे। उच्च स्तर के हाइड्रोकार्बन इसमें नहीं थे।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त**: क्या इस क्षेत्र के लिये कोई 'बोरिंग योजना' बनाई गई है और यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**श्री के० दे मालवीय** : हमारे तेल तथा गैस को खोज निकालने के प्रयत्नों के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं है। हमने इस पर पर्याप्त धन व्यय कर दिया है। हमारा विचार है कि यहां

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खोज कुछ और समय तक जारी रखी जाये क्योंकि तब तक या तो तेल मिल जायेगा अथवा पता लग जायेगा कि तेल नहीं मिलेगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श की प्रणाली

\+

†*४४१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री चुनी लाल :
श्री हेम बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या गृह-कार्य मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या, २६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा की कुछ शर्तों को विनियमित करने तथा संयुक्त परामर्श की प्रणाली की व्यवस्था करने वाले विधान के ब्योरे पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम मन्त्रालय ने अपनी सिफारिशें गृह-मंत्रालय को भेज दी हैं; यदि हां, तो गृह-मंत्रालय में किस कारण विलम्ब हो रहा है; और क्या व्यवस्था हो जाने से पूर्व मान्यता दे दी जायेगी ?

†**श्री दातार** : विधेयक तैयार है परन्तु यह ठीक समझा गया कि विधेयक के उपबन्धों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का परामर्श लिया जाये । ऐसा श्रम मन्त्रालय ने किया है तथा मामले पर वह तथा गृह मंत्रालय परामर्श कर रहा है । मामले पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार संयुक्त परिषद् बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने से पूर्व, उन संघों तथा फेडरेशनों को जिनकी मान्यता हड़ताल के कारण समाप्त कर दी गई थी, मान्यता पुनः दे देने का है ।

†**श्री दातार** : यह एक अलग प्रश्न है । यह प्रश्न संयुक्त परामर्श के बारे में हैं । यह मामला हड़ताल तथा पुनः मान्यता देने के बारे में हैं । कुछ सिद्धान्त बना लिये गये हैं जिनके अनुसार पुनः मान्यता देने के मामले पर विचार हो सकता है । मेरा निवेदन है कि यह दोनों अलग अलग प्रश्न हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पुनः मान्यता देने के बाद ही व्हिटले काउन्सिलों का प्रश्न उठता है और सरकार एक फोरम बनाना चाहती है इसलिये इसका इससे सम्बन्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का इसके साथ साथ यह भी तो सुझाव है कि विधेयक प्रस्तुत होने से पहले कार्मिक संघों को पुनः मान्यता दे दी जाये । माननीय मंत्री ऐसा नहीं करना चाहते हैं । यह एक सुझाव है । वह ऐसा नहीं करना चाहते ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस मामले में सम्बन्धित संघों के विचार जान लिये गये हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का परामर्श ले रही है और तब वह प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देंगे ।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मन्त्री ने बताया कि विभिन्न कार्मिक संघों के संगठनों का इस मामले में परामर्श लिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठन का परामर्श लिया गया था अथवा केन्द्रीय कार्मिक संघों का भी परामर्श लिया गया था । क्या इसको इस सत्र में लिया जायेगा अथवा हाल में ही होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन में रखा जायेगा ?

†**श्री दातार** : सरकार जल्दी से जल्दी विधेयक को प्रस्तुत करना चाहती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान् प्रश्न यह है कि क्या यह इस सत्र में प्रस्तुत होगा अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह इस सत्र में होता तो वह यह बता देते ।

†**श्री तंगामणि** : मैंने यह भी पूछा था कि हाल में ही होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन में क्या इसको रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पूछे जाने पर कि इसको इस सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा अथवा नहीं मंत्री ने बता दिया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा अर्थात् मंत्री यह निर्णय अभी नहीं कर पाये हैं कि इसको इस सत्र में रखा जायेगा अथवा नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ के प्रतिनिधियों का परामर्श लिया गया था । क्या यह सच है कि केवल रेलवे मैन तथा डाक तथा तार के लोगों का परामर्श लिया गया था और प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा निगम के लोगों का परामर्श नहीं लिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि इनका परामर्श क्यों नहीं लिया गया था ?

†**श्री दातार** : इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है । यह श्रम मंत्री पर छोड़ दिया गया था कि वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का परामर्श लें । मुझे संघों अथवा संस्थाओं की सूची नहीं है ।

इंजीनियरी संस्थायें

†*४४२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री पांगरकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् के एक अधिनियम द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग इंजीनियरी संस्था को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). कुछ व्यावसायिक इंजीनियरिंग सोसायटियों को अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें मानने के लिये एक विधेयक का प्रारूप बनाया जा रहा है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : विधेयक का प्रारूप बनाया जा रहा है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

दिल्ली के स्कूलों के लिये अंग्रेजी की एक "सपलीमेंटरी रीडर"

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १, श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों के लिये अंग्रेजी की एक 'सपलीमेंटरी रीडर' 'हैप्पी टाइम' की स्वीकृति, अस्वीकृति तथा वापसी के बारे में शिक्षा मंत्रालय ने तीन अलग अलग आदेश दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय ने ऐसे आदेश जारी नहीं किये थे। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन दिल्ली प्रशासन के हाथ में है तथा पुस्तकों की स्वीकृति के आदेश उनके द्वारा ही दिये जाते हैं। आठवीं क्लास की एक सपलीमेंटरी रीडर 'हैप्पी टाइम' के बारे में मंत्रालय को शिकायत मिली थी। प्रारम्भिक जांच के बाद मालूम हुआ कि पुस्तक में बहुत गलतियां हैं। दिल्ली प्रशासन से इसका वितरण रोक देने के लिये कहा गया था। पुस्तक की ब्योरेवार जांच के बाद प्रशासन से कहा गया कि मन्त्रालय का विचार है कि पुस्तक भाषा पुस्तक के रूप में एक दम अनुपयुक्त है और प्रशासन को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे पुस्तक विद्यार्थियों के हाथों मेंउ चित स्तर की होकर पहुंचे। मंत्रालय ने प्रशासन से कहा है कि प्रशासन इस बात की पूरी तथा स्वतन्त्र जांच कराये कि ऐसी अनुपयुक्त पुस्तकें बच्चों के लिये किस प्रकार निर्धारित कर दी जाती हैं और इसका उत्तरदायित्व डालें।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : पाठ्य पुस्तकों की स्वीकृति के लिये क्या औपचारिकतायें बरतनी पड़ती हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मालूम होता है कि सभी औपचारिकतायें बरती गई थीं परन्तु फिर भी पुस्तक बेकार थी और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये था।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : इसमें क्या क्या आपत्तिजनक बातें थीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम ब्यौरों में नहीं जा सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं उत्तर नहीं समझी। प्रश्न यह था कि क्या क्या औपचारिकतायें बरतो जाती हैं। उन्होंने बताया कि सभी औपचारिकतायें बरती गई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : औपचारिकताओं के ब्योरे में हम नहीं जाते हैं । केवल इतना स्पष्ट होना चाहिए कि क्या सभी औपचारिकतायें बरती गई हैं अथवा नहीं । उनको मालूम हुआ कि पुस्तक इतनी खराब है कि उसको निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न यह भी उत्पन्न हो सकता है कि औपचारिकताओं में कोई गड़बड़ी हैं । क्या इसकी जांच की जायेगी ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया कि उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना है । जब मंत्री महोदय का मत है कि पुस्तक बेकार है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करने का क्या अर्थ हुआ । उस व्यक्ति को दण्ड दिया जाना चाहिए ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना रखी है जिसके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की जांच की जा सके और तब उसकी सिफारिश करें तथा यदि ऐसा था तो सरकार स्वीकृति, अस्वीकृति तथा वापस लेना आदि के झंझट में क्यों पड़ी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार का पूरा प्रबन्ध है । पाठ्य पुस्तक समिति है तथा पुनरीक्षण करने वाले हैं । निर्धारण समिति है । प्रबन्ध पूरा है परन्तु फिर भी इसको निर्धारित कर दिया गया ।

†**श्री हेम बरुआ** : पाठ्य पुस्तक की समिति की इस गड़बड़ी के कारण, जिससे सरकार को इतनी कठिनाई उठानी पड़ी, सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार का विचार पर्याप्त परिवर्तन करने का है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के लिए यह संभव नहीं है कि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की जांच करें। एक व्यवस्था कर दी है । कभी कभी इन व्यक्तियों से ग़लती हो जाती है । अब इस ग़लती को पकड़ लिया गया है । अब वह यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी खराब किताब किस प्रकार उनसे बच गई और वह पकड़ नहीं पाये । सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : पुस्तक के लेखक का क्या नाम है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : लेखक का नाम गुप्त अथवा ऐसा ही है । मुझे अच्छी तरह से याद नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रुद्रसागर में तेल

†*४३२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६० में असम में रुद्रसागर के कूप संख्या १ में पाये गये तेल का विस्तृत विश्लेषण इस बीच पूरा हो चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) रुद्रसागर कूवा संख्या १ में पाया गया तेल आसाम के तेल क्षेत्रों के तेल के समान ही अच्छी किस्म का है ।

संस्कृत के विद्वानों की राष्ट्रीय पंजी

*४४३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने संस्कृत के विद्वानों की जो राष्ट्रीय पंजी तैयार करने का प्रस्ताव किया था, क्या वह अंतिम रूप से तैयार कर ली गई है ;

(ख) क्या प्रार्थना-पत्रों की जांच के लिए कोई समिति बनाई गई थी ;

(ग) क्या समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और अन्तिम रूप से प्रविष्टियां कर ली गई हैं ;

(घ) संस्कृत के कितने विद्वानों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे ; और

(ङ) कितने विद्वानों के नाम राष्ट्रीय पंजी में दर्ज किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ५३७ ।

(ङ) रजिस्टर में दर्ज करने के लिए विद्वानों के नाम अभी अन्तिम रूप से नहीं चुने गए हैं ।

ऊखीमठ (उत्तर प्रदेश) के निकट विमान दुर्घटना

*४४४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में ऊखीमठ के निकट हुई विमान दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच न्यायालय ने जो प्रतिवेदन दिया है उसका स्वरूप क्या है ; और

(ख) उसमें की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) कोर्ट आव इन्क्वायरी के अनुसार दुर्घटना का अधिकतम सम्भाव्य कारण था, विमान चालक के बादलों में उड़ान करते समय जी० ४ एफ० कुतुबनुमा का नाकारापन अथवा उसका असत्य

†मूल अंग्रेजी में

समन्वय (सिन्क्रोनाइज़ेशन)। इसके परिणामस्वरूप विमान चालक को बादलों से घिरे क्षेत्र के उत्तर में, पार्वतीय भूप्रदेश में उड़ना पड़ा, और विमान अभी बादलों में ही था कि एक पर्वत से जा टकराया।

(ख) (१) विमान चालक की मृत्यु वायुसेना सेवा के कारण मानी गई है।

(२) नियमों के अधीन दिवंगत के उत्तराधिकारी को दिया जाने वाला आश्रित भृतिवेतन विचाराधीन है।

(३) कोर्ट आव इन्क्वायरी ने सिफारिश की है कि हंटर विमानों में उन्हें चलाने में सहायता देने वाले कोई यन्त्र लगाए जाने चाहिएं। उस समय से अब तक मुख्य कार्यालय वायुसेना ने हंटर विमानों में यह सहायक यन्त्र लगाने का निर्णय कर लिया है, जो पहले इनमें नहीं लगे होते हैं।

कोयले का परिवहन

†*४४५. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के वितरण और परिवहन के तरीके की जांच करने और उसे सुधारने के लिए बनायी गयी उच्चस्तरीय समिति के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ख) उनके अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस वर्ष कोयले की कितनी कमी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). २८ मार्च १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ के उत्तर में बताया जा चुका है कि कोयले के आवागमन के लिए विशेष रूप से बंगाल/बिहार क्षेत्र के लिए, निम्नलिखित कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है :—

(१) बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्र से दक्षिण तथा पश्चिम भारत के तटीय राज्यों में रेल व समुद्र के द्वारा प्रति वर्ष १० लाख टन अतिरिक्त कोयले का लदान।

(२) कोयले के थोड़ी दूर के यातायात को सड़क द्वारा ले जाना।

(३) सभी कोयला खानों में सातों दिन लदान।

(४) उपयुक्त उपभोक्ता केन्द्रों में कोयला इकट्ठा करने के स्थान बनाना।

(५) जुलाई, १९६१ से आगे प्रतिदिन १९०० वैगन से २१०० वैगन मुग़लसराय से आगे लदान बढ़ा देना।

उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि इनसे उपभोक्ता क्षेत्रों में इनके परिणाम स्वरूप कोयले का लदान बढ़ जायेगा। संभव है कभी कभी कहीं कहीं पर कुछ कमियां हों परन्तु आशा है कि सभी आवश्यक उपभोक्ताओं को पर्याप्त कोयला मिल जायेगा और ईंट पकाने वाले उपभोक्ताओं को भी संभरण आगामी महीनों में अच्छा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल-शोधक कारखाने

†*४४६. श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुब्बय्या अम्बलम् :
श्री विभूति मिश्र :
श्री आचार :
श्री मुरारका :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नूनमती और बरौनी में तेल-शोधक कारखाने स्थापित करने के मामले में जुलाई, १९६१ के अन्त तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इन तेल-शोधक कारखानों के लिए उसी अवधि तक कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ग) बरौनी में पहला कारखाना संभवत: कब तक चालू हो जायगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ख) ७६६.८४ लाख रुपये ।

(ग) दिसम्बर, १९६२ ।

ब्रिटेन से हैलीकाप्टर

†*४४७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान बल तथा नौ सेना ब्रिटेन में तैयार किये गये कम वजन वाले हेलीकाप्टर खरीदने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) क्या इस प्रकार के किन्हीं हेलीकाप्टरों का परीक्षण किया गया है और उन्हें अन्य उपलब्ध प्रकार के हेलीकाप्टरों से ऊंचे दर्जे का पाया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न में उल्लिखित कोई भी हेलीकाप्टर परीक्षण के लिए किसी भी फर्म को नहीं दिया गया था।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

†*४४८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री अगाड़ी :
श्री रामपुरे :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मंत्रणा समिति ने पेट्रोलियम उत्पादों की कुल वार्षिक खपत का अनुमान लगाया है;

(ख) जुलाई, १९६१ के अन्त तक कुल कितना अशोधित तेल आयात किया गया; और

(ग) उसके लिये कितनी रकम भुगतान की गयी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जनवरी–मई १९६१ में १५८१.७७ लाख रुपये का २,३८३,७६२ टन क्रूड आयल का आयात किया गया था। जून तथा जुलाई, १९६१ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

तेल के लिये छिद्रण

†*४४९. **श्री हेमराज :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में तेल के छिद्रण के मामले में और आगे क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक के सफल छिद्रण कार्यों से कितना अशोधित तैल उपलब्ध होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

तेल की पाइप लाइन

†*४५०. **श्री कोडियान** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शोधित पेट्रोलियम उत्पाद लाने ले जाने के लिए देश में पाइप लाइनों का एक जाल बिछाने की योजना इस बीच मान ली है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का मुख्य व्योरा क्या है;

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

---

† अंग्रेजी में

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करने के हेतु भारत को सहयोग देने के लिए किसी दूसरे देश से कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस देश से कहा गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ). एन्टे नेज़िओनेल इद्रोकारबुरी इटली से प्रस्ताव मिला है कि दोनों पाइप लाइनों के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करेंगे अन्यथा काम में सहायता देंगे ।

बस्तर के भूतपूर्व शासक

†*४५१. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर के भूतपूर्व शासक श्री प्रवीण चन्द्र भंज देव की गृह-मंत्री के साथ अभी हाल की मुलाकात का क्या परिणाम निकला; और

(ख) उनके व्यक्तिगत परिसम्पत् पर उनके दावे के सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). बस्तर के भूतपूर्व शासक श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव १५ और २० मई १९६१ को मुझ से मिले थे । उन्होंने जो दावे प्रस्तुत किये हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है ।

असम भाषाई नीति

†*४५२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वाजपेयी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री खुशवक्त राय :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री सूपकार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने असम राज्य सरकार को अपनी भाषाई नीति बदलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सलाह दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस हद तक अपनी नीति बदली है; और

(ग) क्या कछार और पहाड़ी जिलों के लोगों की मांगें पूरी की गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) आसाम सरकार ने आसाम शासकीय भाषा अधिनियम १९६० में संशोधन करना स्वीकार कर लिया है जिससे माहकुमा परिषद् से सम्बन्धित उपबन्ध हटा दिये जायें। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि स्टेट हैड क्वार्टर्स, कछार तथा स्वायत्तशासी पर्वतीय जिलों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान में तब तक अंग्रेजी का ही उपयोग किया जाये जब तक हिन्दी उसका स्थान न ले ले । इसके अतिरिक्त आसाम सरकार ने कुछ अन्य बातों को भी स्पष्ट कर दिया है ।

(ग) कछार के प्रतिनिधियों ने भाषा सिद्धान्त को उचित परीक्षण देना स्वीकार कर लिया है । हाल में ही पर्वतीय ज़िलों के लोगों की मांगों पर चर्चा नहीं हुई थी ।

प्योर झरिया कोलियरी में आग

†*४५३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुरारका :
श्री आसर :
श्री न० म० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री हेम राज :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामजी वर्मा :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्योर झरिया कोयला खान में भूमिगत आग से तीन निकटवर्ती खानों की सुरक्षा खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि कीमती मशीनें जमीन के नीचे पड़ी हुई हैं और हटायी नहीं जा सकतीं; और

(घ) यदि हां, तो उन मशीनों की क्या कीमत है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां। झरिया की भूमिगत बहुत सी आगों में, प्यारे झरिया कोयला खान की पुरानी आग है जिससे दोबारी कोयला खान को बहुत खतरा है।

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

१. कोयला बोर्ड ने इन कोयला खानों को सहायता दी है जिससे आग के क्षेत्र में घेरा डाला जा सके तथा श्रमिक खाइयां खोद सकें।

२. बोर्ड ने निकट की नालियों से पानी लेकर आग पर छिड़कने का यथासंभव प्रबन्ध किया है; और

३. बोर्ड ने मिट्टी काटने वाले औज़ार से गहरी खाइयां खोदने का प्रबन्ध किया है।

(ग) और (घ). सरकार को ज़मीन के नीचे पड़ी हुई मशीनों का पता नहीं है।

पुरातत्व संबंधी वस्तुओं के नमूने

†*४५४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय ने नयी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पुरातत्वीय तथा कलात्मक रुचि की वस्तुओं के नमूने तैयार करने का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या काम शुरू हो चुका है; और

(ग) अब तक कितने नमूने तैयार किये जा चुके हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) से (ग). जी नहीं। 'हड़प्पन आर्ट' तथा 'इंडियन स्कल्पचर थ्रू दि एजेज़' के दो सैट देहाती क्षेत्रों तथा स्कूलों में प्रदर्शन के लिए तथा ५ अगस्त, १९६१ तक १६ सैट 'इंडियन स्कल्पचर थ्रू दि एजेज़' तथा १७ सैट 'हड़प्पन आर्ट' के बनाये गये थे।

ऊंची श्रेणी का तेल

†*४५५. **श्री दामानी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी हाल में जिस नये ऊंची श्रेणी के तेल के पाये जाने की खबर है क्या उसका अनुमान लगाया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हाल में ही गुजरात राज्य के कसोल तालुक के सेरला में एक कूंवे में तेल मिला है। कलोल में अब तक केवल कूंवा खोदा गया है इसलिए रिज़र्व का अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है। और कूंवों को खोदने की योजना बनाई गई है तथा कूंवे और खोदने के बाद ही तथा कूंवों में थोड़े दिनों तक काम होते रहने के बाद ही निर्धारण करना सम्भव होगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बीच परिसम्पत और देनदारियों का विभाजन

†*४५६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश को अलग कर दिये जाने के फलस्वरूप मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बीच परिसम्पत् और देनदारियों के विभाजन से सम्बन्धित मुख्य मुख्य मामलों का निबटारा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो वह संभवतः कब तक निबटा दिये जायेंगे;

(ग) अभी किन किन मामलों का निबटारा बाकी है;

(घ) उनका वित्तीय मूल्य कितना है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक चर्चा की गयी है; और

(च) यदि हां, तो किस स्तर पर।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (च). बाकी बातों पर २४, २५ और २६ जुलाई, १९६१ को मद्रास में आयोजित अन्तर्राज्यीय सम्मेलन में विचार किया गया और दोनों सरकारों द्वारा स्वीकृत होने पर सभी मामलों पर सहमति हो गयी।

कलकत्ते का विकास

†*४५७. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन ने कलकत्ते की बृहत्तर योजना के लिए कोई सहायता मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उस सहायता की रकम कितनी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) ८००,००० डालर।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के लिये तीन पोलिटेक्नीक

*४५८. **श्री नवल प्रभाकर :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तीन नवीन पोलीटेक्नीक संस्थायें खोलने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां खोली जायेंगी; और

(ग) इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने ओखला और पूसा में एक एक पोलीटेक्नीक खोलने की मंज़ूरी दे दी है।

एक महिला पोलीटेकनीक अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली में खोलने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

(ग) तीनों पोलीटेक्नीकों के खोलने की अनुमानित लागत नीचे दी है :—

गोविंद वल्लभ पंत पोलीटेक्नीक, ओखला

अनावर्ती	३१.२५ लाख रुपये
आवर्त्ती (पूरी योजना अवधि के लिये)	२०.७४६ लाख रुपये

पोलीटेक्नीक, पूसा

अनावर्ती	२३.४७ लाख रुपये
आवर्त्ती (पूरी योजना अवधि के लिये)	१६.१० लाख रुपये

महिला पोलीटेक्नीक

अनावर्ती	११.०० लाख रुपये
आवर्ती (पूरी योजना अवधि के लिये)	११.०० लाख रुपये

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

†*४५९. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का एक स्वतन्त्र अध्यक्ष रखने के लिये जैसा कि प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) ने अपनी १०३ री रिपोर्ट में कहा है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में किन्हीं विशेषज्ञों से पूछताछ की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वर्तमान प्रावस्था में यह ठीक समझा जाता है कि मन्त्री महोदय (खान और तेल) आयोग के अध्यक्ष रहें। एक उपाध्यक्ष नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

धातु मिश्रित और औजारी इस्पात कारखाना

†*४६०. **श्री मुरारका : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ५० करोड़ रुपये का धातु मिश्रित और औजारी इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या इस सहयोग का व्यौरा तैयार किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो काम कब शुरू होगा और इस कारखाने में उत्पादन सम्भवतः कब होने लगेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सहायता के लिये कोई निश्चित प्रार्थना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील के धातुमिश्रित तथा विशेष इस्पात संयंत्र की स्थापना से सम्बन्धित प्राथमिक कार्य, जैसे नीचे की मिट्टी की जांच, समोच्चरेखित मानचित्र बनाना आदि, आरम्भ किये हैं। संयंत्र और उपकरणों के लिये टेन्डर जांच तैयार की जा रही है । यह आशा की जाती है कि वास्तविक निर्माण-कार्य आरम्भ होने के ५ वर्ष बाद यह संयंत्र चालू हो जायेगा ।

माल डिब्बे न मिलने के कारण कोयला खानों का बंद किया जाना

†*४६१. **श्री वाजपेयी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बे न मिलने के कारण झरिया और रानीगंज क्षेत्रों की लगभग दो दर्जन कोयला खानों को जून, १९६१ में बन्द कर देना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक संख्या के मुकाबले में १९६१ में रेलवे ने कितने माल डिब्बे दिये;

(ग) क्या यह सच है कि कोयला खानों पर जनवरी, १९६१ के आरम्भ में ३४ लाख टन कोयले की तुलना में लगभग ६० लाख टन कोयला जमा हो गया था ;

(घ) क्या परिवहन के गत्यवरोध के कारण पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित कोयला उत्पादन पर सम्भवतः कुछ प्रभाव पड़ेगा: और

(ङ) माल डिब्बे मिलने में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोयला खानों पर स्टाक जमा हुआ है परन्तु यह ६० लाख टन नहीं था। १ जून, १९६१ को बंगाल/बिहार क्षेत्रों में भण्डार ४७ लाख मीटरिक टन था जबकि जनवरी, १९६१ के अन्त में यह ३४ लाख टन था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). सरकार, यथा सम्भव, कोयला उत्पादन पर प्रभाव न पड़ने देने के लिये परिवहन के गत्यवरोध को रोकने के लिये कदम उठा रही है। जो अब तक उपाय किये गये हैं, वे ये हैं :

(१) बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में जुलाई, १९६१ से रेल परिवहन क्षमता को २०० माल-डिब्बों से बढ़ाना।

(२) जैसे अधिक जहाज उपलब्ध होंगे, प्रतिमास लगभग ३० जहाज लाद कर तटीय नौवहन द्वारा कोयले के परिवहन में वृद्धि। इसका मतलब है कि प्रतिवर्ष १० लाख टन की अपेक्षा २० लाख टन कोयले का परिवहन हुआ करेगा।

(३) सड़क द्वारा कोयले और पत्थर के कोयले के परिवहन में ढील देना।

(४) ब्लाक रेकों और अर्द्ध रेकों में कोयले का नियोजित परिवहन करना।

(५) जहां तक सम्भव हो, सप्ताह के सभी दिनों में कोयले की ढुलाई।

मकेनिकों और टैक्निशियनों के प्रशिक्षण के लिये संस्था

†*४६२. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ समय पहले भारत-स्विस करार के अनुसार सूक्ष्म यन्त्रों के मैकेनिकों और टैकिनिशियनों के प्रशिक्षण के लिये एक संस्था (इंस्टीट्यूट) स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : चण्डीगढ़ में प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिये हाल ही में निर्णय किया गया है और भूमि के अर्जन के लिये कार्यवाही की जा रही है। इतने समय में, स्विस फाउण्डेशन केन्द्र के लिये योजना को अन्तिम रूप देने और उपकरणों के लिये आदेश देने, जिनकी डिलीवरी की अवधि आठ से बारह महीने तक हो सकती है, के लिये कार्य-वाही कर रहा है।

कोयला धोने के कारखाने

†*४६३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कोयला धोने के कारखाने चलाने की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बीच निर्धारित कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इन दो संस्थाओं के बीच ये काम किस प्रकार विभाजित किये जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) दुर्गापुर, दुगदा, भोजूडीह और पाथाडीह में कोयला धोने के कारखानों के निर्माण और विस्तार का प्रभार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर होगा। करगली में कोयला धोने के कारखाने और कथारा, कर्णपुरा और सुदामीह में स्थापित किये जाने वाले कोयला धोने के कारखानों का प्रभार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पर होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर

*†४६४. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **शिक्षा** मंत्री २८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर बनाने के लिये संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी रकम के विशेष अनुदान दिये गये;

(ख) इस योजना के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों में कितने मकान बनाये गये;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस योजना के अधीन मकान बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों की तरह अपना खर्च अपने क्षेत्र के बजट से चलाते हैं और उन्हें कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जाता ।

(ख) क्वार्टरों का निर्माण दो योजनाओं में शामिल हैं :

(१) लड़कियों की शिक्षा का विस्तार; और

(२) शिक्षित बेरोजगारों को सहायता और प्राथमिक शिक्षा का विस्तार ।

१९५९–६० के अन्त तक निर्मित क्वार्टरों की कुल संख्या .	. १०
१९६०–६१ के लिये प्रस्तावित क्वार्टरों की कुल संख्या .	. ८

(ग) और (घ).प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति

*४६५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति की कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार द्वारा लागू की जा चुकी हैं; और

(ख) जो सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं उनकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और उन्हें लागू न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) . विवरण लोक सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी कार्यवाहियां

†*४६६. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सिख और हिन्दुओं के बीच कटुता उत्पन्न कराने और सिख अथवा हिन्दू लेखकों के नाम से पुस्तकें प्रकाशित करके मुद्रित अथवा साईक्लोस्टाइल की हुई पंजाब में मुफ्त वितरण के लिये चोरी छिपे भेजने का प्रयत्न कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) पंजाब को ऐसी दो पुस्तिकाओं का पता लगा है जिनके बारे में शंका है कि ये पाकिस्तान से चोरी छिपे लायी गयी हैं ।

(ख) इस मामले में राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है ।

शिक्षण संस्थायें

†*४६७. श्री झूलन सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत पब्लिक स्कूलों की लाइन पर चलाई जाने वाली ऐसी अनेक शिक्षा संस्थायें हैं, जो सैनिक कर्मचारियों के बच्चों के साथ अन्य लोगों को भी सामान्य शिक्षा प्रदान करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्कूलों के शिक्षा मंत्रालय को हस्तान्तरित कर देने की वांछनीयता की जांच की गई है ; और

(ग) सनावर और लवडेल के स्कूलों के प्रबन्ध के शिक्षा मंत्रालय को हस्तान्तरण का क्या परिणाम हुआ ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) जी, हां। राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालिज, देहरादून और अजमेर, बंगलौर, बेलगांव और चैल (शिमला हिल्स) में चार किंग जार्ज स्कूल जो पब्लिक स्कूलों की तरह चलते हैं और जो सैनिकों के बच्चों के अतिरिक्त अन्यों को भी शिक्षा देते हैं, प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन चल रहे हैं ।

(ख) क्योंकि स्कूलों का प्रबन्ध शिक्षा मंत्रालय नहीं करती, इन स्कूलों को शिक्षा मंत्रालय को हस्तान्तरित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हस्तान्तरण के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन स्कूलों के प्रबन्ध के लिये स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किया । तदनुसार ये स्कूल उस मंत्रालय के प्रबन्धाधीन नहीं है और उन्हें उस मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं मिलता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†*४६८. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला और दुर्गापुर की धमन भट्टियों में जून, १९६० से जुलाई, १९६१ तक कितनी बार कार्य रुका ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जून, १९६० से जुलाई, १९६१ तक की अवधि में रूरकेला में धमन भट्टियों में ७ बार कार्य रुका और दुर्गापुर में धमन भट्टियों में दस बार। इनमें से अधिकांश अवरोध छोटे छोटे संचालन सम्बन्धी कारणों के कारण थे।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*४६९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूरकेला के कारखाने के विभिन्न भागों में प्रायः काम ठप्प हो जाने के संबंध में जांच कराई है ;

(ख) पहली धमन भट्टी के चालू होने के समय से उसमें आद्यतन कितनी बार कार्य ठप्प हुआ है ;

(ग) खराबियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या रूरकेला कारखाने के संचालन की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और सरकार ने ब्लूमिंग एण्ड स्लैबिंग मिल के दोहरी चलने वाली निचली मोटर में हाल ही की खराबी की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने का भी फैसला किया है।

(ख) और (ग). संचालन और अन्य कारणों से थोड़ी देर के लिये रुकावट के अतिरिक्त रूरकेला स्टील वर्क्स की भट्टी संख्या १ में २४ जनवरी, १९५९ को इसके चालू होने के समय से टैप हाल के आस पास दो बार आग लगी और दो बार खराबी आई। यह खराबी टैप हाल की लाइन खराब होने के कारण हुई। टैप हाल के चारों ओर ईंटों के कार्य को पूर्णतः हटा दिया गया है और जर्मन विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में उसको पूर्णता मरम्मत कर दी गयी है। एक और खराबी हुई थी जिसमें एक श्रमिक मारा गया था जब कि भट्टी को नियमित रूप से चालू नहीं किया जा सका था और परिणामस्वरूप अंगीठी ठंडी पड़ गयी।

(घ) जी, नहीं। परन्तु सरकार सामान्य संचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिये कदम उठा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस भेजे गए भारतीय प्रविधिज्ञ

†*४७०. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक तेल शोधन और परिष्करण में प्रशिक्षण के लिए कितने भारतीय प्रविधिज्ञ रूस भेजे गये हैं ; और

(ख) क्या वे सब वापस आ गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) ५९ ।

(ख) जी, नहीं ।

कृषिजन्य खाद्य उत्पादों के मूल्य

†*४७१. **डा० सामन्त सिंहार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कृषिजन्य खाद्य उत्पादों के मूल्य कम होने अथवा स्थिर रहने के बावजूद थोक मूल्य देशनांक में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) थोक मूल्य देशनांक को कम कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उद्देश्य की प्राप्ति कब तक होने की सम्भावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) पिछले वर्ष के थोक मूल्य देशांनक में वृद्धि मुख्यत: कच्चे माल, विशेषत: पटसन और तिलहन की फसल के लगातार दो वर्षों तक अच्छी न होने और परिणामस्वरूप इन सामानों और इनसे बनी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, के कारण हुई ।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की उचित रूप से स्थिरता बनाये रखना सरकार की नीति है । इस बारे में समय समय पर उचित कार्यवाही की जाती है । खाद्यान्नों और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में इन उपायों के परिणाम निकले हैं ।

सीमान्त क्षेत्र

†*४७२. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की एकता के लिए घातक राजनैतिक कार्यवाहियों के नियंत्रण के लिए संशोधित दंड अधिनियम के अन्तर्गत कोई सीमान्त क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). दंड नियम (संशोधन) अधिनियम, १९६१ की धारा ३ के अधीन किसी भी सीमांत क्षेत्र को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है ।

केरल में सोने के निक्षेप

†*४७३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
डा० राम सुभग सिंह
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कुन्हन
श्री जीनचन्द्रन :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कुछ क्षेत्रों में सोने के निक्षेप पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कुल कितनी मात्रा की खोज की गई है ;

(ग) क्या उस क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण की कोई योजना तीसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना की लागत क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत के भूतत्वीय विभाग को केरल में सोने के कोई नये निक्षेप नहीं मिले हैं । मद्रास और केरल दोनों राज्यों में वाईनाद स्वर्ण पट्टी में सोने का बहुत पहले से पता है ।

(ख) मद्रास और केरल के वाईनाद स्वर्ण क्षेत्र में लगभग १८७५ में खनन आरम्भ हुआ था । यद्यपि कभी कभी बढ़िया सोना मिला, सामान्यतः इसकी श्रेणी घटिया है । कुल ६०० औंस सोना निकाला गया और खनन कार्य १८९३ में रोक दिया गया ।

(ग) और (घ). भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में वाईनाद स्वर्ण क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करने का प्रस्ताव है ।

पृथक राज्यों में भूतत्वीय सवक्षण करने के लिये कोई पृथक वित्तीय उपबन्ध नहीं किया जाता, किया गया खर्च समूचे देश के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को स्वीकृत अनुदान में से किया जाता है ।

कुरासिया कोयला खानें

*४७४. **श्री जांगड़े** : क्या **इस्पात, खान और इधन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुरासिया कोयला खानों में कब से आग लगी थी;

(ख) उस से कितने श्रमिक बेकार हो गये और आग, बेकारी और काम रुक जाने से कितने रुपये की हानि हुई ; और

(ग) क्या आग १५ जलाई, १९६१ तक लगी रही ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). २६ मई, १९६१ को कुरासिया में भूमिगत खान में आग लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप खान को बन्द करना पड़ा। आग अब भी सुलग रही है, ऐसी सूचना है। आग को रोकने के उपायों में से एक उपाय यह था कि खानों को पम्पों द्वारा पानी से भर दिया जाए, किन्तु तलागत से पानी के अधिक मात्रा में रिसने से इस उपाय को छोड़ना पड़ा। इसके बाद आग लगे हुए स्थान के चारों ओर संछिद्रों में ठोस सीमेंट-युक्त पदार्थों को भर कर आग को बन्द करने का साधन अपनाया गया। यह तरीका जारी है और आशा है कि इसके परिणाम स्वरूप छिद्रों की रुकावट हवा-रहित हो जाएगी, ताकि आक्सीजन गैस की कमी के कारण आग बुझ जाये। यदि वर्तमान साधन सफल रहे, तो खान शायद जनवरी, १९६२ तक पुनः कार्य करना शुरू कर देगी।

आग लगने के कारणों को जानने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा तीन प्रवर खनन इंजीयरों की एक पूछताछ समिति बनाई गई। उन्होंने अपनी राय दी है कि आग लगने का कारण अपने आप पैदा होने वाली गर्मी थी और इस आग को बझाने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, वे ठीक हैं। समिति ने बताया है कि यह सम्भावना नहीं है कि सतम्भों में पाये जाने वाले कोयले को आग द्वारा हानि पहुंची है। खान के अन्दर कोई मशीन नहीं रह गई है। हो सकता है कि ऊपर की ट्राली लाईन को थोड़ी हानि पहुंची हो ; इस हानि की पूर्ति की जा सकती है।

यद्यपि सम्पत्ति की बहुत कम हानि हुई है तो भी भूमिगत खान के बन्द होने का यह मतलब है कि जब तक आग जारी रहती है तब तक प्रति मास लगभग ३५,००० टन का उत्पादन नहीं होगा। खान के बन्द होने से लगभग २,००० मजदूर बेकार हो गये हैं और उनको नियमावली के अन्तर्गत कार्य-स्थगन-सम्बन्धित मुआवजा[1] दिया जा रहा है।

स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

*४७५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति देने का प्रबन्ध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी छात्रवृत्तियां होंगी और प्रत्येक कितने रुपये की होगी ; और

(ग) क्या उन्हें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

तीसरे वित्त आयोग का प्रतिवेदन

†*४७६. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० के० चन्दा के सभापतित्व के अन्तर्गत तीसरे वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह प्रतिवेदन संसद् में कब पेश किया जायेगा ;

---

[1] Lay-off Compensation.

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक पेश किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या उस पर पन्द्रवें सत्र तक चर्चा रखी जा सकेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वर्ष १९६१ ।

(घ) यह आयोग को सिफारिशें प्राप्त होने की तिथि और संविधान की धारा २८१ के अन्तर्गत संसद् में पेश करने के लिये सरकार द्वारा विचार करने पर निर्भर है ।

यात्री चेक

†*४७७. **डा० क० ब० मेनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य बैंक द्वारा जारी किए गए यात्री चेकों को भारत में अन्य बैंकों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत के राज्य बैंक द्वारा जारी किए गए यात्री चेकों को मान्यता देने में अनुसूचित बैंकों की क्या कठिनाइयां हैं ;

(ग) क्या सरकार ने यात्री चेक लेकर यात्रा करने वाली जनता की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). भारत राज्य बैंक को कुछ अनुसूचित बैंकों द्वारा राज्य बैंक के यात्री चेकों को मान्यता न देने के कुछ मामलों का पता चला है । यह विश्वास किया जाता है कि सम्बन्धित बैंकों के कर्मचारियों को भारत के राज्य बैंक और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के बीच सहमत एजेन्सी व्यवस्था का पता नहीं था ।

(ग) और (घ). राज्य बैंक का सम्बन्धित बैंकों के साथ मामले को उठाने का प्रस्ताव है ताकि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें न हों ।

धातुमिश्रित और औजारी इस्पात संयंत्र

†*४७८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टाटा कम्पनी के ६०,००० टन के धातुमिश्रित और औजारी इस्पात संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को अब मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड को प्रति वर्ष ४९००० टन औजार और धातुमिश्रित

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात तैयार करने के लिये बिहार में जमशेदपुर में एक नया उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है। इसमें जो वस्तुयें बनायी जायेंगी वे हैं :

	वार्षिक क्षमता
(१) कार्बन औजार इस्पात	१०,००० टन
(२) डायरेक्ट हार्डनिंग धातुमिश्रित इस्पात . . .	७,००० टन
(३) केस हार्डनिंग इस्पात	२,००० टन
(४) स्प्रिंग इस्पात (उच्च श्रेणी) . . .	२,००० टन
(५) हाई स्पीड और टंगस्टेन औजार इस्पात . .	३,००० टन
(६) अन्य किस्म का धातुमिश्रित और उच्च कार्बन इस्पात .	५,००० टन
(७) स्टेनलेस स्टील	२०,००० टन

चौथा इस्पात संयंत्र

†*४७९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में बिहार के हजारीबाग जिले में चौथे इस्पात संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कदम उठाए गए हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]**

भारत में पाकिस्तानी नागरिक

†*४८०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री हेम राज :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में (राज्यवार) रह रहे थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या इनमें से कुछ राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भी भाग लेते पकड़े गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो कहां कहां और कितने ; और

(घ) क्या सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में आने का दृष्टांक (वीसा) देने के नियमों में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]**

(घ) जी नहीं ।

इस्पात का प्रतिधारण मूल्य

†*४८१ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात के नए प्रतिधारण मूल्यों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वण सिंह)** : (क) जी नहीं । अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

†*४८२ { **श्रीचुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा के लिए बातचीत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) **और** (ख). २५–२६ अप्रैल और ३१ मई और २ जून, १९६१ को वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास बैंक के तत्वावधान में आयोजित बैठक में, पश्चिम जर्मनी ने वर्ष १९६३/६४ में और आगामी वर्षों में रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार में धन लगाने के लिये २८०० लाख रुपये डी० एम० (७०० लाख डालर) के ऋण की सूचना दी और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये धन लगाने के लिये ब्रिटेन ने २०० लाख पौंड (५६० लाख डालर) का ऋण बताया । ऋण की शर्तों पर अभी बात की जानी है ।

विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श विधान

†*४८३ { श्री नेकराम नेगी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के विश्वविद्यालयों का स्वायत्तता की अन्तर्ग्रस्तता के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिये एक आदर्श विधान बनाने के संबंध में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्थापनायें बनायी जा रही हैं ।

नई दिल्ली में अलग विश्वविद्यालय

*४८४. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **शिक्षा मंत्री** ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक अलग विश्वविद्यालय खोलने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†*४८५. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या शिक्षा मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में तीसरी पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लिये उपबन्ध करने के प्रश्न के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के विकास कार्यक्रम के लिये ८५ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि में इस योजना के लिये गैर-योजना उपबन्ध के रूप में लगभग १५० लाख रुपये दिये जाने की आशा है ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

†*४८६. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री अरविन्द घोषाल :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री साधन गुप्त :
श्री क० भ० मालवीय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने एक अखिल भारतीय अथवा केन्द्रीय शिक्षा सेवा के निर्माण के लिये कोई नई योजना और प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यह प्रस्ताव किस प्रकार का है ? और

(ग) वह किस अवस्था में है ।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) केन्द्रीय शिक्षा सेवा स्थापित करने की प्रस्थापना विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). अभी तक ब्योरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

तेल की पाइप लाइन

†*४८७. श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरौनी के लिये पाइप लाइन पर जुलाई, १९६१ के अन्त तक कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(ख) उपरोक्त पाइप लाइन कब तक पूरी होगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहरकटिया–वरौनी पाइप लाइन पर जुलाई, १९६१ के अन्त तक लगभग १८·५ करोड़ रुपये की रकम खर्च की गयी ।

(ख) नहरकटिया से नूनमती तक पाइप लाइन के इस वर्ष तक पूरा हो जाने और नूनमती से बरौनी तक अक्तूबर-दिसम्बर, १९६२ में पूरा हो जाने की आशा है ।

रानीगंज क्षेत्र में कोयला

†*४८८. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज क्षेत्र में जो खंड (ब्लाक) धातुकर्मिक कोयला निकालने के लिये निर्धारित किया गया था उसमें से कोयला निकालने का काम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा किया जावेगा ;

(ख) खनन कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) इन खानों के विकास पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). रानीगंज क्षेत्र में छिद्रण और समन्वेषण-कार्य जारी है । भूतत्वीय और खनन संबंधी पूरे आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही इस क्षेत्र के विकास करने पर विचार किया जायेगा । विकास लागत का भी संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने, जो बाद में छिद्रण कार्य की समाप्ति पर निर्भर है, के बाद ही पता लगेगा ।

शस्त्र नियम

†*४८९. श्री हेम राज :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दलजीत सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उनको अन्तिम रूप कब तक दिया जा सकेगा और उनके संबंध में शीघ्रता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). प्रारूप नियम तैयार कर लिये गये हैं और राज्य सरकारों को विचारार्थ भेज दिये गये हैं। नियमों को, प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र अन्तिम रूप दिया जायेगा।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†४९०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई स्टील वर्क्स में लागू किये गये स्थायी आदेशों को प्रमाण अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

(ख) यदि हां, तो उन्हें नियमित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उनको प्रमाणित करने के पूर्व श्रमिक संगठनों से परामर्श किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). भलाई इस्पात संयंत्र के जनरल मैनेजर ने रीजनल श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नागपुर को प्रारूप स्थायी आदेश सत्यापन के लिये भेज दिये हैं।

(ग) जी हां, जैसाकि संबंधित विधान के अन्तर्गत अपेक्षित है।

स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये केनवस के थैले

†४९१. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के सुझाव पर किये गये निर्णय के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये केनवस के थैले उपलब्ध करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

स्कूल के बच्चों के प्रयोग के लिये शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के निरीक्षण में तैयार किये गये कुछ केनवस के थैलों के नमूने मंत्रालय ने चुने हैं। दिल्ली के शिक्षा निदेशक से अनुरोध किया गया है कि वे चुने हुये थैलों के समूह (सेट) अपने अधीन समस्त माध्यमिक स्कूलों को भेज दें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिक और मिडिल स्कूल के बच्चों के लिये उपयुक्त छोटे आकार के थैलों के समूह (सेट) का एक नमूना दिल्ली नगर निगम को भी भेज दें।

२. दिल्ली निदेशालय द्वारा तैयार किये गये नमूनों के बारे में समस्त संघ प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है और इन नमूनों को दिल्ली के शिक्षा निदेशक से सीधे ही प्राप्त करने की उन्हें सलाह दी गई है।

३. इस विषय पर प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर समस्त राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि इस सुझाव को कार्यान्वित करें। राज्य शिक्षा सचिवों

†मूल अंग्रेजी में

एवं शिक्षा निदेशकों के हाल ही में हुये सम्मेलन में भी इस पर विचार किया गया और वे स्कूल के बच्चों द्वारा केनवस के थैलों के प्रयोग को सक्रिय प्रोत्साहन देने के लिये राजी हो गये।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश

†४९२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है !

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ; और

(ग) क्या प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दुर्गापुर और जमशेदपुर कालिजों के अतिरिक्त सभी कालिज आवेदनकर्त्ताओं द्वारा क्वालिफोईंग परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर दाखिल कर रहे हैं। दुर्गापुर और जमशेदपुर कालिजों के लिये प्रवेश परीक्षायें की जाती हैं।

प्रविधिक संस्थाओं में सेवा परिस्थितियां

†*४९३. **श्री कोडियान** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक संस्थाओं में सेवा की परिस्थितियों को सुधारने के लिये अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र द्वारा कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) अच्छे वेतन-स्तर की एक योजना मंजूर कर ली गयी है और प्रविधिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर दिया गया है। उच्च प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में अधिवार्षिक की आयु भी बढ़ा कर ६० वर्ष कर दी गयी है।

(ख) वेतन-स्तर बढ़ाने पर किये गये खर्च के बारे में राज्य सरकारों से जानकारी प्रतीक्षित है। जहां तक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध है, वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक ११·१० लाख रुपये खर्च किये गये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली की दुकानों में भारत-विरोधी साहित्य की प्राप्ति

†*४९४ श्री खुशवक्त राय :
श्री आसर :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने १६ जून, १९६१ को दिल्ली के एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर छापा मारा था और बहुत सा भारत-विरोधी साहित्य पकड़ा था ;

(ख) क्या इस साहित्य में कुछ मानचित्र भी मिले हैं जिनमें भारत की भूमि चीन की अध्यासीनता में दिखलाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). १२ अप्रैल १९६१ को पुलिस ने पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली की तलाशी ली, तथा गिलम्सेज़ आफ़ चाईना शीर्षक की ३१३ पुस्तकें बरामद की। इस पुस्तक के कवर में दो मान चित्र ऐसे हैं जिनमें कि लगभग सारा उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र, जम्मू तथा काश्मीर का बड़ा भाग तथा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग चीन (देश) के अध्यासीन अवयव दिखाये गये हैं। पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस के प्रबन्धक को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसके विरुद्ध पंजाब के राज्य सुरक्षा अधिनियम, १९५३ (जो कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू किया गया है) की धारा ८ के अधीन मुकदमा दायर कर दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका से हैलीकोप्टर

†*४९५. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका से हेलीकोप्टर खरीदे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने और उनका मूल्य कितना है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में और जानकारी देना जनहित में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोआनी जासूस

†*४९६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभिति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली गुप्तचर सेवा के एजेण्ट कुछ गोआनी जासूस २५ मई, १९६१ को या उसके आस पास बम्बई में गिरफ्तार किए गए थे और यदि हां, तो कितने; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). मई, १९६१ में गोआ में पुर्तगाली प्रशासन के ५ एजेण्टों के बारे में संदेहात्मक कार्यवाही करने का पता चला था। उन सबको भारत से निष्कासित कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

†*४९७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में कितना कोटा है और क्या सदस्य देश आयात प्रयोजनों के लिये अपने कोटे से अधिक धनराशि ले सकते हैं ;

(ख) भारत ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से कितनी बार और किन प्रयोजनों के लिये धनराशि ली है ,

(ग) उस राशि पर कितना ब्याज लिया जाता है और क्या समय पर पुनर्भुगतान न किये जाने की स्थिति के लिये कोई अंतिम उपबन्ध है ;

(घ) भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में से अंतिम बार कितनी राशि ली गई है ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) अन्तर्राष्ट्रीय धन निधि में भारत का भाग ६००० लाख डालर है।

निधि के सन्था नियमों के अनुसार, एक सदस्य देश निधि में से अपने अभ्यंश अधिक रुपया निकाल सकता है परन्तु यह अभ्यंश के १२५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि भुगतान अन्तर का सारभूत औचित्य है।

(ख) और (घ). अभी तक हमने निधि में से निम्नलिखित धन निकाला है :

(१) वर्ष १९४८–४९ में १००० लाख डालर।

(२) वर्ष १९५७ में २००० लाख डालर ।

(३) इस महीने की पहली तारीख को २५०० लाख डालर ।

ये सब धनराशियां अल्पकालीन भुगतान अन्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निकाली गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निधि से निकाली गई रकम ऋण नहीं मानी जाती और इसलिये निधि इस पर कोई ब्याज नहीं लेती । तथापि, निधि से धन निकालने वाले सदस्य को वास्तविक निकालने के समय $^{1}/_{2}$ प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क देना पड़ता है । इसके अतिरिक्त सदस्य को निधि स्थायी शुल्क भी देना पड़ता है जो कि निकाली गई रकम के तरीके और रोकी गई धनराशि की अवधि पर निर्भर करता है यदि भुगतान अपेक्षित अवधि में नहीं किया जाता है तो निधि सदस्य को आगे संसाधनों के इस्तेमाल के लिये अपात्र घोषित कर देती है ।

विश्वकवि रवीन्द्र की कृतियों का कापीराइट

†*४९८. **श्री तंगामणि :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर की रचनाओं के कापीराइट के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कौन कौन सी रचनाओं को प्रकाशन के प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक सम्पत्ति समझा जायेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार और महा कवि भारती के प्रकाशकों ने अपने एकस्व कापीराइट को छोड़ दिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) अन्य लेखकों की रचनाओं की तरह रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं के प्रतिलिप्यधिकार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ (१९५७ का १४) के उपबन्धों के अनुसार है और इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को निर्धारित फार्म पर ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

†*४९९. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को लगभग २३·७५ करोड़ रुपये का ऋण देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ वार्ता समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो ये ऋण किन शर्तों पर किये गये हैं और सरकार ऋण की राशि को किस प्रकार प्रयोग में लाना चाहती है ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) राजपथपरियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ६०० लाख डालर (२८·५७ करोड़ रुपये) के ऋण की बातचीत पूरी हुई और २१ जून, १९६१ को करार पर हस्ताक्षर किये गये । करार की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह ऋण बिना ब्याज का है और दस वर्ष के विलम्ब-काल पर ५० वर्षों में चुकाया जायेगा। समय समय पर लिये गये ऋण की मूल राशि पर ¾ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सेवा-शुल्क लगेगा। ऋण की रकम मुख्यत: ६६० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण और पुनर्निर्माण पर खर्च की जायेगी। ऋण का एक भाग बम्बई नगर की परिवहन समस्याओं का प्राविधिक और आर्थिक अध्ययन करने के लिये इस्तेमाल किया जायेगा।

मन्त्रियों पर व्यय

*५००. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें लेखा विभाग के एक उच्च सरकारी अधिकारी ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि मंत्रियों पर ६,००० रुपये प्रति मास व्यय होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि यह राशि अंग्रेजों के शासनकाल में मंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन से भी अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस व्यय में कुछ कमी करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). इस विषय पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है। उसमें ऐसा निर्देश है कि महालेखापरीक्षक ने अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यह कहा है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य को वेतन आदि वायसराय की एग्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्य के मुकाबले में अधिक मिलता है। किसी भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है।

(ग) मंत्रियों के वेतन, मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम १९५२, के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। (१) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी अधिनियम, १९५२ के अधीन मंत्रियों के वेतन (२) अधिनियम के लागू होने से पूर्व मंत्रियों के वेतन, तथा (३) अन्तरिम सरकार की स्थापना से पूर्व वायसराय की ऐग्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों के वेतन, का विवरण पत्र-सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]**

(घ) सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम १९५२, में कोई तरमीम करने का विचार नहीं कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोवियत रूस से हैलीकोप्टर

†*५०१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत रूस के साथ हेलीकोप्टरों की खरीद के लिये चल रही वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : माननीय सदस्यों का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ से उत्पन्न होने वाले आश्वासन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ११ अगस्त, १९६१ को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है।

वनस्पति उत्पादों का निर्माण

†*५०२. श्री चुनी लाल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से वनस्पति उत्पादों के निर्माण में बिनौले के तेल के अधिकाधिक उपयोग के लिये प्रेरणा के रूप में छूट की दर बढ़ा देने और अन्य तरीकों को अपनाने के सुझावों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) वनस्पति उत्पाद के निर्माण में बिनौले के तेल के अधिकाधिक उपयोग के लिये वर्तमान प्रेरणा योजना सन्तोषजनक रूप से चल रही है। जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट की अनुमानित वार्षिक राशि ५ से ६ लाख रुपये है जो राशि १ जुलाई, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ और १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मई, १९६१ तक की अवधियों में मंजूर की जा चुकी है वह उपरोक्त अवधियों में वनस्पति उत्पाद के निर्माण में ५ प्रतिशत से अधिक स्तर पर प्रयुक्त १००,८०० और ४२,६०० क्विन्टल बिनौलों पर क्रमश: ६.८३ लाख रुपये और २.६९ लाख रुपये है।

परन्तु व्यापारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को देखते हुये अधिक छूट देने की संभावना और बिनौले के तेल और मूंगफली के तेल के अलग अलग जमाए जाने की योजना के पुनरीक्षण की संभावना के प्रश्न की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भट्ठी के तेल का आयात

†*५०३. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भट्ठी का अधिक तेल आयात करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). रुपयों में भुगतान करने वाले देशों से भट्ठी के तेल की अतिरिक्त मात्राओं के संभरण की संभावनायें विचाराधीन हैं ।

तेल की पाइप लाइन

†*५०४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी से दिल्ली तक पैट्रोलियम तेल उत्पादों को लाने के लिये ७०० मील लंबी तेल की पाइप लाइन डालने के बारे में अन्तिम फैसला कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

जीवन बीमा निगम की विनियोज्य निधियां

†*५०५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम की विनियोज्य निधियों को लेने के प्रश्न पर क्या अग्रेतर विचार किया गया है और इस के बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : प्राक्कलन समिति ने अपने जीवन बीमा निगम सम्बन्धी प्रतिवेदन में उनहत्तर सिफारिशें, विनियोजन सम्बन्धी सिफारिशों को मिलाकर, की हैं। जीवन बीमा निगम के टिप्पण आमंत्रित किए गए हैं। आशा है कि वे शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे। उनके प्राप्त होते ही सरकार प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की अग्रेतर जांच करेगी और उस पर निर्णय करेगी।

रूरकेला में उर्वरक संयंत्र

†*५०६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के उर्वरक संयंत्र के कब चालू होने की संभावना है ;

(ख) जुलाई १९६१ के अन्त तक संयंत्र पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) सिंदरी उर्वरक संयंत्र ने कितना काम किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन उपमंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) समस्त संयंत्र के १९६२ की तीसरी तिमाही के अन्त तक चालू होने की आशा है।

(ख) लगभग १०५६ लाख रुपये।

(ग) ७५ प्रतिशत सिविल इंजीनियरिंग कार्य और ११ प्रतिशत निर्माण कार्य जुलाई, १९६१ के अन्त तक।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

†*५०७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध डिपुओं और ई० एम० ई० के कारखानों के असैनिकों कर्मचारियों को उन के दफ्तरों के समीप प्रतिरक्षा विभाग द्वारा किसी प्रकार के रहने के स्थान का प्रबन्ध किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या रहने के स्थानों का प्रबन्ध करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारी, आर्डिनेंस डिपुओं और ई० एम० ई० वर्कशापों के कर्मचारियों को सम्मिलित कर के, सरकारी क्वार्टर प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। परन्तु उनको सैनिक क्वार्टर, जहां उपलब्ध हों, आवंटित किए जाते हैं।

(ख) सरकार प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत क्वार्टरों की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रही है। प्रारम्भ में डेहू, पुलगांव, दिल्ली केंट, पानागढ़, बम्बई और आवादी में प्रत्येक संस्थापन के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के १५ प्रतिशत तक के लिए ऐसे आवास की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी जगह यथासंभव कार्य के स्थान के निकट होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल में तेल सर्वेक्षण

*५०८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नेपाल में सर्वेक्षण और जांच के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नेपाल सरकार के सहयोग से स्तृत अन्वेषणों के लिए भूमीक्षण मानचित्रण कर रहा है ।

श्रव्य-दृश्य शिक्षा सम्बन्धी चलचित्र

†*५०९. **श्री कोडियान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रव्य-दृश्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड ने एक ऐसा चलचित्र (फिल्म) तैयार करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें, विभिन्न देशों में पारस्परिक विनिमय के आधार पर प्रदर्शन के लिए एक पन्द्रह वर्षीय बालक की जीवन कथा चित्रित की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

यूनेस्को ने अपने 'स्कूलों में श्रव्य-दृश्य शिक्षा उपकरणों के उत्पादन, विनिमय और प्रयोग' सम्बन्धी विशेषज्ञों की १३ से २२ जुलाई, १९६० तक टोकियो मे हुई बैठक में यह सिफारिश की थी कि विभिन्न देशों को १५ वर्ष के बालक के दैनिक जीवन का चित्रण करने वाली फिल्म बनानी चाहिए ।

(२) राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा बोर्ड ने अपनी १० मई, १९६१ की बैठक में यूनेस्को द्वारा की गई सिफारिश पर विचार किया और उसका समर्थन किया । इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

तिब्बती शरणार्थियों में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां

†*५१०. **श्री हेम राज :**
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईसाई धर्म प्रचारकों का तिब्बती शरणार्थियों में ईसाई धर्म का प्रचार कार्य कांगड़ा जिले में सामान्यतया और धर्मशाला में विशेषतया जोरों पर है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सभी सच है कि कुछ ईसाई धर्म प्रचारक ईसाई धर्म का गुण गान करने और बुद्ध धर्म का खण्डन करने वाला कुछ साहित्य बांट रहे हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई विरोध पत्र आये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन ईसाई धर्म प्रचारकों के ऐसे कार्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)** : (क) और (ख). कांगड़ा जिले में कुछ ईसाई धर्म प्रचारक ईसाई धर्म का उपदेश कर रहे है। परन्तु यह उपदेश केवल तिब्बती शरणार्थियों तक सीमित नहीं है । वितरित की गई पुस्तकों में बौद्ध धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में कार्यवाही किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उत्तरी विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाएं

†*५११. { **श्री तंगामणि :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी विश्वविद्यालयों के दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कौन से विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं का अध्ययन करवाया जाता है ;

(ग) इन विश्वविद्यालयों में कौन कौन सी भाषायें पढ़ाई जाती हैं ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस मामले में अपना सहयोग प्रदान किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]**

लडलो कैसल, दिल्ली के निकट स्कूल क्षेत्र

† ९६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में लडलो कैसल के निकट एक स्कूल क्षेत्र बनाए जाने में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अभी भूमि अर्जन कार्यवाही चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सेना अधिनियम

†८९७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना अधिनियम को संशोधित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सेना अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में बाल सहायता कार्यालय[1]

†८९८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में बाल सहायता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मामला अभी दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

†८९९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सिफारिश किया गया वेतनक्रम केन्द्रीय शिक्षा संस्था में कब से लागू किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी मे
[1]Juvenile Aid Bureau.

राज्यों में कोयले के संग्रह

†९००. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री अरविन्द घोषाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के लिए राज्यों में कोयले के संग्रह बनाने की योजना के संबन्ध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) उसका उद्योगों तथा कोयला व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां । योजना को समस्त राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । उसे उत्तर प्रदेश , पंजाब और केरल में लागू किया जा चुका है और अन्य के संबंध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). योजना के अन्तर्गत चुने हुए स्टेशनों को ब्लाक रेंकों अथवा आधे रेकों में नियोजित वहन होता है जो राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर के निश्चित किया जाता है । यह योजना छोटे पैमाने के उद्योगों और ईंटें पकाने के कोयले तथा सोफ्ट कोक के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए बनाई गई है। इससे इन श्रेणियों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक कोयले का वहन किया जा सकेगा ।

राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसन्धान संस्था

†९०१. श्री राम कृष्ण गुप्ता :
श्री चुनी लाल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसन्धान संस्था की स्थापना की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उसकी स्थापना के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसन्धान प्रयोगशाला की योजना का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहु प्रयोजन आदिम जातीय खण्डों का कार्यकरण

†९०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री हेम राज :
श्री डामर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बहु-प्रयोजन आदिम जातीय खण्डों के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है : और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने देश के आदिम जातीय विकास खंडों के परिसीमन एवं आवण्टन संबंधी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है। यह निर्णय किया गया है कि तीसरी योजना में समस्त देश में लगभग ३०० आदिम जातीय विकास खण्ड खोले जायें। प्रत्येक खण्ड का क्षेत्रफल लगभग २०० वर्ग मील होगा और जनसंख्या मोटे तौर से २५,००० होगी जिस में से ६६ २/३ प्रतिशत आदिवासी होंगे। तीसरी योजना में आदिम जातीय विकास खण्डों के आवण्टन का प्रावस्थान भाजन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्षों में क्रमशः १०, १०, २०, २५ और ३५ प्रतिशत होगा। वर्ष १९६१-६२ में देश में ३५ आदिम जातीय विकास खण्ड खोलने का प्रस्ताव है।

प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें केवल बहुप्रयोजन आदिम जातीय खण्डों के कार्यकरण, उनके कार्यकरण में सुधार करने के उपाय और तीसरी योजना में अधिक खण्ड चालू करने के सुझावों तक ही सीमित नहीं हैं वरन् उसमें अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से संबंधित कई अन्य मामलों, विभिन्न प्रशासकीय, विकास एवं विधान संबंधी मामलों, का उल्लेख भी है। इस प्रतिवेदन में सुझाए गए अधिकांश प्रशासकीय एवं विधान संबंधी कार्य राज्य सरकारों के पर्यालोकन में हैं।

राज्य सरकारों और केन्द्र के संबंधित मंत्रालयों से इन सिफारिशों की जांच करने और संगत क्षेत्रों में कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। एल्विन समिति के प्रतिवेदन में की गई कुछ सिफारिशों पर कार्यवाही के संबंध में अंतिम निर्णय अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग का प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने के पश्चात् किए जायेंगे।

पिछड़े वर्गों के लिये कसौटी

†९०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए कसौटी निश्चित में क्या अग्रेत्तर प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)** : भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों की अखिल भारतीय सूची न तैयार करने का निर्णय किया है। पिछड़े वर्गों की व्याख्या के लिए कसौटी चुनना राज्य सरकारों

---

†मूल अंग्रेजी में

पर छोड़ दिया गया है परन्तु उन्हें यह सूचित किया जा रहा है कि भारत सरकार के विचार से जाति के बजाए आर्थिक मानदण्ड लागू करना अधिक अच्छा होगा।

आयकर की बकाया

†९०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६१ को आयकर की बकाया की कुल राशि, आयुक्तों के प्रभारों के अनुसार, कितनी थी ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और आवश्यक सूचना देने वाला विवरण यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

राज्य सरकार के कर्मचारियों का नान-गजटेड केन्द्रीय संवर्ग के लिये स्थानान्तरण

†९०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नान-गजटेड संवर्ग की तीसरी और चौथी श्रेणियों में कुछ रिक्तायें राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण द्वारा भरने के प्रस्ताव से संबंधित ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) उस प्रस्ताव को कब प्रख्यापित किया जाएगा ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). योजना के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों से अभी उत्तर प्रतीक्षित हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुवद पाठयक्रम

†९०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम चालू करने की योजना के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अशोधित तेल का उपयोग

†९०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस के उपयोग की योजना अंतिम रूप से तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). गुजरात के तेल क्षेत्र के अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस के उपयोग की योजना विचाराधीन है और ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

नागा क्षेत्र में सेना की ज्यादतियां

†९०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा क्षेत्र में सैनिकों द्वारा की गई ज्यादतियों के आरोपों के संबंध में आदेशित जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). नागा क्षेत्र में पुर्र और मेटीकूमी दोनों की घटनाओं की दो सैनिक जांच न्यायालयों द्वारा छानबीन की गई थी। प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है।

पंजीकृत सहकारी आवास समितियां

९०९. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में ऐसी पंजीकृत सहकारी आवास सोसाइटियां कितनी हैं जिनके पास भूमि नहीं है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके नाम क्या है ;

(ग) उन्हें कितनी भूमि की आवश्यकता है ;

(घ) उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिनको सरकार ने भूमि अर्जित करने का आश्वासन दे रक्खा है; और

(ङ) उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिनके लिये भूमि अर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है और वह कार्यवाही कहां तक पहुंच चुकी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ऐसी १५५ पंजीकृत सहकारी आवास सोसाइटियों के नामों का, जिन्होंने दिल्ली प्रशासन से भूमि प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं, एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३०८६/७१**]

(ग) लगभग २,००० एकड़ । सोसाइटियों की भूमि सम्बन्धी आवश्यकताओं की अभी जांच की जा रही है।

(घ) किसी सहकारी आवास सोसाइटी को कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(ङ) श्री पी० जी० देव द्वारा नियम, १९७ के अंतर्गत दिये गये नोटिस के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया । उसमें दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास तथा वितरण सम्बन्धी योजना का विस्तृत विवरण दे दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जाने वाली सारी भूमि प्राप्त की जा रही है। इस भूमि को दिल्ली के व्यवस्थित विकास के लिये प्राप्त किया जा रहा है न कि किसी विशेष आवास सहकारी सोसाइटी के लिये। तथापि यह भूमि प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी सहकारी आवास सोसाइटियों आदि को पट्टेवारी के आधार पर वितरित कर दी जायेगी जिनके दावे प्रामाणिक समझे जायेंगे और जो योजना के अंतर्गत आते होंगे ।

सैनिक सामान का उत्पादन

९१०. श्री खुशवक्त राय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत की कुल आर्डनेंस फैक्टरियों में प्रतिवर्ष कितना-कितना सामान और किस लागत का (१) फौज के उपयोग के लिये बनाया गया तथा (२) कितना इतर सेना उपयोग के लिये बनाया गया;

(ख) केवल (१) सेना और (२) अन्य प्रयोजनों के लिये कितने मूल्य का सामान बनाया गया;

(ग) जिन आर्डनेंस फैक्टरियों में इतर सेना उपयोग के लिये सामान बनाया गया उनमें सेना के उपयोग के लिये बनाये गये सामान में कितनी कमी की गई; और

(घ) क्या यह सच है कि इतर सेना उपयोग के सामान का निर्माण सेना उपयोग के सामान के निर्माण को घटा कर ही हो सकता है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) चूंकि आर्डनेंस फैक्टरियों में विभिन्न प्रकार की कई चीजों का उत्पादन किया जाता है, पिछले तीन वर्षों में उनकी विस्तारपूर्वक राशियां

बता पाना संभव नहीं है। सेना के लिए और अन्य प्रयोजनों के निमित्त सभी आर्डनेंस फैक्टरियों में, पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाले सामान का मूल्य निम्नलिखित है:—

१९५८–५९	१९.५९ करोड़ रुपये
१९५९–६०	२५.१४ करोड़ रुपये*
१९६०–६१	३०.१४ करोड़ रुपये

*कुल उत्पादन के वास्तविक मूल्य के बारे में, अन्तिम आंकड़े नवम्बर १९६१ के शुरू में प्राप्य हो सकेंगे। इसलिए उपरोक्त आंकड़े अस्थायी हैं और अन्तिम रद्दोबदल के साथ संशोधन अधीन हैं।

चूंकि अधिकतर हालतों में आर्डनेंस फैक्टरियों में उत्पादन होने वाले सामान की लागत प्रगति-शीलता से कम होती गई है, उत्पादन में वास्तविक उन्नति उत्पादन के कुल मूल्य में उन्नति से कहीं अधिक है।

(ख) सेना और दूसरे प्रयोजनों के लिए आर्डनेंस फैक्टरियों में उत्पादित सामान का त्रोट मूल्य नीचे दिया गया है। उसमें भी १९६०–६१ के आंकड़े अन्तिम रद्दोबदल के कारण संशोधन अधीन हैं।

रुपये करोड़ में

	१९५८–५९	१९५९ ६०	१९६०–६१
सेना	१४.३१	१९.९४	२३.२२
वायुसेना, नौसेना तथा एम० ई० एस०	२.०८	१.७५	१.२७
असैनिक व्योपार	३.२०	३.४५	५.६१*

*इसमें बार्डर रोड्ज आर्गेनाइजेशन को वितरित किया गया सामान भी शामिल है जिसे दाती निर्गम (पेमेंट इश्यु) शुमार किया जाता है।

(ग) अन्य प्रयोजनों के लिए सामान तैयार करने के निमित्त सेना के लिये सामान के उत्पादन में कमी नहीं की जाती। प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए उत्पादन को बहुत भारी प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) जी नहीं।

राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आवण्टित धन का उपयोग

†९११. **श्री कुन्हन्:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्यों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आवण्टित समस्त राशि व्यय की है; और

(ख) यदि राज्यों ने समस्त राशि व्यय नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा):** (क) जिन सात राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है उनमें से महाराष्ट्र सरकार ने समस्त राशि व्यय की है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

---

†मूल अंग्रेजी में

शासकीय रहस्य अधिनियम[1]

†९१२. **श्री पांगरकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९६१ से जून, १९६१ तक शासकीय रहस्य अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए अथवा पता लगे ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** एक।

दिल्ली में अपहरण की घटनायें

†९१३. **श्री पांगरकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष १९६१ के प्रथम छै महीनों में विवाहित महिलाओं और अविवाहित लड़कियों के अपहरण के कितने मामले हुए;

(ख) वर्ष १९६० की उसी अवधि में यह संख्या कैसी है; और

(ग) इस अवधि में कितनी महिलायें और लड़कियां बरामद की गईं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) और (ख).

		विवाहित महिलायें	अविवाहित लड़कियां
	१९६१	९	३०
	१९६०	६	१७
(ग)			
	१९६१	७	२६
	१९६०	५	१७

मराठी भाषा का विकास

†९१४. **श्री पांगरकर :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष १९६१–६२ में मराठी भाषा के विकास के लिए अभी तक कोई अनुदान मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मराठी नाटक का संवर्धन

†९१५. **श्री पांगरकर :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने १९६०–६१ में मराठी नाटक के विकास के लिए अनुदान दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो किसको और दी गई सहायता की राशि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी मे

[1]Official Secrets Act

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). हां, श्रीमान्।

निम्नलिखित संस्थाओं को :

संस्था का नाम	राशि
१. महाराष्ट्रीय कलौपासक, पूना	१,५०० रुपए
२. भारत नाट्य संशोधन मन्दिर, पूना	२,००० रुपए
३. रंग भूमि, बम्बई	२,००० रुपए
४. थियेटर यूनिट, बम्बई	२,००० रुपए
५. नाट्य संघ, बम्बई	२७,००० रुपए
६. इंडियन नेशनल थिएटर, बम्बई	५,००० रुपए
७. थिएटर ग्रुप, बम्बई	१,००० रुपए

मुफस्सिल नगरों में खेलों के स्टेडियम

†९१६. **श्री न० म० देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में मुफस्सिल नगरों में खेलों के स्टेडियम खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में झरग्राम में खेलों के स्टेडियम बनाने का कार्यक्रम शामिल किया गया है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भूमि की लागत को छोड़ कर १ लाख रुपये तक लागत के कुछ छोटे आकार के उपयोगी स्टेडियम बनाने के लिये वित्त देने की सरकार की एक योजना है। प्रत्येक मामले में सरकारी अनुदान निर्माण की लागत का ५० प्रतिशत या २५,००० रुपये तक, और इनमें से जो राशि कम हो वहां तक सीमित होगी।

(ख) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में झरग्राम मे खेल के स्टेडियम बनाने के लिये वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है।

'शक्तिमान' ट्रक

†९१७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक 'शक्तिमान' ट्रकों का उत्पादन कितना हुआ है ;

(ख) देश में ट्रकों के पुर्जों का निर्माण कितने प्रतिशत होता है; और

(ग) इस शक्तिमान ट्रक की लागत कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जुलाई, १९६१ के अन्त तक २०५० शक्तिमान ट्रक तैयार हुए हैं।

(ख) ट्रकों में अनुमानतः ४३.३ प्रतिशत देशी पुर्जे होते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह बढ़ कर ५७.४ प्रतिशत हो जाएगा।

(ग) पिछली बाडी और सैनिक फिटिंग के साथ पूरा होने पर शक्तिमान ट्रक की कुल लागत वित्तीय वर्ष १९५९--६० मे ३७,३६८ रुपये ८१ नये पैसे है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मन्त्री की उड़ीसा यात्रा

†९१८. **श्री कुन्हन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६१ में वह उड़ीसा राज्य में किसी समय गये थे ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ;

(ग) उन स्थानों पर कितना समय ठहरे, और

(घ) उन पर कितना व्यय हुआ ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां, अपनी निजी हैसियत से ।

(ख) झरसुगुड़ा, सबलपुर, बारगढ़, बोलंगीर, कातामंजी, बनवामुड़ा, टिटलागढ़ और सुन्दरगढ़ ।

(ग) लगभग ५ दिन ।

(घ) सवाल नहीं उठता, क्यों कि उड़ीसा में उनका सम्पूर्ण व्यय, उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान ने किया था । दिल्ली से उड़ीसा और वापसी की यात्रा का व्यय मंत्री ने स्वयं दिया, सरकार ने नहीं ।

नाविक विहार[१]

†९१९. **श्री किस्तैया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों के पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष नाविक विहारों पर कुल कितनी राशि खर्च की है ;

(ख) इस वर्ष उसके कब होने की संभावना है, और

(ग) इसके लिये संसद् सदस्यों का चुनावों कैसे होता है ।

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). इस प्रकार नाविक विहार संसद् सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष नहीं होते और इसलिये इस संबन्ध में व्यय का सवाल नहीं उठता । तथापि कोचीन से बम्बई तक बेड़े की यात्रा में संचालन संबंधी कुशलता को आंकने के लिये प्रतिवर्ष सितम्बर में प्रयोग किये जाते हैं । संसद् के कुछ सदस्यों को संसद् कार्य विभा के परामर्श से इन प्रयोगों को देखने के लिये आमंत्रित किया जाता है । जहाजों में स्थान की उपलब्धि के अनुसार उनकी संख्या अनिवार्यत : सीमित होती है । ये प्रयोग इस वर्ष १९ से २३ सितंबर तक होंगे ।

विदेशों के साथ संविदाएं

†९२०. **श्री किस्तैया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसार के भिन्न-भिन्न देशों के साथ इस समय प्रतिरक्षा मंत्रालय के जितने सीधे संविदा हैं उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उन पर अब तक कुल कितनी विदेशी पूंजी खर्च की गई है ;

(ग) भारतीय आयुध फैक्ट्रियों द्वारा तैयार माल के निर्यात में किन देशों को दिलचस्पी है ; और

(घ) पिछले दो वर्षों में इसके द्वारा कुल कितनी राशि कमाई गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Naval excursions

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) २३ ।

(ख) अधिकांश संविदाओं का वर्गीकृत स्वरूप होने के कारण इस में अन्तर्ग्रस्त कुल विदेशी मुद्रा संबंधी जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) और (घ). आयुध फैक्टरियों में तैयार माल के क्रम में बहुत से देशों को दिलचस्पी है। उनके नाम या इस प्रकार कमाई गई कुल राशि बताना लोक हित में नहीं है ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

६२१. **श्री क० य० मालवीय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अपनी कुछ फाइलों पर अभी भी अंग्रेजी में ही नोट लिखकर भेजता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय के हिन्दी सेक्शनों में अंग्रेजी में काम होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिये कब तक और क्या कदम उठाये जायेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण लोक सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अधिकांश टिप्पणी (नोटिंग) और प्रारूप (ड्राफ्टिंग) हिन्दी में ही किये जाते हैं ; लेकिन जहां विषय का संबंध कर्मचारियों (स्टाफ) के सेवा मामलों या केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार (ए० जी० सी० आर), भारत सरकार के अन्य मंत्रालय विभाग और प्राइवेट फर्मों आदि से पत्र-व्यवहार से है, अभी टिप्पणी (नोटिंग) अंग्रेजी में ही लिखी जाती है।

(ख) और (ग). शिक्षा मंत्रालय के हिंदी प्रभाग के अनुभाग, मंत्रालय के अन्य प्रभागों के अनुभागों की तरह ही हैं। हिन्दी अनुभागों में किये जाने वाले काम की प्रकृति में तथा अन्य अनुभागों में किए जाने वाले काम की प्रकृति में कोई भिन्नता नहीं है। सरकारी काम-काज में हिन्दी को लागू करने के विषय पर गृह-मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञापन के अनुसार सचिवालय के उन चुने हुए अनुभागों में ही जहां अधिकतर कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान है, फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणी (नोटिंग) लिखने की अनमति प्रयोगात्मक रूप में दी गई है। उस ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया है कि आरंभ में हिन्दी पत्र-व्यवहार से सम्बन्धित फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणी (नोटिंग) के प्रयोग को लागू करना लाभदायक होगा ।

इस नीति (पालिसी) को एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार लागू करने का प्रस्ताव है। जहां सम्भव हो सकता है, हिन्दी प्रभाग के अनुभागों में फाइलों पर टिप्पणी (नोटिंग) हिन्दी में भी लिखी जाती है ।

उड़ीसा में स्कूलों के होस्टल

†६२२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६१–६२ में अब तक स्कूलों के होस्टलों के निर्माण के लिये उड़ीसा सरकार को कोई ऋण मंजूर किया है, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में उड़ीसा में विभिन्न संस्थाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

उड़ीसा में विद्यार्थियों के दौरों के लिये सहायता

†९२३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक उड़ीसा राज्य की किन किन संस्थाओं को विद्यार्थियों के दौरों के लिये वित्तीय सहायता दी गयी थी और प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी राशि की ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५९–६० विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये प्रशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]

१९६०–६१ अभी सूचना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

१९६१–६२ कुछ नहीं ।

अहिंसा सम्बन्धी विश्व-विद्यालय पाठ्य-क्रम

†९२४. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिंसा एवं महात्मा गांधी के संबंध में एक विश्वविद्यालय पाठ्य-क्रम जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). इसके संबंध में एक सुझाव प्राप्त हुआ था और वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बता दिया गया था ।

करीमगंज में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

†९२५. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश करने के लिये करीमगंज के पास ग्यारह पाकिस्तानी राष्ट्रजन जून, १९६१ में गिरफ्तार किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो सीमा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर)**: (क) जी, हां ।

(ख) जो कार्यवाही की गई है और की जा रही हैं वे ये हैं :

(१) सीमा की बाहर वाली चौकियों और तलाशी वाली चौकियों को मजबूत करना ।

(२) सीमा की बाहर वाली चौकियों के कर्मचारियों द्वारा गश्त को बढ़ाना ।

विदेश भेजे गये विद्यार्थी

९२६. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में उनके मंत्रालय के अधीन विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिये भेजे गये और उन देशों तथा विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उनके अध्ययन के विषय क्या हैं ; ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). १९६०–६१ में विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन के लिए कोई भी विद्यार्थी विदेश नहीं भेजा गया, किन्तु भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच विनिमय कार्यक्रम के अधीन उन विद्यार्थियों को जो पहले से ही संयुक्त अरब गणराज्य में थे, अरबी भाषा में छात्रवृत्तियों के लिए अनुमोदित कर दिया गया । वे अल-अज़हर, काहिरा और दमिश्क विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं ।

मन्त्रालयों में हिन्दी अनुभाग

९२८. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों के हिन्दी अनुभाग अब भी अपना कार्य अंग्रेजी में करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए अनुदेश दिये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो ये अनुदेश कब तक दिये जायेंगे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). मार्च १९६१ में यह अनुदेश जारी किया गया कि चुने हुए अनुभागों में जिन में कि अधिकांश लोग पहले से ही हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी के अलावा , प्रयोगात्मक रूप से, हिन्दी के व्यवहार की भी छूट दे दी जाय । विभिन्न मंत्रालयों में इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

विदेश भेजे गये सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल

९२९. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६० से जून, १९६१ तक कितने सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल विदेश भेजे गये ,

(ख) ये प्रतिनिधिमण्डल किन-किन प्रयोजनों के लिये भेजे गये थे, और

(ग) उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हमायून् कबिर) : (क) १४ ।

(ख) विदेशों से सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिये ।

(ग) रुपये १९१६३२.८२ नये पैसे ।

निजी थैलियां

९३०. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजे-महाराजों की नीजी थैलियों की राशि जो उन्हें उत्तराधिकार में मिलती है, कुछ कम कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राजे-महाराजों के नाम क्या हैं और उनकी मूल तथा कम की गई निजी थैलियों की क्रमशः राशियां क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख)

राजे-महाराजों के नाम	मूल राशि	कम की गई राशि
	रुपये	रुपये
डेलाथ के ठाकुर .	३,०००	२,४००
महाराजा बीकानेर .	१७,००,०००	१०,००,०००
बेजा के ठाकुर	३,०००	२,०००
महाराजा बड़ोदा . .	२६,५०,०००	१४,५४,०००
महाराजा जोधपुर . .	१७,५०,०००	१०,००,०००
ढाडी के ठाकुर . .	३,०००	२,४००
डारकोटी के राना . .	३,०००	२,४००
महाराजा मनीपुर . .	३,००,०००	२,५४,०००
मंगाल के राना . .	३,०००	२,४००
भोपाल के शासक . .	११,००,०००	६,७०,०००
महाराजा बस्तर .	२,१०,०००	१,५०,०००
कलसिया के राजा . . .	६५,०००	६०,०००

प्रारम्भिक हिन्दी एकक

९३१. श्री क० भे० मालवीय : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय में प्रारम्भिक हिन्दी एकक बनाने का विनिश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या ये एकक हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को एकत्रित करके बनाया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं । लेकिन २७ मार्च, १९६१ को यह अनुदेश जारी किया गया कि अंग्रेजी के अलावा, प्रयोगात्मक रूप से, हिन्दी में भी टिप्पणी

लिखने की इजाज़त दी जाये सैक्रिटेरियट के ऐसे चुने हुए अनुभागों में जहां कि अधिकांश कर्मचारी पहले से ही हिन्दी जानते हैं।

(ख) पूरा विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक मंत्रालय से यह अनुरोध किया जा रहा है कि इस विषय पर भी वह अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजा करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न न्यायालयों के विचाराधीन मामले

९३२. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९६१ को भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने व्यवहार तथा दण्ड सम्बन्धी मामले विचाराधीन थे ; और

(ख) इन मामलों को जल्दी से जल्दी निबटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]**

भारत के गजट में हिन्दी के भाग

९३३. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६१ से अब तक भारत के गजट के कौन कौन भाग हिन्दी में प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि कोई नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग). हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित कार्यक्रम के अनुसार गजट आफ इंडिया के चुने हुए भागों को हिन्दी में भी प्रकाशित करने का प्रबन्ध १९६२–६३ से होना है।

आयुध फैक्टरियों में निर्मित सामान

†**९३४. श्री चुनी लाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन फैक्टरियों में असैनिक उपयोग के लिये कौन सी मशीनें बनाई जा रही हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : अब आयुध फैक्टरियों में जो मशीनें बनाई जा रही हैं वे ये हैं :—

(१) शुद्ध माप औजार कमरा खराद
(२) कैपस्टन खराद $^{1}/_{2}$ इंच
(३) ,, ,, १ $^{1}/_{4}$ इंच
(४) हाइड्रोलिक सर्फस ग्राइंडर २४ इंच
(५) टूल और कटर ग्राइंडर
(६) मकैनिकल सर्फेस ग्राइंडर
(७) हाइड्रोलिक हैंड प्रैस

---

†मूल अंग्रेजी म

(८) टूल ग्राइडर १४

(९) हाइड्रौलिक हैकसा ।

ये प्रतिरक्षा की जरूरतों को पूरी करने के लिये असैनिक क्षेत्र के लिये भी उपलब्ध होनी हैं ।

हिन्दी अनुभाग

९३५. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय का राजभाषा अनुभाग अभी भी अपना काम अंग्रेजी में करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे हिन्दी में अपना काम करने के आदेश जारी किए जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-पंत्री (श्री दातार): (क) हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा संसदीय प्रश्नों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये, अंग्रेजी के अतिरिक्त, हिन्दी का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) सभी कार्यालयों को, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का उपयोग करने के लिये आवश्यक आदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी के डिप्लोमा वालों को रोजगार

†**९३६. श्री चुनी लाल:** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन स्थानों पर जहां अंशकालिक आधार पर इंजनियरी के उच्च प्रशिक्षण की सुविधाएं विद्यमान हैं, इंजनियरी के पहली श्रेणी के डिप्लोमा वाले लोगों को शिशिक्षुओं के तौर पर रोजगार देने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ताकि वे इंजीनियरी डिग्री या ए० एम० आ० ई० (भारत) की योग्यता प्राप्त कर के अपनी योग्यता को बढ़ा सकें ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** सरकार ने डिप्लोमा वाले लोगों को रोजगार दिलाने के लिये, ताकि वे अंश कालिक आधार पर डिग्री या समानवर्ती पाठ्य क्रम कर सकें , कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया है । तथापि, डिप्लोमा वालों और दूसरे शिक्षित लोगों के लिये, जो पहले से काम पर लगे हुए हैं या अंशकालिक पाठ्यक्रम करने के लिये शिशिक्षुओं के तौर पर काम कर रहे हैं, सुविधाएं विद्यमान हैं या उनका प्रबन्ध किया जा रहा है , जिन से वे लोग डिग्री या समान योग्यता के लिये तैयारी कर सकेंगे । ऐसी सुविधायें इन स्थान पर होंगी :—

(१) जादवपुर विश्वविद्यालय	डिग्री—विश्वविद्यालय की
(२) दिल्ली पोलिटैक्निक दिल्ली	राष्ट्रीय डिप्लोमा
(३) प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित १२ केन्द्र— दिल्ली, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, पूना, बंगलौर, सिकन्दराबाद, कोचीन, जोधपुर, जबलपुर, बम्बई और अहमदनगर ।	इंजनियरों की संस्था (भारत) के क और ख अनुभागों की परीक्षाओं के लिये तैयार करने के पाठ्यक्रम

†मूल अंग्रजी में

दिल्ली में बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन

†९३७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली के बुनियादी स्कूलों द्वारा उन के काम की पूर्णता संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये स्थापित की गई अंकन समिति द्वारा क्या प्रगति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोई रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) बुनियादी स्कूलों के कार्य संबंधी प्रश्नावलि ८५३ बुनियादी स्कूलों में, दिल्ली नगरपारिका की अनुज्ञा से, जिन के प्रशासनिक नियंत्रण में ये बुनियादी स्कूल हैं, परिचालित कर दी गई है। अभी तक केवल २७६ स्कूलों ने प्रश्नावलि को पूरी तरह भरकर लौटाया है। समिति के सदस्य कछ बुनियादी स्कूलों में भी गये हैं और उन्होंने अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा उन के मातापिता से कुछ सूचना मांगी है। समिति का प्रतिवेदन तब प्राप्त होगा जब प्रश्नावलि में पूछी गई सूचना शेष बुनियादी स्कूलों से प्राप्त हो जाएगी। काम प्रगति पर है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

जलियांवाला बाग स्मारक

†९३८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के काम को पूरा करने में और क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) अब तक उस पर कुल कितना व्यय हो चुका है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) राष्ट्रपति ने १३ अप्रैल १९६१ को स्मारक का उद्घाटन किया था।

(ख) लगभग ९२५,००० रुपये ।

पाकिस्तान को कोयला का निर्यात

†९३९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक पाकिस्तान को कितने टन कोयला भेजा गया है; और

(ख) १९६२ में कितना कोयला भेजने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जून १९६१ के अन्त तक ५९१,००० मीट्रिक टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत-पाकिस्तान व्यापार करार (१९६०--६२) के अन्तर्गत जो मार्च १९६२ तक के लिये है, लगभग ३९६,००० मीट्रिक टन कोयला १९६२ वर्ष के पहले तीन महीनों में भेजा जाना है।

दिल्ली में स्कूल

†**९४०. श्री कुन्हन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्राइमरी, जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक, मिडिल और हायर सैकंडरी स्कूलों की कितनी संख्या है जिन में ४० या अधिक अध्यापक काम करते हैं ; और

(ख) जिन स्कूलों में ४० से अधिक अध्यापक हैं उन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ४३

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

दिल्ली और नई दिल्ली में तम्बुओं में प्राथमिक विद्यालय

९४१. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में १ जुलाई, १९६१ को ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय थे जो तम्बुओं में चल रहे थे; और

(ख) इन विद्यालयों को पक्के मकानों में ले जाने की क्या योजना बनाई गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १६८

(ख) यह विद्यालय दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं और इन के लिये मकान बनाने की व्यवस्था तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई है।

दिल्ली और नई दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय

९४२. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिन में पंखों की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ४०४।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश भेजे गये शिक्षक

९४३. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में कुल कितने शिक्षक किन किन देशों को किन किन विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिये भेजे गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये शिक्षक किन किन विषयों के लिये भेजे गये थे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय का हिन्दी अनुभाग

६४४. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के हिन्दी अनुभाग को समद्ध करने के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय पुस्तका-लय में हिन्दी पुस्तके नियमित रूप से खरीदी जाती हैं यदि ये पुस्तकालय के निम्नलिखित उदेश्यों की पूर्ति करती हों :

(१) भाषा को ध्यान में न रखते हुए ऐसी पुस्तकों की खरीद जो भारत सरकार के सरकारी काम के लिए अपेक्षित हों ।

(२) भारत सरकार के कार्यालयों में काम करने वालों के लिए सामान्य रुचि की चुनी हुई पुस्तकों की खरीद ।

गैर-शिक्षक प्राइवेट बी० ए० उम्मीदवार

६४५. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि प्राइवेटली (गैर-शिक्षक आदि) बी० ए०, एम० ए० या अन्य परीक्षाओं को देने की अनुमति देते हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

साहित्य रत्न परीक्षा

६४६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने यह सुझाव आया है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य रत्न परीक्षा को, जिसको कि सरकार ने बी० ए० से अधिक माना है, एम० ए० के बराबर माना जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) भारत सरकार ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्यरत्न परीक्षा के हिन्दी स्तर को बी० ए० के हिन्दी स्तर से उच्च माना है परन्तु एम० ए० के स्तर के समकक्ष नहीं। इसे एम० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान करने के संबंध में सरकार को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त होने पर उसके गुणावगुणों को देखते हुये प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षा का माध्यम

९४७ श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कौने-कौन से विश्वविद्यालयों ने स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये हिन्दी को माध्यम के रूप में जलाई, १९६१ तक मान लिया है ; और

(ख) कौन-कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो भविष्य में हिन्दी को माध्यम बनाना चाहते हैं और उनके द्वारा कब तक ऐसा करने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षा का माध्यम

९४८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई सर्वेक्षण किया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कितने शिक्षक हिन्दी माध्यम से अपने विषय पढ़ा सकेंगे ; और

(ख) क्या इस संबंध में शिक्षकों को नये माध्यम से शिक्षा देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी, नहीं।

हिन्दी में वैज्ञानिक और पारिभाषिक पुस्तकों की प्रदर्शनी

९४९. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, १९६१ से प्रारम्भ होने वाली भारतीय उद्योग प्रदर्शनी में हिन्दी की वैज्ञानिक और टेक्नीकल पुस्तकों की प्रदर्शनी भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर, १९५७ में दिल्ली और उसके पश्चात् देश के अन्य कई स्थानों में हिन्दी की वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया।

चूंकि भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी औद्योगिक क्षेत्र में हुये विकास का दिग्दर्शन कराने के लिये की जा रही है, इसलिये ऐसा अनुभव किया गया है कि वहां पुस्तकों की प्रदर्शनी असंगत होगी।

जैसा कि भूतकाल में किया गया था, सरकार पुस्तक प्रदर्शनी में भाग लेने की इच्छुक है और उपयुक्त अवसर आने पर उचित कार्रवाई करेगी।

शिक्षा सम्बन्धी मितव्ययता समिति

९५०. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के लिये कोई मितव्ययता समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विचारार्थ विषय क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) शिक्षा के लिये कोई मितव्ययता समिति नहीं बनाई गई है। किन्तु आयोजना आयोग की प्रायोजनाओं के लिये बनाई गई समिति ने एक अध्ययन दल का गठन किया है जो चुनी हुई शैक्षणिक योजनाओं को कार्यान्वित करने में मितव्ययता और कार्यकुशलता के उपायों के सुझाव देगा।

(ख) इस दल के कुछ प्रायोगिक अध्ययन सम्पूर्ण होने के बाद ही इसकी कार्य सीमा का निर्णय होगा। इस समय दल इस प्रकार के अध्ययन कर रहा है।

पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद

९५१. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय किन-किन विभिन्न अधिकरणों (एजेंसियों) द्वारा किन-किन पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करा रहा है ;

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस काम में पुनरावृत्ति न हो, इसलिये इसका समन्वय किस प्रकार किया जाता है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) शिक्षा मंत्रालय ने अनुवाद की निम्न दो योजनायें संचालित की हैं :—

१. विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों और उत्कृष्ट रचनाओं का हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन।

२. सामान्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद और प्रकाशन। योजनाओं के ब्यौरे संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) **(अ) उपरोक्त योजना १ के अन्तर्गत हुई प्रगति**

(१) योजना में निहित व्यवस्था के अनुसार, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में समन्वय समितियों की स्थापना कर दी गई है।

(२) विभिन्न प्रदेशों के लिये जो पुस्तकें नियत की गई हैं उन्हें अनवाद करने वाले अभिकरणों (एजेंसियों) अर्थात् विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों की शैक्षणिक संस्थाओं, में बांट दिया गया है।

(३) अनुवाद करने वाले अभिकरणों (एजेंसियों) ने भी अधिकांश पुस्तकें अनुवादकों को दे दी हैं।

(४) इस योजना के अन्तर्गत अनुवाद होने वाली पुस्तकों के संबंध में कापीराइट प्राप्त करने के लिये प्रकाशकों से पत्र-व्यवहार जारी है।

(५) प्रारम्भिक खर्च के लिये अनुवाद करने वाले अभिकरणों (एजेंसियों) को कुछ रुपया दे दिया गया है।

(६) समन्वय समितियों के लिये आवश्यक स्टाफ की स्वीकृति दे दी गई है।

(आ) उपरोक्त योजना २ के अन्तर्गत हुई प्रगति

(१) विभिन्न प्रकाशकों से प्राप्त निविदाओं (टेंडर्स) की जांच की जा चुकी है।

(२) सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम दरों पर अन्य निविदाकारों से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

(३) आठ निविदाकारों में से चार निविदाकार सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्य करने के लिये राजी हो गये हैं, अतएव उन्हें ११ पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य सौंप दिया गया है।

(ग) योजना संख्या १

केन्द्र में एक स्थायी सलाहकार समिति और राज्य स्तरों पर समन्वय समितियों की नियुक्ति करके समन्वय सुनिश्चित कर लिया गया है।

योजना संख्या २

समन्वय का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि योजना सीधे ही अमल में लाई जा रही है।

बनारस म एक और दो नये पैसे के सिक्के

†९५३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान हाल की समाचारपत्र की सूचना की ओर दिलाया गया है कि बनारस (उत्तर प्रदेश) में एक और दो नये पैसे के सिक्के अप्राप्य हो गये हैं ; और इनकी चोर बाजारी हो रही है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है या कोई कार वाई की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). रिजर्व बैंक ने जो पूछताछ की थी उससे यह पता नहीं चलता कि बाराणसी में एक और दो नये पैसों के सिक्के दुर्लभ हो गये हैं। हाल

---

†मूल अंग्रेजी में

के महीनों में देश के बहुत से भागों में छोटे सिक्कों की मांग में सामान्य तौर पर वृद्धि हो गई है और अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये अप्रैल १९६१ के मध्य से टकसाल के काम के घंटे तदनुसार बढ़ा दिये गये हैं ।

दिल्ली में बहरे और गूंगे लोगों का सम्मेलन

†१५४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बहरे और गूंगे लोगों के लिये हाल ही में जो सम्मेलन हुआ था उसमें किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है और क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ग) क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी हां ।

असिस्टेंटों के वेतन क्रम

†१५५. **श्री हेम बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असिस्टेंटों की संथा के इस आशय के अभ्यावेदन पर कि वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के पश्चात् उनके वेतन क्रम में संशोधन किया जाए, कोई अन्तिम फैसला कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सब संगत पहलुओं पर अत्यन्त ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत सरकार ने फैसला किया है कि वेतन आयोग की विशिष्ठ सिफारिशों के आधार पर पहले निर्धारित किये गये संशोधन वेतन क्रम को बढ़ाना संभव नहीं है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कनाडा से सहायता

†१५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा से भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता की कोई पेशकश प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की ; और

(ग) किस प्रकार इस का उपयोग करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). ३१ मई और २ जून, १९६१ के बीच वाशिंगटन में हुई बैठक में कनाडा ने भारत की तीसरी योजना के पहले दो वर्षों के लिये ५६० लाख कनाडी डालरों की सहायता उपयुक्त विधायिनी कार्रवाई या अन्य दूसरे प्राधिकरण के अधीन रहते हुये देने की पेशकश की। भारत सरकार को इस बारे में कनाडा सरकार से कोई औपचारिक पेशकश नहीं आई।

विमानों के जैट इंजन

†**९५७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैट इंजनों का उत्पादन आरंभ करने के लिये हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कारखाना, बंगलौर ने अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) ये इंजन किन विमानों के लिये उपयुक्त हैं; और

(ग) अब तक कितने इंजन बनाये जा चुके हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कंपनी ने 'आरैफस' किस्म का एक जैट इंजन बनाना आरंभ किया है।

(ख) और (ग). यह सूचना देना लोकहित में वांछनीय नहीं है।

स्वर्ण-खान

†**९५८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने की खानों के काम को बढ़ाने एवं उनमें तेजी से प्रगति करने सम्बन्धी योजना की भारत सरकार जांच कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा किसी ऐसी विशेष योजना की जांच नहीं हो रही है। इतना जरूर है कि दूसरी योजना में सोने के निक्षेपों की खोज करने का काम शुरू किया गया था और तीसरी योजना में भी चालू है।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के द्वारा मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के रामगिरी सोने के क्षेत्रों में क्रमशः कोलार और गडग सोने के क्षेत्रों सम्बन्धी भूतत्वीय नक्शे तैयार हो गये हैं।

इन सर्वे के आधार पर कोलार सोना खान क्षेत्र सोना खोजने का काम खुदाई एवं तेल छिद्रण करके शुद्ध कर दिया गया था। पहली बार मैसूर का खान क्षेत्र खोज के लिये चुना गया था और ऐसे प्रयत्न किये गये थे जिससे कि इस खान का जीवन समय और बढ़े। आरम्भिक खदाई की कार्यवाही करने के बाद दो बड़ी खाइयां खोदने का काम मैसूर खान के दक्षिण में शुरू किया गया। इस क्षेत्र में पांच बड़े बड़े गढ़े बनाये गये। कुल ५३९ मीटर की अन्तर तक खुदाई की गई। हालांकि इन गढ़ों में लोड लगाये गये थे किन्तु उससे जो सोना निकला वह अनार्थिक था। क्योंकि वह प्रति टन ०·६ पेनीवेट से भी कम था। इस बात से यह स्पष्ट हो गया है कि वहां प्राप्त होने वाले सोने से कोई आय नहीं हो सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बात को देखते हुए जब कि इस अन्तर्कालीन समय में मैसूर खान क्षेत्र के अन्य दूसरे भागों में विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है और खुदाई का काम करने की योजना चल रही है भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई का काम इस खान क्षेत्र के उत्तरी भाग में नन्ददुर्ग खान क्षेत्र में शुरू कर दिया है जहां कि खदाई के दौरान में उत्साहवर्द्धक आसार मिले थे। पहला गढ़ा १६८·१७३ मीटर की गहराई पर बन्द कर दिया गया था। ६०·३ मीटर की गहराई पर १·२२ मीटर मोटा लोड लगाया गया। इस क्षेत्र में सोने का मूल्य १·२२ से १·५ पेनीवेट प्रति टन का अनुमान है। नन्ददुर्ग में काफी खर्चा करने के बाद ज़मीन के भीतर विकास कार्य शुरू करने से पूर्व कम से कम आधे दर्जन गढ़े बनाये जायेंगे जिससें कि नन्ददुर्ग खान क्षेत्र में काम चलाऊ लोड का पता लग सके और जो लाभ की दृष्टि से भी ठीक हो।

भारतीय खान ब्यूरो तेल छिद्रण के द्वारा रामगिरी सोना खान क्षेत्र में खोज का काम कर रहा है।

मैसूर में हुट्टी सोना खान और मद्रास केरल में वाईनद सोना खान क्षेत्र का विस्तृत भूतत्वीय नकशे बनाने का काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जायेगा।

पंजाब में पुरातत्वीय-खुदाई

†९५९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ में पंजाब राज्य में और पुरातत्वीय खुदाई का काम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर यह खुदाई कार्य होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) वर्ष १९६१–६२ के लिये खुदाई का कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून और मद्रास की परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुदान

†९६०. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने देहरादून तथा मद्रास की किन्हीं योजनाओं के लिये कुछ अनुदान देना स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) तथा (ख). जी हां। इस सम्बन्ध में लोक-सभा में ९–८–१९६१ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४७६ के उत्तर को कृपया देखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में नये स्कूल

†९६१. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या की पूर्ति करने के लिये अलग अलग से कितने प्राइमरी, मिडिल तथा हायर सैकिण्डरी स्कूल खोले गये और कितने प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल तथा कितने मिडिल स्कूल हायर सैकिण्डरी स्कूल बनाये गये ;

(ख) वे कहां कहां पर हैं तथा उनमें कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है, और क्या इससे आवश्यकता की पूर्ति हो गई है; और

(ग) क्या उनके लिये भवन, सामान तथा अध्यापक आदि के बारे में भी पहले से आश्वासन मिल गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) (१) नये खोले गये प्राइमरी (जूनियर वेसिक स्कूलों को शामिल करके) स्कूलों की संख्या—७६ ।

(२) नये खोले गये मिडिल स्कूलों (सीनियर वेसिक स्कूलों को शामिल करके) की संख्या १ ।

(३) प्राइमरी/जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या जिन्हें मिडिल / सीनियर बेसिक स्कूल बनाया गया—३१ ।

(४) नये खोले गये हायर सैकण्डिरी स्कूलों की संख्या—२२

(ख) ये स्कूल कहां कहां खोले गये हैं यह विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]** इन स्कूलों में ४०,००० प्राइमरी तथा मिडिल कक्षा तक के बच्चों का और ८,००० हायर सैकिंडरी क्लास तक के बच्चों का प्रवेश हो सकता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो और बच्चों का भी प्रवेश हो सकता है। इस समय की सभी आवश्यकता की पूर्ति ये स्कूल कर देते हैं ।

(ग) ये स्कूल वर्तमान स्कूलों में दूसरी पारी लगा कर अथवा तम्बुओं में खोले गये हैं। तम्बुओं में ये स्कूल काम कर रहे हैं उनके लिये यथाशीघ्र भवन बनाने की कार्यवाही की जा रही है। आवश्यक सामान एवं अध्यापकों की व्यवस्था की जा रही है ।

हमदर्द दवाखाने पर आय-कर लगाना

९६२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के हमदर्द दवाखाना (वक्फ) को आय-कर से मुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस दवाखाने से आय-कर के रूप में जो राशि वसूल की थी, उसमें से भी कुछ वापिस किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें से कितना धन अब तक वापस किया जा चुका है और कितना अभी वापस करना शेष है तथा यह किस आधार पर वापस किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). आयकर आयुक्त (कमिश्नर आफ इनकम टैक्स), नई दिल्ली बनाम हमदर्द दवाखाने के मुकदमें में पंजाब उच्चन्यायालय (हाई कोर्ट) द्वारा दिये गये फैसले (३९ आई० टी० आर० १४४) के अनुसार वक्फ की आमदनी के कुछ हिस्से को आय कर से छूट दे दी गई है ।

(ग) और (घ). भारतीय आयकर अधिनियम (इनकम टैक्स एक्ट), १९२२ की धारा ५४ के उपबन्धों को देखते हुये यह सूचना नहीं दी जा सकती ।

कोयला धोने के कारखाने

†**९६३. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के दौरान में कोयला धोने के कितने कारखानों की स्थापना करने का विचार है एवं वे कहां कहां खोले जायेंगे ; और

(ख) वर्ष १९६१–६२ में कितने कोयला धोने के कारखाने खोले जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) तथा (ख). दुग्दा में बनाये जाने वाला कारखाना लगभग पूरा हो चुका है और सितम्बर/अक्तूबर १९६१ तक पूरा हो जायेगा । भोजूदीह और पाथरदीह में बनाने वाले कारखाने क्रमश: १९६२ और १९६३ के मध्य तक पूरे होंगे । खदानों में उत्पादित कोयले की अतिरिक्त मात्रा को धोने के लिये जो कि इन कारखानों को भेजा जायेगा, यह विचार है कि दुग्दा, भोजदीह तथा दुर्गापुर में अतिरिक्त धोने के साधन बढ़ायें जाये । कथारा, कर्णपुर और सुदामदीह में कोकिंग कोयला धोने के लिये कारखाना बनाने का विचार है ।

गांवों में जीवन-बीमा

†९६४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
डा० सामन्त सिंहार :
श्री बालाकृष्णन् :
श्री साधन गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री २० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायतों के द्वारा गांवों में जीवन-बीमा चालू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). पंचायतों के द्वारा जीवन-बीमा करने की योजना पर जीवन बीमा निगम अभी तक विचार कर रहा है । यह निगम राजस्थान सरकार को छोड़ कर जहां कि यह योजना लागू है, अन्य राज्य सरकारों से इसके बारे में परामर्श ले रहा है।

सरकारी उपक्रमों के बारे में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें

†९६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **वित्त** मंत्री २० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). ये सिफारिशें अभी तक विचाराधीन हैं ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्ग की सूचियों का पुनरीक्षण

†९६६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्गों की सूचियों का पुनरीक्षण करने में तब से अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का प्रश्न अभी विचाराधीन है । पिछड़े वर्गों की सरकार ने कोई सूची तैयार नहीं की है अतः उसके संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अवकाशगृह

†९६७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री हेम राज :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३४ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा जवानों के लिये पहाड़ों पर अवकाशगृह बनाने की योजना पर तब से ले कर अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : असैनिक कर्मचारियों के वर्तमान कल्याणकारी प्रबन्धों पर पुनर्विचार करने के लिये गृहकार्य मंत्रालय ने जो पदाधिकारियों की अन्तर विभागीय समिति बनाई थी उसका प्रतिवेदन, अभी तक नहीं मिला है । जहां असैनिक कर्मचारियों के कल्याण की बात है उपरोक्त समिति का प्रतिवेदन मिल जाने के बाद ही इस मामले में और आगे प्रगति होगी ।

जहां तक सैनिक बल के कर्मचारियों की बात है उनका मामला अलग से विचाराधीन है ।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

†९६८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेष राज्य सरकारों की ओर से, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों तथा उन सरकारी कर्मचारियों के जिनको कि अध्यापकों के समान वेतन मिलता है, मंहगाई भत्ता समान बनाने के लिये जो कार्यवाही की गई है उसके बारे में उत्तर प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). जिन राज्य सरकारों को उत्तर देने के लिये कहा गया था उनके उत्तर प्राप्त हो गये हैं। जब सभी सम्बन्धित सरकारों की ओर से उत्तर मिल जायेंगे तभी स्थिति के बारे में जांच की जायेगी ।

भारतीय टेक्नोलोजी संस्था, खड़गपुर

†९६९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९६१ के अल्पसूचना प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय टेक्नोलोजी की संस्था, खड़गपुर में फैले पीलिया रोग के कारण हुई एक विद्यार्थी की मृत्यु सम्बन्धी प्रतिवेदन की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) तथा (ख). जैसा कि उस समय लोक सभा में बताया गया था कि जनवरी १९६१ में गुर्दे की बीमारी से एक विद्यार्थी श्री विश्वनाथ मुकर्जी की मृत्यु हो गई थी । उसके बाद से जांच की जा रही है और रेलवे अस्पताल के प्राधिकारियों की ओर से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि रोगी

---

†मूल अंग्रेजी में

को विशेष वार्ड में रखा गया था और यथा संभव अच्छी सहायता दी गई थी लेकिन वह बच न सका क्योंकि वह खून की कमी, गम्भीर गुर्दे की बीमारी, तथा गम्भीर यूरेइया से ग्रस्त था ।

विदेशी मुद्रा

†१७०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में व्यापारिक यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के हेतु कुल कितने प्रार्थनापत्र सरकार के पास आये ;

(ख) उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) कितनी राशि दी गई ; और

(घ) १९६०-६१ में एक व्यक्ति को अधिक से अधिक कितना धन दिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जनवरी १९६० से मार्च १९६१ के अन्त तक विदेशों में व्यापारिक यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा पाने के हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास कुल ५२१५ प्रार्थनापत्र आये ।

(ख) तथा (ग). इन प्रार्थनापत्रों मे से १७२ प्रार्थनापत्र तो रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि व्यापारिक आवश्यकताओं के प्रति व्यक्ति दौरे के बारे में आवश्यक बातों की पूर्ति पूरी तरह नहीं की गई थी । ५०४३ प्रार्थनापत्रों पर २०२.३० लाख रुपये दिये गये ।

(घ) एक व्यापारिक दौरे के लिये एक व्यक्ति को अधिक से अधिक २८,४२५ रुपये दिये जाते हैं ।

स्त्री शिक्षा के लिये राष्ट्रीय संस्था

†१७१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री कोडियान :

क्या **शिक्षा** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्त्री शिक्षा के लिये राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के बारे में, पूरा ब्यौरा तैयार करने के लिये जो विशेष समिति की स्थापना की गई थी उसके प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). प्रस्ताव की विस्तृत ब्यौरे के बारे में विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परीक्षा व्यवस्था में सुधार

†६७२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परीक्षा व्यवस्था मे सुधार करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपना काम पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन संसद् पुस्तकालय में रख दिया जायेगा ।

दिल्ली में मूर्ति की स्थापना

†६७३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय और अन्य महान व्यक्तियों की मूर्तियाँ दिल्ली मे लगाने के सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति हुई है तो क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित मदन मोहन मालवीय, महारानी लक्ष्मीबाई, और लाला लाजपतराय की मूर्तियां लगाने के बारे मे स्थिति वही है जो कि उस उत्तर में बताया गया था ।

जहां तक सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की बात है इस मूर्ति लगाने के प्रस्तावकों ने अभी तक उन्होंने पटेल का आधा फोटो नहीं भेजा है जिसको मांग कि सरकार न जांच करने एवं बाद में स्वीकृति देने के लिये की थी ।

मोतीलाल नेहरू शताब्दी समिति के उस प्रस्ताव को जिसमें समिति ने संसद् भवन के द्वारा संख्या ३ के दाहिनी ओर के खाली लान में पंडित मोतीलाल नेहरू का १२'२" ऊंची मूर्ति लगाने के लिये कहा था सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इसको बनाने के लिये समिति ने प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री डी० पी० राय चौधरी से कहा है ।

दिल्ली में सार्वजनिक संस्था

†६७४. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ सार्वजनिक संस्थाएं अनैतिक कार्य के लिये प्रयोग की जा रही हैं; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ऐसी बात सरकार की जानकारी में कोई नहीं आई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

†९७५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई १९६० में होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने के कारण अलग अलग मंत्रालय के कितने कितने कर्मचारी अभी तक मुअत्तिल हैं;

(ख) सेवा से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) कितनी अपीलों के बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ है;

(घ) कितनों को फिर से काम पर ले लिया गया है;

(ङ) कितने अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया है; और

(च) कितने कर्मचारियों की पद अवनति की गई है तथा उनके वेतन कम कर दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ङ) और (च). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) देश के विभिन्न भागों में कर्मचारियों ने अपीलीय प्राधिकारियों को अपीलें की हैं। इसलिये निलम्बित अपीलों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है।

ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्रण

†९७६. **श्री हेम राज :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी में तेल छिद्रण का काम पूरा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के लिये जो भवन एवं इमारतें बनाई गई थीं उनको किस काम में लाया जायेगा; और

(ग) क्या तेल छिद्रण के स्थान तक बनाई गई सड़कें आयोग के प्राधिकार में रहेंगी अथवा आयोग उनको स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकारों को दे देगा।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां, इस समय तो बंद हो गया है।

(ख) तथा (ग). यह मामला तेल तथा प्राकृतिक आयोग के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाकसारों का सम्मेलन

†९७७. **श्री हेम राज :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाकसारों का एक सम्मेलन उत्तर प्रदेश में मई के महीने में हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह एक साम्प्रदायिक संस्था है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के साम्प्रदायिक-संगठनों के बुरे प्रभाव से धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र राज्य को बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर)**: (क) १९ मई से २१ मई, १९६१ तक एक अखिल भारतीय खाकसार जमीयत का हजतेमा कानपुर में हुआ था।

(ख) खाकसार जमीयत एक सैनिक ढंग का संगठन है जिसकी कार्यवाही आम तौर पर साम्प्रदायिक रूप ले लेती है।

(ग) किसी भी परिस्थिति विशेष में सरकार ऐसी विविध कार्यवाही करेगी जोकि वह ठीक समझेगी ।

देर तक काम करने का भत्ता

†९७८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री पांगरकर :
श्री राम गरीब :
श्री वाजपेयी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को देर तक काम करने और छुट्टी के लिये क्षतिकर भत्ता देने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है; और

(ग) यह कब से लागू होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सम्भवत: यह प्रश्न वेतन आयोग के प्रतिवेदन के भाग ४ के अध्याय ३५ में की गई सिफारिश के बारे में है। यदि हां, तो इसका उत्तर हां है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार का निर्णय वित्त मंत्रालय के आफिस ज्ञापन संख्या ९(५)-ई. II (बी) /६० दिनांक १ जून, १९६१ में दिया हुआ है जिसकी प्रतियां देखने के लिये संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) १ जून, १९६१ से।

राष्ट्रीय एकीकरण

†१७९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूल के बच्चों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना भरने तथा उसकी वृद्धि करने के लिये प्रपत्र छोटी-छोटी कहानियां तथा गाने लिखाने एवं उनका वितरण करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने प्रपत्र एवं कहानियां आदि लिखी गई हैं तथा बांटी गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस प्रकार की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है और आजकल इसकी जांच हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

बोक्साइट निक्षेप

†१८०. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेक राम नेगी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के विशेषज्ञों द्वारा कच्छ में बड़े पैमाने पर बोक्साइट के निक्षेपों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या इन निक्षेपों की खुदाई के लिये कोई योजना तैयार की गई है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी, हां।

(ख) अनुमानतः वहां विभिन्न श्रेणी की कुल बोक्साइट की राशि ६० लाख टन है।

(ग) चालू वर्ष में भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण के द्वारा अग्रेतर कार्य किया जा रहा है। इन निक्षेपों की खुदाई के लिये योजना बनाने का कार्य इस स्थिति में उत्पन्न नहीं होता है।

दिल्ली में मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां

१८१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०-६१ में दिल्ली में मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की कितनी राशि मंजूर की गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उससे कितने छात्रों को लाभ पहुंचा ?

शिक्षा मंत्री (डा० श्रीमाली) : (क) और (ख). भारत सरकार की उत्तर-मैट्रिक छात्रा वृति योजना के अन्तर्गत भारत में अध्ययन के लिए दिल्ली के विद्यार्थियों को १९६०-६१ में २ छात्रवृतियां दी गईं और इस उद्देश्य के लिए ९०० रुपये स्वीकृत किये गये।

दिल्ली में जूनियर टेक्निकल स्कूल

९८२. श्री नवल प्रभाकर : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने प्रविधिक स्कूल हैं,

(ख) इन स्कूलों में कितने छात्र हैं; और

(ग) इन स्कूलों में की गई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) से (ग). फिलहाल दिल्ली में कोई जूनियर टेकनीकल स्कूल नहीं है। भारत सरकार ने हाल ही में दिल्ली प्रशासन का यह प्रस्ताव सिद्धान्त: मान लिया है कि तीसरी पांच साला योजना में क्रमश: ओखला और पूसा में दो जूनियर टेकनीकल स्कूल खोले जायें।

ओखला और पूसा में जूनियर टेक्नीकल स्कूल क्रमश: १९६२–६३ और १९६३–६४ के पढ़ाई के सालों से चालू होंगे। हर स्कूल में सालाना ६५ विद्यार्थियों के दाखले की जगह होगी।

दिल्ली में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

९८३. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कितनी राशि की वृत्तियाँ १९६०–६१ में दी गयी; और

(ख) कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए ?

शिक्षा मंत्री (डा० श्रीमाली) : (क) १,६६,४५० रुपये।

(ख) ४२६४।

दिल्ली में भंगियों के लिये पहियेदार गाड़ी

९८५. श्री नवल प्रभाकर :
श्री कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के भंगियों में पहियेदार गाड़ियों के प्रयोग के प्रचार के लिये क्या कोई समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति द्वारा अब तक किये गये कार्य का विवरण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) जी, हां। इस उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन ने एक सफाई समिति की स्थापना की है।

(ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिल्ली के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन

९८५. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था है; और

(ख) सरकार ने इन स्कूलों को कितना अनुदान दिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु दिल्ली नगर निगम के २५० प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को दूध दिया जाता है। इस वर्ष नगर निगम २५० और स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार कर रहा है। म्युनिसिपल डाक्टरों की सिफारिशों पर नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी भी गरीब और कमजोर बच्चों को कुछ पौष्टिक पदार्थ खाने को देती है।

(ख) सरकार द्वारा इस व्यवस्था के लिये कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की प्रशासनिक कक्षों में सेवा की अवधि

†९८६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थानों के प्रशासनिक कक्षों में कर्मचारियों के काम करने की सामान्य पदावधि ३ से ४ वर्ष तक है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली के सशस्त्र बल मुख्यालय में यही प्रक्रिया अपनायी जाती है; और

(ग) यदि नहीं तो इस के कारण क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सशस्त्र बल मुख्यालय में प्रतिरक्षा संस्थापनों के असैनिक कर्मचारियों को, ३ से ५ वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है। तथापि असैनिक कर्मचारियों के लिये जिन्हें सशस्त्र मुख्यालयों के लिये नियुक्त किया जाता है अवधि की कोई सीमा नहीं है। कर्मचारियों को सशस्त्र बलों के मुख्यालयों के विभिन्न कार्यालयों के बीच, उन के प्रशासन की आवश्यकताओं को देखते हुए भेजा जाता है।

इस्पात संयंत्रों के सैनिक प्रशासनिक मुख्याधिकारी

†९८७. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पदनिवृत्त ज्येष्ठ सीमा अधिकारियों को भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर को प्रशासनिक मुख्याधिकारियों के रूप में नियुक्त करने का निश्चय किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं । ऐसा कोई सामान्य निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भिलाई इस्पात परियोजना

†९८८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात परियोजना के कुछ कर्मचारियों को महाप्रबन्धक के विशेष आदेश से नौकरी से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें १९५८, १९५९ और १९६० में नौकरी से हटा दिया गया है; और

(ग) उन को नौकरी से हटाने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख)

वर्ष	नौकरी से हटाये गये व्यक्तियों की संख्या
१९५८	४८
१९५९	७०
१९६०	९७

(ग) उक्त कर्मचारियों की सेवायें, जो कि अधिकांशत: काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों में से थे तथ्यों को छिपाने, अपराध करने, सुरक्षा तथा ध्वंसात्मक कार्य करने के आरोप में समाप्त की गयीं ।

इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

†९८९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों तथा मजदूरों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में निश्चय किया है कि उनमें से कितने प्रतिशत व्यक्तियों को स्थायी बनाया जाये; और

(ग) यदि नहीं तो, विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील के कर्मचारी सरकारी सेवाओं की तरह स्थायी नहीं होते हैं । वहां व्यक्तियों को ठेके पर नियुक्त किया जाता है । कम्पनी के नियमित संस्थापनों के लिये आवश्यक टैक्नीकल तथा गैर-टैक्नीकल स्टाफ, जिनमें संयंत्र के प्रवर्तक तथा संधारण और प्रबन्ध के कर्मचारी शामिल हैं उन्हें आरम्भ में ५ वर्ष के लिये सेवा

†मूल अंग्रेजी में

मसविदे पर हस्ताक्षर करने होते हैं जो कि परिवीक्षाधीन अवधि को शामिल कर ५ वर्ष का होता है। ५ वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से समाप्त करने के पश्चात् वह संविदा स्वत: ही ५५ वर्ष तक चलता है। इस बात की व्यवस्था की गई है कि ऐसे पक्ष ३ महीने का नोटिस दे कर ठेका समाप्त कर सकें।

निर्माण कार्य के लिये कर्मचारियों को, अल्पविधि के ठेकों में, जो कि एक से पांच वर्ष तक चलते हैं, नियुक्त किया जाता है।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली

†१९९०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली कैंट ने अप्रैल, १९५९ को ५० रुपये प्रति टैंक के हिसाब से कुछ जीप पैट्रोल टैंक खरीदे हैं;

(ख) क्या ठेकेदार को पुराने और बेकाम टैंकों से निकाले गये कुछ आवश्यक हिस्से भी ठेकेदारों को दिये गये हैं;

(ग) क्या बाजार से स्थानीय रूप से खरीद करने के पश्चात् भी इन टैंकों की वर्कशाप में मरम्मत की गई, इस मरम्मत में ७ घंटे लगे ;

(घ) यदि यह मामला था तो इन टैंकों का निर्माण वर्कशाप में क्यों नहीं किया गया; और

(ङ) क्या त्रुटिपूर्ण माल की खरीद के संबंध में कोई जांच की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां। पैट्रोल टैंक ५५ रु० प्रति टैंक के हिसाब से खरीदे गये।

(ख) पैट्रोल फिलर नैक एसेम्बली निकाल कर उस फर्म को दी गई थी क्योंकि उसने ५५ रु० प्रति टैंक की दर इस आधार पर स्वीकार की थी नैक एसेम्बली वर्कशाप द्वारा दी जायेगी। नैक एसेम्बली शुदा पैट्रोल टैंक की कीमत ७५ रु० मांगी गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) आवश्यक सामग्री और क्षमता के अभाव में इन टैंकों का निर्माण वर्कशाप में नहीं हो सका।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये लाभांश

†१९९१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर के कर्मचारियों को लाभांश दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो इस लाभांश की राशि क्या है; और

(ग) यह राशि किस सूत्र पर आधारित है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) से (ग). हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के लाभांश दिये जाते हैं, यथा उत्पादन लाभांश, प्रोत्पादन लाभांश, उपस्थिति लाभांश। इनमें से मुख्य लाभांश उत्पादन लाभांश है जिसके विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :—

उत्पादन लाभांश उन सभी कर्मचारियों को दिया जाता है जिनका बुनियादी वेतन ५०० रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। वह पूरे कारखाने के लिये कुशलता प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित रूप से दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सारे कारखाने के लिये कुशलता का प्रतिशत	प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक रूप से मिलने वाला लांभांश
७० वर्ष से कम	कुछ नहीं
७० से ७९	६० रु०
८० से ८९	८५ रु०
९० से ९९	११० रु०
१०० से ऊपर	१४४ रु०

सम्पूर्ण कारखाने के लिये कुशलता प्रतिशत इस प्रकार निकाला जाता है :—

$$\text{कुशलता प्रतिशत} = \frac{\text{सारे कारखाने में वर्ष में समाप्त होने वाले कामों के लिये प्रमाप घंटे (स्टेंडर्ड)} \times 100}{\text{प्रयुक्त घंटे (परचेज्ड अवर)}}$$

[परचेज्ड घंटे (प्रयुक्त घंटे) के अधीन उत्पादक कारखाने द्वारा सीधे श्रम में प्रयुक्त किये गये घंटे आते हैं जिस में खाली समय शामिल है तथापि उत्पादक कर्मचारियों द्वारा अप्रत्यक्ष कार्यों में व्यय किये घंटे शामिल नहीं हैं]

उक्त सूत्र के अनुसार, ८५ रु० का उत्पादन लाभांश वर्ष १९६०–६१ में दिया गया । इस के अतिरिक्त जैसा कि ९ अगस्त, १९६१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० के उत्तर में कहा गया है कि अभी हाल एच एफ–२४ विमान के पहिले नमूने की सफल उड़ान के संबंध में अभी हाल एक तदर्थ पुरस्कार भी मंजूर किया गया ।

सशस्त्र बल के मुख्यालय की विभागीय परीक्षायें

†१९९२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल मुख्यालय प्रशासन द्वारा ली गई विभागीय परीक्षाओं के परिणाम उम्मीदवारों को बता दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या ये नतीजे भाग २ आदेशों में प्रकाशित हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रशासन के हित में नतीजों को गोपनीय रखा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये आवास

†१९९३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारी से पहले, आवास प्राप्त करने के लिए आवास निदेशक के नाम भेजे गये आवेदन पत्र, जिन पर विभागीय मुख्याध्यक्षों की उपयुक्त सिफारिश होती है उन्हें भी सशस्त्र बलों के मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रशासन कार्यालयों के द्वारा रोक लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५८, १९५९, १९६० में ऐसे कितने आवेदन रोक दिये गये; और

(घ) क्या सरकार उन्हें प्रतिरक्षा पुंज से आवास देना चाहती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). सशस्त्र बलों के मुख्यालयों के निदेशकों द्वारा सिफारिश प्राप्त आवेदन पत्र सम्पदा निदेशक को अपने आप ही नहीं चले जाते हैं। सम्पदा निदेशक द्वारा विहित नियमों के अधीन केवल ऐसे ही आवेदन पत्रों को आगे भेजा जाता है जहां इस बात के पर्याप्त कारण हों कि इनको वास्तव में परेशानी हो रही है। आवेदन पत्रों की एक अधिकारी समिति द्वारा जांच की जाती है।

(ग)	१९५८	१२५
	१९५९	७८
	१९६० . . .	८५

(घ) जी नहीं। प्रतिरक्षा पुंज से केवल प्रतिरक्षा कर्मचारियों को ही आवास प्रदान किया जाता है।

दिल्ली पुलिस

९९४. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस अधिकारी जनता की शिकायतें न लिखने के अपराधी पाये गये उन्हें दंडित करने के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या २७८० के उत्तर में बताया था कि शिकायत न लिखने की दस में से केवल छः शिकायतें ठीक पाई गईं। इन छः मामलों में अनुशासिक कार्यवाही की गई। एक मामले में अभी कार्यवाही हो रही है। शेष पांच मामलों में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की गई।

एक ए० एस० आई० को निम्न पद पर प्रत्यावृत कर दिया गया; एक ए० एस० आई० को कड़ी चेतावनी दी गई; एक हैड कांसटेबिल का बहुत तिरस्कार किया गया, दूसरे हेड कांसटेबिल को चेतावनी दी गई तथा एक और कांसटेबिल को उसकी वेतन-वृद्धि रोक कर दण्ड दिया गया।

अश्लील साहित्य

†**९९५. श्री वाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल दिल्ली प्रशासन और दिल्ली के प्रकाशकों के बीच अश्लील साहित्य पर प्रतिबन्ध को और कड़ा करने के सम्बन्ध में कोई चर्चा हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रकाशकों ने अश्लील साहित्य की बिक्री और प्रकाशन को रोकने में पूरा सहयोग देने का वचन दिया है। अधिकारी भी इस सम्बन्ध में सतर्क हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रांगारण संयंत्र[1]

†९९६. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार, तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न तापक्रम का एक प्रांगारण संयंत्र की स्थापना करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की क्षमता क्या है और उस पर क्या लागत आयेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां। तथापि इस योजना को राज्य की तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) इस योजना में ४ करोड़ लागत बैठेगी। अपने मुख्य उत्पाद के सम्बन्ध में, इसकी क्षमता ४ लाख टन घरों में काम में आने वाले कोक का उत्पादन करना होगा।

औजारी तथा धातु मिश्रित इस्पात

९९७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को मशीनों के काम आने वाले तथा मिश्रित इस्पात के उत्पादन की कितनी निर्धारित क्षमता थी; और

(ख) मशीनों के काम आने वाले तथा मिश्रित इस्पात के उत्पादन के लिए १९५९, १९६० और १९६१ में कितने औद्योगिक लाइसेंस दिय गये ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) औजार तथा मिश्रित इस्पात की कई किस्में हैं। अतिरिक्त क्षमता के आयोजन के लिए केवल उन मिश्रित इस्पात अनुभागों की आवश्यकताओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं जिनमें क्रोमियम निक्कल मोलेब्डनम तथा अन्य मिश्रित तत्व न्यूनतम मात्रा में हैं और जिनके लिए विशिष्ट इस्पात संयंत्र की आवश्यकता होती है। इन इस्पातों के लिए पहले ही से प्राप्त अथवा ३१ मार्च, १९६१ तक लाइसेंस की की गयी क्षमता लगभग १०,००० टन थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनकी आवश्यकता लगभग २००,००० टन प्रति वर्ष होगी। उत्पादन को क्षमता तक पहुंचाने में समय लगने के कारण यह विचार है कि २००,००० टन प्रति वर्ष के प्रारम्भिक उत्पादनार्थ आवश्यक क्षमता के लिए लाइसेंस दिये जायें। ऐसे इस्पातों के निर्माणार्थ १२०,१०० टन की और अधिक क्षमता के लिए ९ इकाइयों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ८५,००० टन इस्पात केन्द्रीय मिश्रित इस्पात संयंत्र तथा हथियार बनाने वाले कारखानों से उपलब्ध होगा।

मिश्रित इस्पात कास्टिंगस तथा ऐसे मिश्रित इस्पातों के उत्पादन के लिए, जिनमें विशिष्ट वेल्लन सज्जा की आवश्यकता नहीं होती, वर्तमान क्षमता लगभग ५०,००० टन है। इसके अलावा ३१ मार्च, १९६१ से पहले लगभग ५०,००० टन क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये थे। यह उत्पादन अभी तक नहीं हुआ है। ३१ मार्च, १९६१ के पश्चात भी ऐसे इस्पातों की १२६,५०० टन अतिरिक्त क्षमता के लिए दस इकाइयों को लाइसेंस दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Carbonization Plant.

(ख) जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार है :—

	१९५९	१९६०	१९६१
औजार और मिश्रित इस्पात	—	१	५
मिश्रित इस्पात कास्टिंगस इत्यादि . . .	२	५	४

+(२ इकाइयां मिश्रित इस्पात कास्टिंगस का भी उत्पादन करेंगी)

वायर राड

९९८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को वायर राड की कितनी निर्धारित क्षमता थी और वास्तव में कितने के लिए लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में देश में वायर राड के निर्माण के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस अब तक दिये गये; और

(ग) पश्चिमी खंड में जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) ३१ मार्च १९६१ को वायर राड तैयार करने वाली ४ इकाइयां थीं जिनका वार्षिक उत्पादन लगभग १,२५,००० टन था। दुर्गापुर में जो नई मिल लगाई गई है वह लगभग ६०,००० टन वायर राड की पूर्ति कर सकेगी और यह आशा की जाती है कि आगामी वर्ष के समाप्त होने से पहले ही उत्पादन २५०,००० टन प्रति वर्ष तक पहुंच जायेगा। भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम में वायर राड का एक बड़ा कारखाना भी सम्मिलित है, जिसकी वार्षिक क्षमता ४००,००० टन होगी। इस समय ऐसी संभावना नहीं है कि वायर राड की क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजन करने की आवश्यकता पड़े। फिर भी भरण पोषण के लिए विशेषकर अगले दो या तीन वर्ष के लिए, जब तक भिलाई का कारखाना चालू नहीं हो जाता, कुछ पुनर्वेल्लन मिलों को अपनी क्षमता के अन्दर ही वायर राड का उत्पादन करने के लिए आज्ञा दे दी गई है।

(ख) १९५९ में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। वायर राड का उत्पादन करने के लिए १९६० में दो और १९६१ में ग्यारह लाईसेंस दिये गये।

(ग) पश्चिमी खंड में निम्नलिखित लोगों को वायर राड के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिये गये हैं :—

१. कृष्णा स्टील इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई, बम्बई।
२. नेशनल स्टील वर्क्स लिमिटेड बम्बई, बम्बई।
३. मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड बम्बई, बम्बई।
४. पंजाब स्टील रोलिंग मिल्स, बड़ोदा, बड़ोदा।
५. हर्षादराय प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, बड़ोदा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंकों के पुनर्गठन का प्रस्ताव

†९९९. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** यह सच है कि बैंकों के मालिकों ने सरकार के समक्ष बैंकों के पुनर्गठन का कोई **प्रस्ताव** रखा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के विस्तृत विवरण क्या हैं; और

(ग) **क्या सरकार** ने इस पर विचार किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी नहीं। यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय बैंक संघ की एक उपसमिति ने बैंकिंग के विकास के लिये कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं तथापि समिति का प्रतिवेदन अभी तक सरकार को प्रेषित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खोपरा का तेल निकालने वाली मशीन

१०००. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** खोपरे का तेल निकालने के लिये पश्चिम जर्मनी ने एक नई मशीन तैयार की है;

(ख) **क्या** केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था को ऐसी कोई मशीन प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इस मशीन की उपयोगिता की परीक्षा कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला है।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). संयंत्र के कार्य की जांच करने के लिये आरम्भिक परीक्षा की गई है संयंत्र के कार्य के सम्बन्ध में अन्तिम राय देने के पूर्व और परीक्षायें करनी होंगी ।

मनीपुरी लेखकों को सहायता

†१००१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०-६१ के दौरान मनीपुर के विभिन्न लेखकों को उनके मनीपुरी प्रकाशन के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यह वित्तीय सहायता किस प्रकार की पुस्तकों को दी जाती है और अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पुराने पांडुलिपियों के प्रकाशन, साहित्य तथा अन्य भाषाओं की अद्वितीय पुस्तकों का मनीपुर की आदिम जातियों की बोलियों में अनुवाद, नरतत्वीय अध्ययन, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियां, यात्रा पुस्तकें, सामान्य विज्ञान की लोकप्रिय पुस्तकें, आदिम जातियों तथा गैर आदिम जातियों के लोकगीत, कृषि, फल उत्पादन, सहकारिता, बहु-भाषीय शब्दकोष, ऐतिहासिक और जीवनीपरक साहित्य, सामान्य ज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर पुस्तकें।

महाभारतम् के पांच अंक अभी तक मनीपुरी में प्रकाशित हुए हैं।

इम्फाल में आदिम जातियों के लड़कों का पीटा जाना

†१००२. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९६१ के तीसरे सप्ताह में कुछ आदिम जातियों के लड़कों को इम्फाल बाजार की पुलिस ने पीटा तथा बाद में उन्हें हवालात में ले जाकर प्रहार किया गया;

(ख) क्या पुलिस ने उसी दिन एक मजिस्ट्रेट को भी चोट पहुंचाई; और

(ग) यदि उत्तर हां में है तो क्या इस मामले पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं। १९ मई, १९६१ को कुछ व्यक्तियों ने इम्फाल बाजार में एक हैड कान्स्टेबल और दो कान्स्टेबलों पर प्रहार किया। पुलिस ने इनमें से कुछ को पकड़ लिया और इस गुत्थम-गुत्थी में चार आदिम जाति के लड़कों को हल्की चोटें आईं। एक हेड कान्स्टेबिल और कान्स्टेबिल को भी चोट पहुंची। हवालात में किसी पर प्रहार नहीं किया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस घटना के सम्बन्ध में कुछ मामलों को दर्ज किया गया है

इम्फाल पूर्व तहसील के गांव

†१००३. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मेरीपोक के निकट इम्फाल पूर्व तहसील के सात गांवों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने व्यक्तियों की टूबल पुलिस स्टेशन से उपद्रव करने के अपराध में तलाश है, कितने व्यक्ति गिरफ्तारी के पश्चात् जमानत पर या अन्यथा छोड़ दिये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अप्रैल, १९६१ में सात ग्रामीणों की हत्या और पुलिस पार्टी पर आक्रमण के पश्चात् इम्फाल पूर्व तहसील के टूबल पुलिस स्टेशन के सात गांवों को २ मई १९६१ से एक महीने की अवधि के लिये, पुलिस अधिनियम १८६१ की धारा १५ के उपबन्धों के अधीन उपद्रवग्रस्त और खतरनाक गांव घोषित कर दिये गये।

(ग) १०१ व्यक्ति पकड़े गये जिनमें से अब तक ९१ व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा जा चुका है। यह मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाली सिक्के बनाने की मशीन पर कब्जा

†१००४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने सूरत से ३० मील दूर एनाटुंडी नामक एक गांव में एक टकसाल बरामद की है;

(ख) यदि हां तो पुलिस के छापे का क्या नतीजा निकला; और

(ग) अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुईं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). पुलिस द्वारा जाली सिक्के बनाने की एक प्रेसिंग मशीन तथा कुछ अन्य उपकरणों पर कब्जा किया गया ।

(ग) मामला विचाराधीन है, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद्

†१००५. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री तंगामणि :
श्री कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक कब हुई थी और अगली बैठक कब होगी;

(ख) अगली बैठक का समय, स्थान और उसमें चर्चा का विषय क्या है; और

(ग) क्या दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक में हुए सभी निश्चयों को क्रियान्वित किया गया, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). परिषद् की पिछली बैठक १६ अप्रैल १९६० को हुई, परिषद् की आगामी बैठक बंगलौर में २४ सितम्बर १९६१ को होगी । परिषद् की आगामी बैठक की कार्यसूची में जो मदें शामिल हैं उन्हें सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) परिषद् की पिछली बैठक में किये गये निर्णयों को या तो राज्य सरकार ने क्रियान्वित कर लिया है या उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ।

पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्रतिरूप निधियां

†१००६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्रतिरूप निधियों (काउण्टरपार्ट फण्ड्स) की कुल राशि कितनी है;

(ख) दूतावास ने अपने खर्चों के लिये कितनी राशि का प्रयोग किया और भारत में विकास कार्य के लिये कर्जों और सहायता के रूप में उपलब्ध होने वाली राशि क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिन औद्योगिक उपक्रमों को कर्जे के रूप में धन दिया गया उन उद्योगों तथा कर्जा लेने वालों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस ऋण इत्यादि के नियन्त्रण तथा देख रेख के लिये निर्यात आयात बैंक अथवा अमरीका की संस्था ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

(क) और (ख). कुल ५३४.५२ करोड़ रुपया भारत में अमरीकी सरकारी खाते में जमा किया गया। यह १९५६ से लेकर ३०-६-१९६१ तक है पी० एल० ४८० के अन्तर्गत कृषि सामग्री की खरीद के खाते में था। करार के अनुसार इसे निम्न प्रकार से खर्च किया जाना था :—

(करोड़ रुपयों में)

(१) अमरीकी दूतावास तथा अन्य भारत में किये जाने वाले खर्चों पर .	८४.१६
(२) निर्यात-आयात बैंक, वाशिंगटन द्वारा भारत सरकार के परामर्श से अमरीकी व्यापार सार्थों तथा उनसे सम्बन्धित निकायों को भारत में दिया गया कर्ज . .	४९.७६
(३) परस्पर सहमति से सन्तुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिये इस दिशा की परियोजनाओं को सहायता देने के लिए भारत सरकार को कर्जा . . .	२५८.१४
(४) परस्पर सहमति से सन्तुलित आर्थिक विकास के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये इस दिशा की परियोजाओं को सहायता देने के लिए भारत सरकार को अनुदान	१४२.४६
कुल योग.	५३४.५२

(ग) (२) भाग में जिन कर्जों का उल्लेख है उसे देने के लिये अभी तक निर्यात-आयात बैंक वाशिंगटन ने केवल १३ पार्टियां को कर्जा देना स्वीकार किया है। उनके नाम और कर्जे में दी गयी राशि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]**

(घ) आयात निर्यात बैंक तथा गैर सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध वैसे ही जैसे किसी बैंक के अपने ग्राहकों से होते हैं। इन्ही सम्बन्धों के आधार पर ही नियन्त्रण इत्यादि भी किया जाता है।

'अप्सरा' नौकायें

†१००७. **श्री अासर** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय तौर पर बनाई 'क्वीन गुल' प्रकार की 'अप्सरा' नौका का २३ मई, १९६१ को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की और नौकाओं के निर्माण के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण की जाने वाली नौकाओं की विचाराधीन संख्या क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नौका स्थानीय तौर पर नहीं बनायी गयी थी। 'क्वीन आफ गुल' प्रकार की एक वर्तमान नौका की बड़े पैमाने पर मरम्मत करके उसका नाम 'अप्सरा' रख दिया गया। इस नौका का परीक्षण २३ मई, १९६१ को किया गया। यह परीक्षण जो कुछ मरम्मत की गई थी उसकी जांच करने के उद्देश्य से किया गया था।

(ख) और (ग). इस प्रकार की अन्य नौकाओं की मरम्मत का कार्य अपेक्षित रूप में हाथ में लिया जायेगा। इस प्रकार की नौकाओं की संख्या बताना जनहित में नहीं है।

'बौक्साइट'

†१००८. **श्री आसर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 'बौक्साइट' की काफी मात्रा महाराष्ट्र राज्य के उदागीर स्थान तथा उसके आस पास के गांवों में प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया है ताकि यह पता चल सके कि इस बात को व्यापारिक दृष्टि से प्रयोग किये जाने की क्या संभावनायें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का परिणाम क्या रहा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग), उदगेरी नामक स्थान पर बौक्साइट के निक्षेपों का अनुमान ३,५६४,००० टन का है। इसमें सभी कोटि का बौक्साइट है। इसमें से १० प्रतिशत अयस्क उच्च मात्रा की है जिसमें ५३.६२ से ५९.६० प्रतिशत अलूमिना है। विस्तार से खुदाई का कार्य १९६१-६२ में खानों की भारतीय ब्यूरो द्वारा आरम्भ किया जायेगा।

मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद

†१००९. **श्री आसर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद सम्बन्धी नियुक्त की गयी चार सदस्यीय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या दोनों राज्य सरकारों ने प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) समिति ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है। जैसा कि मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के बीच तय पाया गया था, समिति दोनों सरकारों को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ;

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

नहरकटिया में बस्ती

†१०१०. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नहरकटिया में नया नगर स्थापित करने पर कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: आयल इंडिया लिमिटेड ने नहरकटिया स्थान पर नगर की स्थापना के लिए ३१ मार्च, १९६१ तक ९९.४३ लाख रुपये खर्च किये हैं।

उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें

†१०११. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ की धारा २३क के अन्तर्गत जो आदेश जारी किया था उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). राष्ट्रपति द्वारा कलकत्ता उच्चन्यायालय के अवकाश के बारे में उच्चन्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ की धारा २३क (१) के अन्तर्गत जो आदेश जारी किया गया था उसकी मान्यता एक लेखयाचिका के द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण यह याचिका रद्द कर दी गयी थी। जिस न्यायाधीश ने इस याचिका की सुनवाई की थी उसका विचार था कि यह आदेश अवैध है क्योंकि धारा २३क संसद् की वैधानिक क्षमता के बाहर की बात है। क्योंकि याचिका रद्द कर दी गयी है, अतः उच्चतम न्यायालय में अपील करके न्यायाधीश के इस विचार की सच्चाई का परीक्षण नहीं किया जा सका और इसे प्रसंगोक्ति मात्र ही समझा जा सकता है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†१०१२. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६१ के प्रथम सप्ताह में दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र की दो धवन भट्ठियों के 'स्लेग मंकी' फट गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उत्पादन पर कुछ प्रभाव पड़ा ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)** : (क) धवन भट्ठि का कोई 'स्लेग मंकी' नहीं फटा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला विश्लेषण

†१०१३. **श्री अरविन्द घोषाल : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड द्वारा कोयले के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं । अभी तक कोई प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्कूल के लड़कों के लिये स्टेडियम

†१०१४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली प्रशासन के समक्ष स्कूल के बालकों के लिए स्टेडियम बनाने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये स्थानों का चुनाव कर लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

मैसूर में विज्ञान मंदिर

†१०१५. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में १९६०–६१ में कोई विज्ञान मन्दिर बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या १९६१–६२ में और अधिक विज्ञान मन्दिरों के स्थापित किये जाने की प्रस्थापना है ; और

(घ) यदि हां, तो ये मैसूर राज्य में विशेषकर रायचूर जिले में, कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) विज्ञान मन्दिरों की स्थापना राज्य सरकारों के परामर्श से की जाती है । फिलहाल मैसूर राज्य के शिगालकोया (जिला शिमोगा) और लचियान (जिला बीजापुर) में विज्ञान मन्दिर स्थापित करने की प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में पुलिस में कांस्टेबल

†१०१६. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन के अन्तर्गत पुलिस के कांस्टेबलों तथा हेड कांस्टेबलों की संख्या क्या है ; और

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

†१०१७. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९६१ को दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों व उपअध्यापकों, अध्यापिकाओं सहित, की संख्या क्या थी ; और

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ४६२६ ।

(ख) ३८ ।

हिमाचल प्रदेश में अध्यापक

†१०१८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
श्री दशरथ देब :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे प्राइमरी स्कूलों में अध्यापिकाओं समेत, अध्यापकों तथा उपअध्यापकों की संख्या क्या है ; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ५२२६ ।

(ख) ३५८ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणामों के आधार पर नामज़द क्लर्कों को अग्रिम वेतन वृद्धि

†१०१९. **श्री बलराज मधोक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी (वेतन पुनरीक्षण) नियम, १९४७ के सम्बन्ध में, जिन के अधीन संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर नामज़द लोअर डिवीज़न क्लर्कों को अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाने की व्यवस्था थी, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं के कुछ लोअर डिवीज़न क्लर्कों को, जिन्हें कि संघ लोक सेवा आयोग (पहले जिसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन था) द्वारा १९४७ में आयोजित परीक्षा के परिणामों के आधार पर मनोनीत किया गया था, अग्रिम वेतन वृद्धि अभी तक नहीं दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) से (ग). फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन (मिनिस्टीरियल सर्विस) परीक्षा जो १९४७ में हुई थी उसके आधार पर २३१ व्यक्तियों को सशस्त्र बल मुख्यालय में लोअर डिवीज़न क्लर्क मनोनीत किया गया था। ये नियुक्तियां १-१२-१९४८ को की गयी। इनमें से २१८ लोग उस दिन अस्थायी अपर डिवीजन क्लर्कों के पद पर काम कर रहे थे। अन्य अर्थात् १३ लोग लोअर डिवीज़न क्लर्क नियुक्त हुए।

प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी (वेतन पुनरीक्षण) नियम, १९४७ के अन्तर्गत असैनिकों को जो रियायतें हैं वे असैनिक पक्ष पर लागू होने वाले उन नियमों के अन्तर्गत हैं जो कि तीसरे दर्जे के क्लर्कों पर लागू होती हैं। बाद में ये रियायतें स्थायी तीसरे दर्जे के क्लर्कों को भी दे दी गईं। बाद में ये रियायतें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुये क्लर्कों को भी दे दी गयीं और असैनिक पक्ष में दूसरे कार्यालयों से चुने गये क्लर्कों पर लागू कर दी गयी।

१९४७ में हुई परीक्षाओं के आधार पर १३ लोग मनोनीत किये गये थे। यह सशस्त्र बल मुख्यालय में लोअर डवीजन क्लर्क १-१२-४८ को लगाये गये थे जब कि इस दिशा में बने नियम को केवल एक ही वर्ष हुआ था। उस समय वे न तो स्थायी ही थे, न ही स्थायीकरण किये जाने की शर्तें ही पूरी करते थे। अतः उन्हें असैनिक पक्ष को दी जाने वाली रियायतें नहीं दी गयी थी।

जो भी लोग उपरोक्त परीक्षा के आधार पर सशस्त्र बल मुख्यालय में मनोनीत हुये थे और उनमें वे १३ भी सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख ऊपर आ चुका है, अब लोअर डिवीज़न क्लर्कों के वेतन क्रम से ऊंचे क्रम में क्लर्कों के रूप में स्थायी कर दिये गये हैं।

सम्बद्ध कार्यालयों में सेक्शन आफिसर

†१०२०. **श्री बलराज मधोक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि ग्रेड १ और ग्रेड २ के सेक्शन आफ़िसरों के वेतन क्रमों का वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विलय कर दिया गया है, तथापि भारत सरकार के कुछ सम्बद्ध कार्यालयों में कुछ सेक्शन आफ़िसर शाखा अधिकारियों (ब्रांच आफ़िसर्स) के रूप में काम

†मूल अंग्रेजी में

कर रहे हैं और कुछ सेक्शन आफिसर ही हैं, हालांकि अंडर सैक्रेटरी के लिये पदोन्नति प्राप्त करने के लिये एक मिली जुली सूची (कम्बाइन्ड रोस्टर) है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सम्बद्ध कार्यालयों के सेक्शन आफ़िसरों में शिकायत की भावना पैदा नहीं होती ; और

(ग) इस मूल सुधार के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). स्थिति को स्पष्ट करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०**]

त्रिपुरा के महाजनों द्वारा खड़ी फसल की खरीद

†**१०२१. श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा के महाजन पटसन, रूई धान इत्यादि की खड़ी फ़सल को दादन रकम अगाऊ देकर बहुत ही अल्प कीमत पर खरीद रहे हैं जबकि इन फ़सलों के बाज़ार भाव उससे बहुत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दादन रकम देने को अवैध घोषित करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) यह पता चला है कि त्रिपुरा के कुछ उपभागों में खड़ी फसल को महाजन लोग खरीद रहे हैं ।

(ख) रुपया उधार देने के सम्बन्ध में नियन्त्रण करने के उद्देश्य से त्रिपुरा में मार्च १९५९ से "बम्बई महाजन अधिनियम, १९४६" लागू कर दिया गया है ।

त्रिपुरा में बेदखलियां

†**१०२२. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा करने वाले जिन लोगों को बेदखली का नोटिस दिया गया है उनकी कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या इस प्रकार के बेदखल लोगों को कोई बदले में स्थान दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सरकार की खास भूमि पर अनधिकृत रूप में कब्जा करने वालों को सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत ६५० नोटिस दिये गये हैं ।

(ख) बदले में जगह केवल ६ व्यक्तियों को दी गयी है और बेदखलियां ३८ लोगों की हुई हैं ।

त्रिपुरा के गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल

†**१०२३. श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के गैर सरकारी प्राइमरी स्कूलों की संख्या क्या है ;

(ख) उन गैर सरकारी प्राइमरी स्कूलों के नाम क्या हैं जिन्होंने या तो वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्र दिया है अथवा सरकार से स्कूल का प्रबन्ध सम्भाल लेने के लिये कहा है ; और

(ग) क्या सरकार इन स्कूलों को सम्भाल लेगी ताकि त्रिपुरा में प्राइमरी शिक्षा मुफ्त हो जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सम्बद्ध विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]

त्रिपुरा के विस्थापितों को बिना ब्याज का ऋण

†१०२४. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि त्रिपुरा के विस्थापितों को बिना ब्याज का ऋण दिया जाय : और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कोई निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई भी ऐसा सामान्य रूप में त्रिपुरा के विस्थापितों को बिना ब्याज कर्जा देने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त न हीं हुआ । कुल लोगों ने व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना की थी कि उन के नगर आवास अथवा व्यापार के लिये हुए कर्जे को बिना ब्याज कर दिया जाय ।

(ख) जिन शर्तों पर उन्हें कर्जा दिया हुआ है उस के अन्तर्गत ऐसा उपबन्ध है कि उस रकम पर ब्याज की छूट दे दी जाये । अतः त्रिपुरा प्रशासन द्वारा उन आवेदन पत्र देने वालों को यह बात बता दी गयी है ।

त्रिपुरा के लिये स्कूल बोर्ड

†१०२५. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा शिक्षक संघ से सरकार को यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि त्रिपुरा राज्य में स्कूलों के प्रशासन की व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिये एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त स्कूल बोर्ड की स्थापना कर दी जाये; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा बोर्ड बनाने का है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । वहां के स्कूल प्रादेशिक परिषद् के नियंत्रण में चल रहे हैं जो कि संविहित स्वायत्तशासी निकाय है ।

उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में हिन्दी को अपनाना

१०२६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार ने हिन्दी को हाई कोर्ट की भाषा बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के इस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दे दी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों को फौजदारी मुकदमों में हिन्दी में बहस करने की छूट दे दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा में मुनाफेबाजी

†१०२७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाने वाले मां बाप से अवैध रूप से रुपया लिया जाता है;

(ख) क्या ऐसी स्थिति देश के बहुत से राज्यों में है; और

(ग) शिक्षा में इस मुनाफेबाजी को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी हां, यह बात केवल दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में ही है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्यों से इस प्रकार की कोई बात सरकार के नोटिस में नहीं आई।

(ग) दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त सभीस्कूलों में यह आदेश भेज दिया गया है कि शिक्षा निदेशक की अनुमति के बिना स्कूलों में किसी प्रकार का कोई दान इत्यादि न लिया जाय। स्कूलों के हिसाब का लेखा परीक्षण भी कभी कभी अक्स्मात रूप में किया जाता है।

त्रिपुरा में आदिम जातियां झूमियां

†१०२८. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातियों के बहुसंख्यक झूमियाओं और किसानों को, जो कि महाराजा के समय से जमीनों में बस गये थे, वहां से बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि वह जमीन त्रिपुरा वन संरक्षण क्षेत्र के अन्तर्गत आ गयी है; और

(ख) क्या सरकार त्रिपुरा के गड़गीय रक्षित वन क्षेत्र की जमीनों का कृष्यकरण कर के उन जमीनों को उन्हीं के पास छोड़ना चाहती है, जिन का उन पर कब्जा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कुछ वनों में जिन्हें महाराजा के शासनकाल में संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था, अभी हाल लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा करने की बहुत अधिक घटनायें हुई हैं। वर्तमान वन सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए अनाधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ, जोकि खेती करने या मकान बनाने के उद्देश्य से बिना वैध प्राधिकार के जमोंनों को जोत रहे थे, कार्यवाही की जा रही है।

(ख) आदिवासियों के १५० झूमियां परिवारों को जो कि गर्ज़ (गर्मी नहीं) संरक्षित वन में रह रहे थे, उन्हें कुछ सप्ताह पूर्व वनों में रहने वाले ग्रामीणों के रूप में खपा लिया गया है।

दिल्ली के अध्यापकों का वेतन-क्रम

†१०२९. **श्री कुन्हन** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर पालिका निगम और नई दिल्ली नगर पालिका समिति के अधीन काम करने वाले अध्यापकों के वेतन क्रमों का, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उस में कितना समय लगेगा; और

(ग) इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम पुनरीक्षित किये जा चुके हैं। दिल्ली नगरपालिका निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर ये निकाय सक्रियता से विचार कर रहे हैं।

यूनाइटेड प्राविन्सेज कर्मशियल कारपोरेशन

†**१०३०. श्री कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड प्राविन्सेज कर्मशियल कारपोरेशन ने १९६१ में अभी तक समुद्र सीमा शुल्क विनियमों और आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना जुर्माना किया गया है; और

(ग) इस फर्म के नियंत्रक कोन से लोग हैं ?

†**वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९६१ में अभी तक यूनाइटेड प्राविन्सेज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा समुद्रसीमा शुल्क या आयात विनियमों के उल्लंघन की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) श्री श्रीमोहन वाही

(२) श्री कृष्ण मोहन वाही

(३) श्री प्रेम मोहन वाही

(४) श्री ब्रज भूषण शरण जेतली

(५) श्री धीरेन्द्र नाथ साह

(६) श्री शामलधारी लाल

(७) श्री राम मोहन वाही

"चेन्ना वासवनायक" का अनुवाद

†**१०३१.** { **श्री अगाड़ी** :
श्री बोडयार :
श्री मोहम्मद इमाम :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी के कार्यपालक बोर्ड ने कन्नड़ भाषा के उपन्यास "चेन्ना बासवनायक" का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो साहित्य अकादमी के कार्यपालक बोर्ड की अगली बैठक कब होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) से (ग). इस मामले पर विचार करने के लिये कार्यपालक बोर्ड की बैठक १३ अगस्त, १९६१ को होने वाली थी, अकादमी का निर्णय अभी तक सरकार को सूचित नहीं किया गया है ।

मद्रास, इत्यादि में पुरातत्वी खुदाई

†१०३२. { **श्री सुगन्धि** :
श्री अगाड़ी :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, आन्ध्र, मैसूर, महाराष्ट्र और केरल में १९६१-६२ में पुरातत्वीय खुदाई का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). १९६१-६२ में की जाने वाली खुदाई के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पंजाब में मैला हटाने के लिये हथगाड़ी (ह्वील बैरो)

†१०३३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में मैला हटाने के लिये छोटी गाड़ियां और हथगाड़ियां(ह्वील बैरो) खरीदने के लिये पंजाब सरकार को कोई अनुदान दिया है; और

(ख) उस योजना का विवरण क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) द्वितीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने भंगियों द्वारा सिर पर रख कर मैला ढ़ोने की प्रथा बन्द करने के लिये राज्य सरकारों को मैला हटाने की हथगाड़ियों और ह्वील बैरो की खरीद में स्थानीय निकायों की सहायता के लिये अनुदान दिये थे । उस की एक शर्त यह थी कि उन की आधी लागत संबंधित स्थानीय निकायों को, राज्य सरकायों की सहायता या उस के बिना, भरनी चाहिये ।

तेल गोदाम डिपो

†१०३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर मद्रास में एक विशाल तेल गोदाम डिपो बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत से; और

(ग) क्या उस के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क), (ख) और (ग). मद्रास के टोन्डियारपेठ में १२,००० टन की क्षमता का एक तेल-गोदाम बनाने का प्रस्ताव है । उस के लिये उपयुक्त स्थान तलाश लिया गया है, और उस के मूल्य के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है । इस संस्थापन की निर्माण लागत ३० लाख रुपये कूती गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक मजदूरों के लिये भविष्य निधि

†१०३५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में काम करने वाले कई असैनिक कर्मचारियों, जिन में औद्योगिक कर्मचारी भी शामिल हैं, को निवृत्ति के बाद भविष्य निधि का लाभ नहीं मिला;

(ख) १ जून, १९६१ तक ऐसे कितने मामले हुए;

(ग) एक वर्ष से अधिक पुराने ऐसे कितने मामले हैं; और

(घ) उन मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने में शीघ्रता करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी संग्रह की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि सेवा-मुक्ति या निवृत्ति के एक महीने के अन्दर-अंदर भविष्य निधि के दावों का निबटारा कर दिया जाये ।

कस्टम हाउस, मद्रास

†१०३६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच से भी अधिक वर्ष पहले मद्रास में बीच स्टेशन के सामने की कस्टम हाऊस की इमारत को गिरा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां एक नई इमारत का निर्माण हो रहा है;

(ग) निर्माण-कार्य कब आरम्भ हुआ था;

(घ) कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) कार्य पूरा होने में विलम्ब का क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) मद्रास में कस्टम हाऊस की पुरानी इमारत को गिराने का काम २० नवम्बर, १९५७ को पूरा हो चुका था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ६ दिसम्बर, १९५७ ।

(घ) इमारत का निर्माण १९६३ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

(ङ) जिस ठेकेदार को नींव तैयार करने का काम सौंपा गया था, उसने केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की आशानुकूल कार्य नहीं किया । परीक्षणों से पता चला कि वह नींव अपेक्षित भार नहीं संभाल सकती थी । इस पर काफी दिनों तक लिखा-पढ़ी चलती रही और अन्त में ठेका रद्द कर दिया गया । फिर वह काम एक दूसरे ठेकेदार को सौंपा गया, जो अब पूरा हो चुका है ।

पंजाब उच्च न्यायालय

†१०३७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब उच्च न्यायालय में दो वर्षों, तीन वर्षों और चार वर्षों से अधिक अनिर्णीत पड़े मुकदमों की संख्या कितनी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : सूचना संग्रह की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में पिछड़े वर्गों के लिये मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†१०३८. { श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने १९६१–६२ में अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां देने के लिये कुल कितनी राशि मांगी और कितनी मंजूर की गई;

(ख) क्या उस राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है; और

(ग) राज्य के कितने लोगों को उससे लाभ हुआ है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क), (ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पंजाब सरकार को अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां देने के लिये मंजूर की गई तीनों श्रेणियों के लिये अलग-अलग राशियां इस प्रकार हैं :–

कुल मंजूर शुदा राशि	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग
१	२	३	४
१५,३६,५०० रुपये	१४,४७,२०० रुपये	३२,५०० रुपये	५६,८०० रुपये

निधियों का बंटवारा राज्य सरकारों की मांगों के आधार पर नहीं किया गया है, लेकिन उनका बंटवारा उसी आधार पर किया गया है जिस आधार पर १९५९–६० और १९६०–६१ में बंटवारा किया गया था ।

मंजूर शुदा राशियों का पूरा-पूरा उपयोग हुआ या नहीं और कितने विद्यार्थियों को उससे लाभ हुआ, इसकी सूचना तो तभी मिल सकेगी जब १९६१–६२ के अन्त में राज्य-सरकारों की रिपोर्टें आ जायेंगी ।

पंजाब को सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिये सहायता

†१०३९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र की ओर से पंजाब को १९६०–६१ में समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं और समाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा-उपरान्त देखभाल कार्यक्रम के लिये कितनी राशि दी गई;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य में कितने केन्द्रीय समाज कल्याण केन्द्र हैं और उनके नाम तथा स्थान क्या हैं; और

(ग) पंजाब सरकार को १९६१–६२ में ऐसी योजनाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सम्बन्धित अधिकारियों से अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सख्या २२]**

धन कर

†१०४०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ और १९६१–६२ में ३० जून, १९६१ तक धन कर से कितनी आय हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९६०–६१ में धन कर से प्राप्त राजस्व ८,०७,०३,००० रुपये था। १९६१–६२ में ३० जून, १९६१ तक ५८,७३,००० रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।

दिल्ली में अस्पृश्यता निवारण

†१०४१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है; और

(ख) दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड और भारतीय दलित वर्ग लीग को १९६१–६२ के लिये आवंटित राशि कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड केवल एक सलाहकार निकाय है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये योजनायें दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं, दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड की सलाह पर। दिल्ली प्रशासन इसीलिये अस्पृश्यता निवारण में योग देने वाली विभिन्न योजनाओं को—जैसे आवास अनुसहाय्य, मकान के लिये भूमि की व्यवस्था, व्यावसायिक छात्रवृत्तियां, कुटीर उद्योगों के लिये अनुसहाय्य, गैर-सरकारी संगठनों को सहायता और सिर पर मैला ढोने की प्रथा को बन्द करना—कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने वर्ष १९६१–६२ में अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं के लिये ३,९०,००० रुपये की व्यवस्था की है। भारतीय दलित वर्ग लीग को कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है।

प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसन्धान

†१०४२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसन्धान के लिये मंजूर की गई ५० फैलोशिप का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

१९६२ के सामान्य निर्वाचन

†**१०४३. श्री कालिका सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के प्रारम्भ में होने वाले सामान्य निर्वाचन की संभावित तिथियां क्या हैं;

(ख) वर्ष १९५७ के कार्यक्रम में इस बार के सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम में क्या सुधार किये गये हैं;

(ग) मतदान की तिथि और निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि में कितना अन्तर रहेगा;

(घ) मतदान पेटियों में गड़बड़ी करने और जाली मतदान को रोकने के लिये क्या सावधानी बरती गई है; और

(ङ) आयोग निर्वाचन के उम्मीदवारों का किस सीमा तक प्रचार करेगा ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) निर्वाचन आयोग ने अगले सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया है। फिर भी, सभी परिस्थितियों को देखते हुए, आयोग ने अस्थायी तौर पर यही निष्कर्ष निकाला है कि इसके लिये फरवरी १९६२ का अन्तिम सप्ताह ही सब से अधिक सुविधाजनक रहेगा, सिवाय हिमाचल प्रदेश और कुल्लू सब डिवीजन के उन बर्फीले क्षेत्रों में जहां अप्रैल, १९६२ में कभी निर्वाचन होने की संभावना है।

(ख) १९५७ के सामान्य निर्वाचन में मतदान का कार्यक्रम तीन सप्ताहों का रखा गया था। आगामी सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन आयोग एक ही सप्ताह में सारे देश में मतदान पूरा कराने की सोच रहा है (केवल कुछ बर्फीले क्षेत्रों को छोड़ कर, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों में हैं)। कई राज्यों में मतदान की वास्तविक तिथियों में एक से चार दिन तक का अन्तर पड़ सकता है। यह निर्भर करेगा वहां के मतदान, पुलिस कर्मचारियों की संख्या और परिवहन सुविधाओं पर।

(ग) मतदान पूरा होते ही, हर निर्वाचन क्षेत्र में यथाशीघ्र गणना-कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, पूरे राज्य में मतदान की अन्तिम तिथि से पहले गणना प्रारम्भ नहीं की जायेगी। सभी परिणाम उसके बाद ३–४ दिन में घोषित कर दिये जायेंगे। लेकिन कहीं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि और परिणाम घोषित करने की तिथि में एक सप्ताह से अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा।

(घ) नियमों में यह व्यवस्था है कि उम्मीदवारों के मतदान-अभिकर्ता जाली मतदान का सन्देह होने पर उसकी जांच करा सकते हैं। देहाती क्षेत्रों में ग्राम अधिकारी मतदाताओं को पहचानने में पीठासीन पदाधिकारियों की सहायता करेंगे। यह पर्याप्त समझा गया है।

मतदान और मतगणना के बीच मतदान-पेटियों को सुरक्षित रखने के लिये पूरी सतर्कता रखी जायेगी।

(ङ) निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों की ओर से कोई प्रचार नहीं करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

१०४४. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री के० भे० मालवीय :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कितने अनुभाग हैं और उनमें कितने ऐसे हैं जिनमें हिन्दी जानने वालों की बहुसंख्या है; और

(ख) ऐसे अनुभागों की संख्या कितनी है जिन्हें हिन्दी में टिप्पण और पत्रों के प्रारूप लिखने की अनुमति दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) मन्त्रालय में क्रमशः ४६ और ४१ । मन्त्रालय का कोई सम्बद्ध कार्यालय नहीं है ।

(ख) मन्त्रालय के सभी अनुभागों से कहा गया है कि वे हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दें और जहां तक सम्भव हो उनसे सम्बन्धित सभी फाइलों पर टिप्पणी (नोटिंग) भी हिन्दी में करें ।

दिल्ली की अदालतों में हिन्दी का प्रयोग

१०४५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मन्त्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अदालतों में हिन्दी के प्रयोग के लिये पंजाब उच्च न्यायालय से मांगी गई अनुमति प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली की अदालतों में हिन्दी को जारी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विधि मंत्रालय में हिन्दी का काम

१०४६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या विधि मन्त्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी का काम निबटाने के लिये अनुवाद शाखा में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है और अनुवाद शाखा में कितने कर्मचारी बढ़ाये जायेंगे ?

विधि उप मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख). तारीख ८ जून, १९६१ वाले विधि मन्त्रालय के संकल्प संख्या एफ० ३९/६१-प्रशा० १ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इसकी एक प्रति सदन के पटल पर ७ अगस्त, १९६१ को रख दी गई थी । अब राजभाषा (विधायी) आयोग को सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों तथा किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी ऐसे अध्यादेश का विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी

में प्रामाणिक मूलपाठ तैयार करने का काम सौंपा गया है। आयोग के अध्यक्ष ने अपने कर्त्तव्य का भार १० जुलाई, १९६१ को सम्भाल लिया था और यह सम्भावना है कि आयोग सितम्बर, १९६१ के मध्य से पूरे तौर से काम करने लग जायेगा। अनुवाद कार्य को तेजी से निबटाने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों के रखे जाने के प्रश्न पर आयोग के साथ परामर्श किया जा रहा है।

विस्तार निदेशालय की कार्यवाही हिन्दी में

१०४७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्तार निदेशालय द्वारा १९६०-६१ में ऐसे कितने कन्वेन्शन, सम्मेलन और गोष्ठियां बुलाई गईं जिनकी कार्यवाही हिन्दी में छपी है; और

(ख) ऐसी कार्यवाहियों को हिन्दी में प्रकाशित कराने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विभिन्न राज्यों में २३ सेमिनारों का आयोजन किया गया था और चूंकि सेमिनारों में भाग लेने वाले विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, इसलिये इन सेमिनारों की कार्यवाइयां अंग्रेजी में ही प्रकाशित की जाती हैं। सेमिनारों के निदेशकों को सलाह दी गई है कि वे उन प्रकाशनों को जिनसे सेमिनारों के उद्देश्यों को प्रोत्साहन मिलता हो हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करा लें।

सामान्य विज्ञान के अध्यापकों के मार्ग दर्शन के लिये पुस्तकें

१०४८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय द्वारा अध्यापकों के मार्ग दर्शन के लिये अब तक सामान्य विज्ञान की कितनी पुस्तकें तैयार की गई हैं;

(ख) अगले वर्ष ऐसी कितनी पुस्तकें तैयार करने का विचार है; और

(ग) हिन्दी में ऐसी कुछ पुस्तकें छपाई गई हैं या छपाई जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सामान्य विज्ञान की मूल्यांकन तकनीक पर एक पुस्तक।

(ख) संख्या का अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) राज्य प्राधिकारियों को यह सुझाव दिया गया है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तक का अनुवाद प्रादेशिक भाषाओं में करा लें।

कलकता में जूट के माल की जबती

†१०४९. **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या **वित्त** मन्त्री २८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वाली निर्यातक फर्में कौनसी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कलकत्ता के कस्टम्स कलैक्टर द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामला किस अवस्था पर है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) उनके नाम हैं;

(१) मेसर्स भारत कमर्शियल कम्पनी, कलकत्ता ।

(२) मेसर्स किस्सनलाल बान्गुर, कलकत्ता ।

(३) मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण जूट मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ख) और (ग). मेसर्स भारत कमर्शियल कम्पनी का मामला न्याय-निर्णीत हो चुका है । उस फर्म ने विधि का उल्लंघन करके जूट माल की जो ५,८०० गांठें भेजी थीं, उनको समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७(८) और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धाराओं २३क और २३ख के अन्तर्गत जब्त कर लिया गया है । यदि फर्म चाहे तो २५ लाख रुपये देकर उसे छुड़ा सकती है । फर्म के प्रोप्राइटर और अधिकृत अभिकर्ता पर क्रमशः पांच और एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है ।

भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अन्य दो फर्मों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है । लगता है कि उन फर्मों ने जूट माल की १२५ गांठें अवैधानिक रूप से निर्यात की थीं ।

विवाह-विच्छेद के मामले

१०५०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि देश की विभिन्न अदालतों में हिन्दू संहिता बिल के अधीन विवाह-विच्छेद के कितने मामले दर्ज कराये गये ; और

(ख) उनमें से कितने मामलों में अदालतों द्वारा विवाह-विच्छेद स्वीकार किया गया ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विज्ञान के प्रतिभावान् विद्यार्थियों की खोज

१०५१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशोर विद्यार्थियों में से विज्ञान के प्रतिभावान व्यक्तियों को ढूंढ निकालने से सम्बन्धित योजना की कार्यान्विति के बारे में क्या कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). योजना पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में जाति का विचार

†**१०५२. श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने के इच्छुक विद्यार्थियों से प्रार्थना पत्रों में 'धर्म' और 'जाति' का उल्लेख करने के लिये कहा जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध नहीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९ छात्रावासों में से केवल ५ में ही ऐसी व्यवस्था है कि छात्रों से प्रार्थनापत्रों में 'धर्म' का उल्लेख करने के लिये कहा जाता है, 'जाति' का नहीं।

(ख) हालांकि इस सूचना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन उससे कभी-कभी छात्रों की पृष्ठभूमि का परिचय मिलता है और आंकड़े मिलते हैं ।

(ग) जी नहीं। इसलिये कि हमारा मंशा जाति और उपजाति के उल्लेख को हटाना है, धर्म के उल्लेख को नहीं।

बिहार राज्य सरकार पर बकाया ऋण की रकम

†**१०५३. श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को बिहार सरकार से बकाया केन्द्रीय ऋणों की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) ३१ मार्च, १९६१ को बिहार सरकार से केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज की कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने ब्याज की कोई राशि अभी तक अदा की है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने अभी तक कितनी अदायगी की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लगभग १५६.४९ करोड़ रुपये ।

(ख) से (घ). १९६०–६१ में ४.७९ करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से राज्य सरकार ने उस वर्ष ३.७६ करोड़ रुपये अदा कर दिये थे।

पटना विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसन्धान

†**१०५४. श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में पटना विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक अनुसंधान की क्या क्या सुविधायें दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ठगों के दल का पकड़ा जाना

†**१०५५. श्री मुहम्मद इलियास** : क्या यह **गृह-कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष मई में दिल्ली पुलिस ने स्कूल अध्यापिकाओं को ठगने वाले छोटे-छोटे ठगों के दो अनुचित दल पकड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई दल नहीं पकड़ा है। तीन व्यक्ति अप्रैल में और मई, जून और जुलाई में एक एक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४०६/४२० के अन्तर्गत पकड़े गये थे। इन व्यक्तियों के खिलाफ एक स्कूल अध्यापिका ने पुलिस से शिकायत की थी और धोका देने तथा विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया था। मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

भारत-रूस सांस्कृतिक समझौता

†**१०५६. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस सांस्कृतिक समझौता के उपबन्धों के अनुसार सांस्कृतिक कार्यवाहियों के वार्षिक प्रोग्राम पर बात चीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

सैनिकों द्वारा बनाये गय मकान

†**१०५७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक देश भर में और विशेषकर फीरोज़पुर में भारतीय सैनिकों ने कितने मकान बनाये हैं ;

(ख) क्या यह योजना सफल रही है ; और

(ग) अम्बाला और फीरोज़पुर में बनाये गये प्रत्येक परिवार-मकान की क्या लागत है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) सेना श्रमिकों द्वारा फीरोजपुर में जिन कर्मचारियों के लिए मकान बनाये गये हैं उनकी संख्या निम्न है :—

विवाहित अधिकारी	.१३७
विवाहित जे सी ओस	.२२८
विवाहित ओ आर एन सीज ई	.१८९०

इन क्वार्टरों का निर्माण १९६० में आरम्भ हुआ और १९६१ में पूरा हुआ।

दूसरे स्थान पर निम्नलिखित कर्मचारियों के लिए मकान बनाये जा रहे हैं और आशा है कि वे चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरे हो जायेंगे :—

अकेले अधिकारी	८१
अकेले जे सी ओस	१००
अकेले ओ आर	२९४४
अकेले एन सीज ई	१९५

†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना यथासम्भव सफल रही है ।

(ग) अम्बाला और फीरोजपुर में परिवारों के लिए क्वार्टरों का निर्माण निम्नलिखित लागतों पर स्वीकृत हुआ था और वे स्वीकृत राशि में ही पूरे हो गये हैं :—

(१) अधिकारियों के क्वार्टर—	अम्बाला	फीरोजपुर
	रुपये	रुपये
(१) लेफ्टीनेन्ट कर्नल	२६,४१०·००	..
(२) मेजर	२४,१४०.००	२४,८१०·००
(३) कप्तान	२२,३२०.००	२४,८१०.००
(४) सुवालटर्न .	..	२१,८३०.००
(२) जेसी ओज क्वार्टर्स	६,८२०,००	७,०७०.००
(३) ओ आर क्वार्टर्स .	४,५५०.००	४,६८०.००
(४) एन सी ई/यू क्वार्टर्स . .	२,२७०.००	२,४४०.००

ट्रिनीडाड में भारतीय अध्ययन विभाग

†१०५८. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रिनिडाड में भारतीय अध्ययन विभाग[1] खोलने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा भारतीय अध्ययन के लिए एक प्रोफेसर का प्रवरण किया जा रहा है ।

भारत में विदेशी सहायता कार्यक्रम का सर्वेक्षण

†१०५९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में यूनेस्को द्वारा व्यवस्थित सर्वेक्षण भारत में प्रारंभ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्थिक विकास संस्था ने विदेशी सहायता कार्यक्रम के चुनाव और उसकी प्रभावोत्पादकता पर असर डालने वाले तत्वों का अध्ययन प्रारंभ किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chair of Indian Studies.

(ख) यूनेस्को के संलेख की, जिसमें ऐसे अध्ययनों की योजना की रूपरेखा दी गई है, एक प्रति संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]

प्राइमरी शिक्षा की सहायता के लिए यूनेस्को योजना

†१०६०. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को यूनेस्को की अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई आवण्टन वर्ष-वार किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यों में वर्ष-वार वितरण किस प्रकार किया जाएगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार

†१०६१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ के पहले छै महीनों में पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानियों द्वारा तस्कर व्यापार के कितने मामले पकड़े ;

(ख) वर्ष १९६० की इसी अवधि में ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया तथा वह दंड किस प्रकार का है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). वर्ष १९६१ के पहले छै महीनों में पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा तस्कर व्यापार के १७१ मामले भारतीय प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए जब कि वर्ष १९६० की उस अवधि में १८८ मामले पकड़े गए थे ।

(ग) उपरोक्त अवधि (अर्थात् जनवरी से जून, १९६१) में ३७ व्यक्ति दंडित किए गए तथा उनको ३० रुपए जुर्माने से लेकर १ वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी गई ।

तेल की खोज में प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये स्कूल

†१०६२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल की खोज में प्रविधिक प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल की स्थापना के संबंध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : स्कूल कैम्बे में चालू हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आई० सी० एस० अधिकारी

†१०६३. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९ और १९६० में कितने आई० सी० एस० अधिकारियों को राज्य-वार उनके रिटायर होने के बाद पुनर्विनियोजित किया गया अथवा उनका कार्यकाल बढ़ाया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: सूचना संलग्न विवरण में सम्मिलित है।

विवरण

उन आई० सी० एस० अधिकारियों की संख्या जिन का कार्यकाल बढ़ाया गया अथवा जिन्हें पुनर्विनियोजित किया गया

राज्य सरकार का नाम	कार्य-काल विस्तार		पुनर्विनियोजन	
	१९५९	१९६०	१९५९	१९६०
१. आन्ध्र प्रदेश	१	१	—	—
२. बिहार .	—	—	—	—
३. मध्य प्रदेश	१	२	—	—
४. मद्रास	—	—	१	—
५. उड़ीसा .	—	—	—	१
६. राजस्थान	—	—	—	१
७. उत्तर प्रदेश .	—	१	—	—
८. पश्चिम बंगाल . .	—	१	२	३
योग . .	२	५	३	५

पंजाब के भारत सेवक समाज को सहायता

†१०६४. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ से १९६० तक वर्ष-वार भारत सेवक समाज को मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता में से भारत सेवक समाज, पंजाब को कितनी राशि आवण्टित की गई ; और

(ख) वह राशि किन किन मदों में व्यय की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) भारत सरकार भारत सेवक समाज के दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय को अनुदान देती है परन्तु प्रदेश कार्यालयों को अनुदान केन्द्रीय कार्यालय द्वारा दिये जाते हैं। भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर भारत सेवक समाज, पंजाब को निम्नलिखित राशियां आवण्टित की गई थीं :

	रुपये	नए पैसे
वर्ष १९५८–५९	१,६४,०९५	४७
वर्ष १९५९–६०	१,०६,५८१	१९
योग	२,७०,६७६	६६

(ख) ये राशियां मुख्यत: निम्नलिखित मदों में व्यय की गई थीं :

(१) श्रम और समाज कल्याण शिविर ।

(२) लोक कार्यक्षेत्रों की स्थापना ।

(३) सहयोगियों के लिये पोषण भत्ता ।

(४) प्रचारकों के लिए पोषण भत्ता ।

(५) जन सहयोग केन्द्रों की स्थापना ।

(६) रात्रि में सोने के स्थान और नागरिक कल्याण विस्तार परियोजनायें ।

अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा

†१०६५. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक कर्मचारी समिति ने अपनी देश में एक अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा के निर्माण की सिफारिश के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) नहीं श्रीमान्, क्योंकि सदस्यगण तीसरी योजना से सम्बन्धित कार्य में व्यस्त रहे हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब राज्य में पिछड़े ईसाई

†१०६६. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के पिछड़े ईसाइयों को अनुसूचित जातियों को दी जाने

†मूल अंग्रेजी में

वाली शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य रियायतें देने के लिए केन्द्र से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र का क्या दृष्टिकोण है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में बाक्साइट निक्षेप

†१०६७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने पंजाब के कांगड़ा जिले में बाक्साइट निक्षेपों का होना दर्ज किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके खनन की क्या संभावनायें हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दुर्गापुर में कच्चे लोहे और इस्पात का स्टाक

†१०६८. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में ३१ जुलाई, १९६१ को कच्चे लोहे और इस्पात के बिलेटों का कितना स्टाक जमा था ; और

(ख) इतना स्टाक जमा हो जाने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क)

	टन
कच्चे लोहे का स्टाक	१७,५३२
इस्पात के बिलेटों का स्टाक	५,७९५

(ख) कच्चे लोहे और इस्पात के बिलेटों का यह स्टाक अधिक नहीं समझा जाता है ।

तम्बाकू कम्पनियों का लाभ

†१०६९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० और १९६१ में अभी तक ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के निवासी नहीं हैं, की बाकू कम्पनियों को कितना लाभ हुआ ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन कम्पनियों द्वारा उसी अवधि में भारत से कितना लाभ और लाभांश प्रेषित किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) लाभ सम्बन्धी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) १९६०–६१ में १.१ करोड़ रुपए प्रेषित किए गए ।

दिल्ली में शराब की दुकानें

†१०७०. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शराब की कितनी दुकानें हैं ;

(ख) १९६० और १९६१ में कितनी शराब की खपत हुई ; और

(ग) क्या यह मात्रा वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ की तुलना में अधिक है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** (क) २८ ।

(ख) शराब की बिक्री की मात्रा गैलनों में निम्न प्रकार है :

	देशी शराब	विदेशी शराब
१९६०–६१	१,३८,२६०	२,९५,७३७
१९६१–६२ (जून, १९६१ तक)	३२,३२५	१,१४,८५६

परन्तु वास्तव में खपत हुई मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती ।

(ग) जी हां, उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है परन्तु यह अवैध शराब बनाने को रोकने के लिए किए गए कठोर उपायों, जनसंख्या में वृद्धि और दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रदर्शिनियों के आयोजित किए जाने के कारण है ।

अभ्रक

†१०७१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में अभी तक अभ्रक के उत्पादन में कोई कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए गए जाने का विचार किया जा रहा है ; और

(घ) निर्यात की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान् । १९६१–६२ (अप्रैल-जून, १९६१) में उत्पादन १९६० की उसी अवधि की तुलना में कम नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) १९६० में २९,६२० टन अभ्रक निर्यात हुआ था जिसका मूल्य ९.८५ करोड़ रुपए होता है । यद्यपि निर्यात की मात्रा में पिछले वर्ष से वृद्धि हुई है परन्तु मूल्य कम प्राप्त हुआ क्योंकि ब्लाक अभ्रक का कम निर्यात हुआ ।

उड़ीसा में आम चुनावों के बीच में होने वाले निर्वाचन के लिये निर्वाचक-नामावलियां

†**१०७२. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में हाल में हुए चुनाव वर्ष १९५६ में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों के आधार पर हुए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस चुनाव के लिए नामावलियों का अद्यतन पुनरीक्षण मार्च, १९६१ तक भी तैयार नहीं किया गया था ; और

(ग) जिस निर्वाचक नामावलि पर ये चुनाव हुए उसे कब प्रकाशित किया गया था ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** (क) नहीं, श्रीमान् । उड़ीसा विधान सभा के मध्यवर्ती सामान्य निर्वाचन १९६० में पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों के आधार पर हुए थे ।

(ख) और (ग). उड़ीसा के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की समस्त निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण नियमानुसार किया गया था और उन्हें १० अक्टूबर, १९६० को प्रकाशित किया गया था । जब मार्च, १९६१ के अन्त में राज्य विधान-सभा के मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा की गई थी तो राज्य के १४० विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से ११० की निर्वाचक-नामावलियों का वर्ष १९५८, १९५९और १९६० में घर घर में जाकर की गई गणना के अनुसार विस्तृत पुनरीक्षण किया जा चुका था । शेष ३० की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण १९६१ में किया जाना था और ऐसे पुनरीक्षण के लिए कुछ और निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में, नोट किए गए थे । कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु सामान्य निर्वाचन यथाशीघ्र किये जाने के निर्णय के कारण उसे निलम्बित कर देना पड़ा ।

काम न आने वाली जीपों की बिक्री

१०७३. श्री खुशवक्त राय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास में कितनी ऐसी जीपें बेची गईं जो सेना के काम में नहीं आ सकती थीं; और

(ख) वे किस ढंग से और किस मूल्य पर बेची गईं और खरीदारों के नाम क्या थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, तीन ।

(ख) इन जीपों में से दो पठानकोट में ग्राम नीलामी में मोतियाखान, दिल्ली के श्री नंदन लाल को बेची गयी थीं । इन दोनों से २५०० रुपये और ३००० रुपये प्राप्त हुए थे । तीसरी काम न आने वाली जीप, विषय पर वर्तमान निदेशनों के अधीन रियायती दामों पर १६७५ रुपये में, अधिकृत कल्याण कार्य के लिये एक सैनिक यूनिट को बेची गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकक द्वारा उपक्रमों की जांच

†१०७४. **श्री वारियर :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री कोडियान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बजट वर्ष में विशेष पुनर्गठन एकक द्वारा कितने उपक्रमों की जांच की गई थी; और

(ख) ऐसी जांच के परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय बचत हुई और कितने कर्मचारी कम किये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३६ ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य के कारण बढ़े हुए भार के लिये रखे गये अतिरिक्त कर्मचारियों के व्यय को निकाल कर १८ लाख रुपये । मुख्य परिणाम यह है कि कर्मचारियों की वृद्धि की मांगों को मंजूर नहीं किया गया है और संगठन तथा कार्य के तरीकों में सुधार के सुझाव दे कर कार्यक्षमता बढ़ा दी गई है ।

सरकारी कर्मचारियों की कर्तव्य भावना

†१०७५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की कर्तव्य-भावना को ऊंचा उठाने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं अथवा आदेश जारी किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे उपाय अथवा आदेश क्या हैं; और

(ग) क्या उन आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सरकारी कर्मचारियों म कर्तव्यभावना की कमी के विरुद्ध उठाये गये कदम प्रशासकीय सतर्कता विभाग के १ जनवरी, से ३१ दिसम्बर, १९६० तक की अवधि के लिये वार्षिक प्रतिवेदन में जो २१ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था विस्तारपूर्वक वर्णित है ।

नीलकण्ठ अभियान

†१०७६. **श्री सूपकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस वर्ष नीलकण्ठ अभियान के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) क्या उस अभियान का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्। वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय ने नीलकण्ठ अभियान के लिये २०,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया था। वास्तव में हुए व्यय का अनुमान २७,००० रुपये के लगभग लगाया जाता है।

(ख) अभियान दल के नेता इस अभियान पर एक पुस्तक लिखने का विचार कर रहे हैं।

चारबतिया (उड़ीसा) में प्रतिरक्षा मंत्रालय की इमारतें

†**१०७७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चारबतिया में जो प्रतिरक्षा मंत्रालय की इमारतें हैं उन्हें उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार इन इमारतों के लिये कुछ भुगतान करेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पंजाब उच्च न्यायालय

†**१०७८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के उच्च न्यायालय में कितने स्थायी न्यायाधीश हैं; और

(ख) उस में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ग्यारह है;

(ख) छै।

दिल्ली के लिये इंजीनियरिंग कालिज

†**१०७९. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन की केवल दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये एक इंजीनियरिंग कालिज बनाने की मांग पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने यह प्रार्थना की है कि इस वर्ष चालू किये गये इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज में दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये सीटें सुरक्षित की जानी चाहिये और यदि ऐसा करना संभव न हो तो दिल्ली पालीटेक्नीक में डिग्री कोर्स जारी रखने और उस का विस्तार करने तथा इन कक्षाओं की समस्त सीटें दिल्ली के विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित करने के प्रश्न पर विचार कया जाये।

दिल्ली पोलीटेक्नीक की तरह इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज एक केन्द्रीय संस्था है। दोनों में से किसी में भी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं किये गये हैं वरन् उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर ही पर्याप्त सीटें मिल जाती हैं। इस वर्ष इंजीनियरिंग तथा औद्योगिकी कालेज में किये गये दाखिलों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अभी तक भरी गई सीटों में से ५८.७ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई हैं। प्रादेशिक कालेजों मे केवल ५०प्रतिशत सीटें उस राज्य के विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित की जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार का यह मत है कि केवल दिल्ली के विद्यार्थियों के लिये एक इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है ।

केरल के लिये लोहा तथा इस्पात

†१०८०. **श्री मणियांगाडन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल की वर्ष १९६१–६२ और तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक आगामी वर्ष की लोहे तथा इस्पात की आवश्यकतायें कितनी कितनी हैं;

(ख) क्या राज्य की वर्ष १९६१ के पहले छै महीनों की कुल मांगें पूरी की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) राज्य सरकार द्वारा बताई गई आवश्यकतायें निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	मीट्रिक टन
१९६१–६२	८२,८९५
१९६२–६३	९४,२९५
१९६३–६४	१००,४६६
१९६४–६५	१०७,२५४
१९६५–६६	११४,७२१

(ख) मांगें और आवण्टन वित्तीय वर्ष के अनुसार किये जाते हैं। वितरण नियंत्रण ढीला कर दिये जाने के बाद से राज्य सरकारों से अपनी मांगें प्रतिबन्धित श्रेणियों के सम्बन्ध में ही देने के लिये कहा जाता है। छूट दी गई श्रेणियों के सम्बन्ध में समस्त मांग पूरी कर दी जाती है। जहां तक प्रतिबन्धित श्रेणियों का सम्बन्ध है, केरल राज्य ने १९६१–६२ के प्रथम छै: महीनों के लिये १४,२४५ टन की मांग की थी, परन्तु उसे विभिन्न कोटों के अन्तर्गत केवल ४,४१८ टन का आवण्टन किया गया। मई, १९६१ को समाप्त होने वाले छै महीनों में केरल को वास्तव में लगभग १८,००० टन इस्पात भेजा गया। इसी अवधि में लगभग १,७०० टन कच्चा लोहा भेजा गया। परन्तु ये मात्रायें पहले की अवधियों में किये गये इन्डेन्टों पर भेजी गयी थीं।

(ग) समस्त मांग पूरी करना संभव नहीं है। क्योंकि इस समय कुल उपलब्धता कुल मांग से कम है।

बस्तर में लौह अयस्क

†१०८१. **श्री सुबोध हसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बैलाडीला के लौह अयस्क के खनन का कार्य चालू हो गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र में हो रहा है अथवा सरकारी क्षेत्र में ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). बैलाडीला में लौह-अयस्क निक्षेपों के विकास का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सौंपा गया है जो पूर्णतः केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है । निगम की ओर से भारतीय खनि विभाग उस क्षेत्र में विस्तृत खोज कर रहा है । खोज के परिणामों के आधार पर इन निक्षेपों के खनन की योजना तैयार की जायेगी । वास्तविक खनन कार्य १६६५ के उत्तरार्ध में प्रारम्भ होने की आशा है ।

करनाल हत्याकांड का मामला

१०८२. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल हत्याकांड के तथा कथित अभियुक्त श्री डी० एस० ग्रेवाल, भूतपूर्व सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस के खिलाफ जो विभागीय जांच हो रही है वह पूर्ण हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच कमेटी किन परिणामों पर पहुंची;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अभी कितना समय उसमें और लगेगा;

(घ) क्या यह सम्भव है कि जांच कार्य पूरा होने पर शीघ्र ही श्री ग्रेवाल का पंजाब से बाहर कहीं स्थान परिवर्तन कर दिया जायेगा; और

(ङ) क्या यह सच है कि पंजाब हाई कोर्ट ने फैसले में जो बातें उनके खिलाफ लिखी थीं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसले में रहने दिया, उस सम्बन्ध में पंजाब के मुख्य मंत्री जी से कुछ पूछा गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार को यह सूचना मिली है कि श्री ग्रेवाल ने अभी तक दोषारोपण का कोई लिखित उत्तर नहीं दिया है । उन्होंने भारत सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा था जो विचाराधीन है । अभ्यावेदन के निर्णय तक प्रान्तीय सरकार ने जांच को रोक रखा है ।

(घ) जब तक जांच का निर्णय नहीं हो जाता है इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

(ङ) जी नहीं ।

कुतुब मीनार में शव

†**१०८३. { श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार बिजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ जून १६६१ को कुतुब मीनार में एक युवा स्त्री का शव मिला था; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थान पर उचित सावधानी किन कारणों से नहीं रखी जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १६ जून १६६१ को कुतुब मीनार के निकट कुवातुल इस्लाम मस्जिद में एक युवा स्त्री का शव मिला था । मामले की खोज कर ली गई है तथा शीघ्र ही न्यायालय सिपुर्द कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुतुब मीनार पर एक पूरे समय का चौकीदार है। प्रतिदिन ९ म० पू० से १० म० प० तक एक पुलिस का सिपाही यहां तैनात रहता है। अर्द्धरात्रि से सवेरे के ४ बजे तक दो सिपाही यहां पहरा देते हैं। सभी संदेहास्पद व्यक्तियों की सावधानी से निगरानी रखी जाती है तथा आवश्यक होने पर कार्यवाही की जाती है।

केरल में पालीटैक्नीक

†१०८४. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कुछ पालीटैक्नीक का असंबद्ध हो जाने का खतरा है क्योंकि उनके पास यंत्रशाला के पर्याप्त यंत्र नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस लाभदायक काम के लिये कोई विदेशी मुद्रा क्यों नहीं दी गई थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मालूम हुआ है कि राज्य की प्रविधिक संस्थाओं में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पर्याप्त यंत्र नहीं हैं तथा एक इंजीनियरिंग कालिज को खतरा है कि कहीं केरल विश्वविद्यालय उसको असंबद्ध न कर दे।

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिनाई का असर देश की सभी प्रविधिक संस्थाओं पर पड़ा है। केरल संस्थाओं को भी उपलब्ध विदेशी मुद्रा का भाग दिया जाता है परन्तु यह संस्थाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। पूरी स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

कांगों में भारतीय के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ

†१०८६. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगो में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया एक पदक पहनते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). कांगो में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र का पदक पहन सकते हैं। सेवा की अर्हता अवधि तीन महीने निर्धारित कर दी गई है। क्योंकि पदक संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा की गई सेवा के लिए दिया गया है इसलिए सशस्त्र बल के अधिकारियों को इस पदक को पहनने की अनुमति है।

कांगो में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी जो पदक पहनने के अधिकारी हैं, इसको पहनते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेल्स के तट के निकट गुम भारतीय विमान चालक

†१०८५. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून १९६१ में वेल्स के तट के निकट गुम हुए भारतीय विमानचालक को खोज लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो जांच के ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच बोर्ड बनाया गया था । कार्यवाही की एक प्रति मिल गई है और विचाराधीन है ।

उत्पादन शुल्क अधिकारियों का सम्मेलन

†१०८७. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई १९६१ में नई दिल्ली में उत्पादन शुल्क अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हा । जुलाई १९६१ में दिल्ली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टोरेट के नान-गजटेड एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों का एक सम्मेलन हुआ था ।

(ख) अपेक्षित जानकारी अनुबन्ध में संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५**]

बोलानी ओर्स लिमिटेड

†१०८८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलानी ओर्स लिमिटेड ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने की लौह-अयस्कों का संभरण किया है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ से इस समवाय से कितनी धनराशि के लौह-अयस्क दिये हैं;

(ग) सरकार ने अब तक इस समवाय में कितने धन का विनियोजन किया है;

(घ) क्या सरकार को अब तक लाभ के रूप में कोई धनराशि मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) समवाय ने १४ अप्रैल, १९६० से दुर्गापुर इस्पात कारखाने को लौह-अयस्क देना आरम्भ कर दिया था और २९ जुलाई १९६१ तक उसने ८,०६,६७० टन का संभरण कर दिया था ।

(ग) ३५,३५,००० रुपये ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा के प्राचीन स्मारक

†**१०८९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६१-६२ में उड़ीसा के कुछ और प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा इन स्मारकों के क्या क्या नाम हैं;

(ग) १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में अब तक पुरातत्व विभाग के पूर्वी सर्किल के सुपरिंटेंडेंट ने कितनी बार अब तक उड़ीसा का दौरा किया है; और

(घ) उन्होंने इससे कितना यात्रा भत्ता बनाया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) दो—१. ज़िला फूलबनी सब-डिवीजन बौद्ध के गोधाराधी में नीलमाधव और सिद्धेश्वर के मंदिर ।

२. ज़िला ढेंकानाल, सब-डिवीज़न ताल्चर, बागरकोट में भिगेश्वर महादेव का मंदिर ।

(ग) १९६०-६१ . . . . छः बार
१९६१-६२ (जून १९६१ तक) . . दो बार

(घ) १९६०-६१ . . . रुपये १,२०३·९७ नये पैसे ।
१९६१-६२ (जून १९६१ तक) रुपये ४८०·८५ नये पैसे ।

भुवनेश्वर राज्य संग्रहालय

†**१०९०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६१-६२ में भुवनेश्वर के उड़ीसा राज्य संग्रहालय को सुधार के लिए कोई वित्तीय सहायत दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संग्रहालय के लिए उड़ीसा में मूल्यवान वस्तुयें खरीदने का है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

प्लास्टिक की वस्तुओं की जब्ती

†१०९१. **श्री कुन्हन :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री १० अप्रैल १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्यातकर्त्ताओं मैसर्स होतचन्द जवाहरमल, कलकत्ता के विरुद्ध कोई निर्णय किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारियों के लिये पेंशन लाभ

†१०९२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो कर्मचारी निम्न पदों में स्थायी होते हैं, उनकी पदोन्नति होने पर उनको पूरे पेंशन लाभ नहीं मिल पाते हैं जबकि वह ऊंचे अस्थयी पदों पर सात से आठ वर्ष तक काम करते रहते हैं; और

(ख) क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय १ अप्रैल, १९५६ से स्थायी पद बनाने तथा १ अप्रैल, १९५६ के बाद से जो स्थायी कर्मचारी अस्थाई पदों पर तीन वर्ष से अधिक समय तक हैं, उनको अर्द्धस्थायी बनाने के बारे में विचार करेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) पिछले तीन वर्षों तक ऊंचे पदों पर काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों को स्थायी पद के वेतन तथा ऊंचे पद के मिलने वाले वेतन के अन्तर के डेढ़ गुने लाभ पेंशन को गणना करते समय दिये जाते हैं ।

(ख) विभिन्न वेतन-क्रमों के ८० प्रतिशत अस्थाई पदों, जिन पर स्थायी रूप से काम होता है, को १–४–१९५९ से लगातार तीन वर्ष तक अवस्थित होने पर स्थायी बनाया जा रहा है तथा व्यक्तियों को भी स्थायी बनाया जा रहा है ।

जो कर्मचारी एक पद पर स्थायी होते हैं वह किसी भी ऊंचे पद पर अर्द्धस्थायी नहीं बनाये जा सकते हैं, चाहे उनकी सेवायें कितनी लम्बी क्यों न हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के देहाती क्षेत्रों की अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर

†१०९३. { श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में स्त्रियों की शिक्षा के लिये आवंटित निधि में से दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिये कितने मकान बनाये गये हैं;

(ख) क्या दिल्ली में स्त्रियों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) लड़कियों की शिक्षा के विस्तार तथा अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की केन्द्रीय योजना और शिक्षित बेरोजगार तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना के अधीन किये गये आवंटनों में से अध्यापिकाओं के लिये कोई क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं ।

(ख) और (ग). दिल्ली एक केन्द्र शासित क्षेत्र है तथा इसकी विभिन्न योजनाओं पर किया गया व्यय इसके बजट में से ही पूरा किया जाता है । तीसरी योजना में विशेष कार्यक्रम के अधीन स्त्रियों तथा लड़कियों की प्रस्तावित शिक्षा योजना नीचे दी जाती है :—

(रुपये लाखों में)

	योजना का नाम	१९६१–६२	१९६२-६६
१	गृह विज्ञान, ललित कला आदि के अतिरिक्त पाठ्य-क्रम की व्यवस्था . . .	१.००	४.००
२	अध्यापिकाओं के लिये विशेष भत्ता .	०.१०	०.४०
३	बस की व्यवस्था . . .	०.७५	१.७५
४.	अध्यापकों के लिए क्वार्टर	०.३५	०.६५
५.	मुफ्त आवास की व्यवस्था	०.६०	
६	स्कूल मदर्स की नियुक्ति .	०.१७	
७.	उपस्थिति छात्रवृत्ति .	१.५०	
८.	रिफ्रेशर कोर्स . .	०.१३	
९	अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये वज़ीफ़ा .	०.०२	
१०.	वयस्क स्त्रियों के लिये विशेष पाठ्य-क्रम	०.६२	
११	लड़कियों के लिये वज़ीफ़ा . . .	०.११	

बाल कल्याण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संघ

†१०९४. { **श्री कुन्हन :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या शिक्षा मन्त्री १८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिस्बन में बाल कल्याण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संघ की सामान्य परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिए भारत के कौन प्रतिनिधि गए थे; और

(ख) १९६०-६१ में दिल्ली के दो गांवों में बच्चों की स्थिति का अध्ययन करने के लिये व्यय किए गए ७ ००० रुपये के ब्यौरे क्या हैं; अध्ययन किसने किया था तथा गांव कौन-कौन से थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) बाल कल्याण की भारतीय परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती ताराअली बेग इस सम्मेलन में गईं थीं ।

(ख) प्राक्कलित व्यय के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :

	रुपये
१. पांच हजार फैमिली फोल्डरों का छापना .	५००
२. अतिरिक्त कार्डों का छापना . . .	२६०
३. फाइलिंग केबिनेट १२० × २	२४०
४, रिसर्च फैलो का वेतन (३०० रुपये मासिक) .	१,८००
५. प्रश्नावलि तथा मैकनोग्राफीकल व्यय का छापना . .	१,२००
६. २५० रुपये मासिक के हिसाब से इंवैस्टीगेटर का सात महीने का वेतन	१,७५०
७. परिवहन तथा विविध व्यय .	१,२५०
जोड़	७,०००

श्री बी० पी० अग्रवाल द्वारा घिटोरनी तथा बेगमपुर गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

सीमा क्षेत्रों में सैनिक प्रशिक्षण

†१०९५. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव अथवा योजना है कि केन्द्रीय सरकार सीमा क्षेत्रों की जनता को हथियार दे तथा हथियारों को चलाना सिखाये जिससे वह देश की रक्षा कर सके;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को सीमा राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई लोक सहायक सेना योजना के अधीन सीमा क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में शिविर आयोजित किए जाते हैं । इसमें शस्त्रास्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सीमा क्षेत्रों के शिविरों के दो महीने तथा अन्य शिविरों में एक महीने का प्रशिक्षण होता है ।

(ग) हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

उड़ीसा में विज्ञान क्लब

†**१०९६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सैकेण्डरी स्कूलों में इस समय कोई विज्ञान क्लब काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन स्कूलों में;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के विज्ञान क्लबों को आरम्भ करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में अब तक इस कार्य के लिये उड़ीसा सरकार ने कितना धन दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) बीस, विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**।]

(ग) जी हां ।

(घ) १९६०–६१. . ८,६०० रुपये ।

१९६१–६२. . . अब तक कोई नहीं ।

उत्कल विश्वविद्यालय में फिल्म क्लब

†**१०९७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय ने फिल्म क्लब आरम्भ करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में उत्कल विश्वविद्यालय ने कितनी प्रगति की है; और

(ग) क्या १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में इस कार्य के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई अनुदान दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) फरवरी १९६१ में विश्वविद्यालय ने बताया था कि योजना की क्रियान्विति के लिये कार्यवाही की जा रही है । विश्वविद्यालय से अग्रेतर प्रगति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) जी हां ।

१९६०-६१. . ३,७५० रुपये

१९६१-६२ (अब तक) . . . . कोई नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेन्शन के मामलों को निबटाना

†१०९८. **श्री राम गरीब :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, अमृतसर के सीमा शुल्क कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन के मामले निबटाने में सामान्यत: कितना समय लगता है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामले पिछले १ तथा दो वर्ष से लम्बित हैं और अब तक निबटाये नहीं गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ; और

(घ) ऐसे कितने मामले एक वर्ष से लम्बित हैं ?

†**वित्त मंत्री(श्री मोरारजी देसाई) :** (क) लेखापरीक्षा के लिए पिछली सेवा के ब्यौरों की उपलब्धता आदि पर पेंशन की स्वीकृति आधारित रहती है । सामान्यत: ऐसे मामले एक वर्ष में निबटा दिए जाते हैं तथा ऐसे आदेश हैं कि अफसरों की वार्द्धक्य तिथि से एक वर्ष पहले से पेंशन के मामलों में कार्यवाही आरंभ कर दी जाये : पेंशन के मामलों को शीघ्र निबटान के भी आदेश हैं ।

(ख) और (घ). यह सच नहीं है कि ऐसे कितने ही मामले दो वर्ष से पड़े हैं । केवल एक मामला है । उसमें भी अफसर ने स्वयं पेंशन का अभ्यावेदन तथा अन्य कागजात देर से दिए थे जब-कि उसको कई बार याद दिलाया गया था ।

(ग) ऊपर दिए गए उत्तर के आधार पर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

वायु सैनिकों को हिन्दी का प्रशिक्षण

१०९९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या १६८० क १२ दिसम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के व्यक्तियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षकों का जो प्रस्ताव था उस पर निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) तदनुसार हिन्दी के कितने प्रशिक्षक नियुक्त किये गये या किये जायेंगे ; और

(ग) भारतीय जल सेना में हिन्दी पढ़ाने के लिये कुल कितने अध्यापक नियुक्त किये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री(श्री कृष्ण मेनन): (क) वायुसेना के जवानों को हिन्दी सिखाने के लिए असैनिक प्रशिक्षक नियुक्त करने का फैसला किया गया है ।

(ख) ३३ प्रशिक्षकों को भर्ती करने का काम किया जा रहा है ।

(ग) उन्नीस । दो और असैनिक प्रशिक्षकों को नियुक्त करने का बन्दोबस्त हो रहा है ।

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्

†११०१. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या जुलाई १९६१ में अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद की कोई बैठक हुई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किए गए थे;

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की १४३वीं बैठक ७ जुलाई, १९६१ को हुई थी।

परिषद् की मुख्य सिफारिशें/निर्णय नीचे दिए जाते हैं :—

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन १९ इंजीनियरिंग कालिज तथा ६७ पालीटैक्नीक स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(२) प्रिंटिंग उद्योग के लिए सीनियर सुपरवायज़री तथा एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों का प्रशिक्षण करने के लिए प्रिंटिंग टैक्नालाजी की केन्द्रीय संस्था की स्थापना की योजना स्वीकृत हुई।

(३) औद्योगिक प्रबन्ध तथा व्यापारिक प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के लिए तीन अतिरिक्त केन्द्र मदुरे, लखनऊ तथा इलाहाबाद में बनाना स्वीकार किया गया।

(४) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली के चार क्षेत्रीय केन्द्रों में औद्योगिक डिज़ायन की प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास करना स्वीकार किया गया।

(५) प्रादेशिक समितियों की सिफारिशों पर परिषद् ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन वर्तमान संस्थाओं के सुधार/विकास के तथा कुछ नई संस्थाओं की स्थापना के निम्न-लिखित प्राक्कलन स्वीकार किए :—

(क) अनावर्तक (भवन तथा यंत्र) . . . २७२.४५ लाख रुपये

(ख) आवर्तक (पूर्ण) . . . २८.७८ लाख रुपये/वर्ष

(ग) हौस्टलों के निर्माण के लिए ऋण . ८३.६९ लाख रुपये

(६) परिषद् ने सिफारिश की कि पालीटैक्नीक में प्रवेश, विद्यार्थियों की योग्यता, सुविधाओं का उपयोग तथा पालीटैक्नीक शिक्षा से संबंधित बातों की ब्यौरेवार जांच की जाये।

(७) टैक्नीकल संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली फीस के समूचे प्रश्न की जांच की जानी चाहिए जिससे समस्त देश में समान फीस हो। जब तक इसकी जांच न हो तब तक संस्थाओं को डिग्री कोर्स के लिए ३०० रुपये वार्षिक तथा डिप्लोमा कोर्स के लिए १८० रुपये वार्षिक ट्यूशन फीस ली जानी चाहिए।

(८) टैक्नीकल शिक्षा तथा प्रशिक्षण का सही स्तर बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को टैक्नीकल संस्थाओं को पर्याप्त विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिए जिससे यंत्रों का आयात किया जा सके।

(९) इंजीनियरिंग तथा टैक्नालाजी के डिप्लोमा कोर्स के उद्देश्य, प्रशिक्षण के स्तर का, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार टैक्नीकल ढाँचे में परिवर्तन करने के लिए पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। देश के औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित उचित टैक्नीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेखा परीक्षा विभाग

†११०२. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा विभाग में अपीलीय प्राधिकारी को की गयी सब अपीलें, जिनमें कर्मचारियों की मुअत्तिली और बर्खास्तगी शामिल हैं, निपटा दी गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितनी अपीलें लम्बित हैं ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और उनका किस तिथि तक निबटारा कर दिया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

समुद्र के रास्ते संभरित कोयले का मूल्य

†११०३. **श्री अमजद अली**: क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई औद्योगिक एककों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें समुद्र के रास्ते संभरित कोयले के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है ।

(ख) रेल द्वारा उनको संभरित कोयले की लागत के अतिरिक्त उनको कितनी अतिरिक्त लागत देनी पड़ रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को समुद्र के रास्ते संभरित कोयले के मूल्य में कुछ रियायत देने की संभावना पर विचार किया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). रेल-एवं-समुद्र के रास्ते कोयला लेने वाले उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि राजसहायता की एक योजना लागू की गयी है जहां कि उनको कोयला लगभग उसी दाम पर दिया जायेगा जैसे वह रेल से भेजा गया हो ।

भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय

†११०४. **श्री अमजद अली** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तकों और पत्रिकाओं के वर्गीकरण का तरीका गलत है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्गीकरण की एक सामान्य योजना बनाने के बारे में सोचा है क्योंकि वर्गीकरण की डेवी दशमिक योजना को कई विश्वविद्यालय पुस्तकालयों ने ठीक नहीं समझा?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

केरल राज्य विधान सभा

†११०५. **श्री वारियर** :
श्री कोडियान :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह स्थान कब रिक्त हुआ ;

(ग) क्या इस स्थान के लिये निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**विधि उप मंत्री (श्री हजरनवीस):** (क) जी, हां । कुट्टपुरम् विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्र से स्थान रिक्त हुआ है ।

(ख) १७ अप्रैल, १९६१ को ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कार्यक्रम का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

एक सदस्य निर्वाचित करने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना . . .	२१ अगस्त,	१९६१
नामजदगी पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि .	३१ अगस्त,	१९६१
नामजदगी पत्रों की जांच	४ सितम्बर,	१९६१
नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि . . .	७ सितम्बर,	१९६१
मतदान . . .	२७ सितम्बर,	१९६१
पूर्ण . .	३० सितम्बर,	१९६१

उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश

†**११०६. श्री तंगामणि :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई उच्च न्यायालयों में निर्धारित संख्या से अधिक अतिरिक्त न्यायाधीश हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कौन कौन से उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त जज हैं ; और

(घ) १ अप्रैल, १९६१ को कितने नियुक्त किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) अतिरिक्त जज उच्च न्यायालय में पड़े बाकी मामलों को निबटाने के लिये नियुक्त किये जाते हैं ।

(ग) आसाम, जम्मू तथा काश्मीर और मद्रास उच्च न्यायालयों को छोड़ कर सभी उच्च न्यायालय ।

(घ) जी, कोई नहीं ।

जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों के दावे

†**११०७. श्री धनगर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों को वर्तमान कठिन प्रक्रिया के जरिये अपने दावे प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में यह विलम्ब एक वर्ष से भी अधिक हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो पालिसी होल्डरों के दावों को तेजी से निबटाने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) पालिसियों के निपटारे में कुछ विलम्ब हो सकता है जहां दावे

(१) निगम को अपेक्षित कागजात जानकारी दावेदार शीघ्र न देवे और पालिसी की अवधि समाप्त होने के कारण हों ;

(२) पालिसी चालू होने के बहुत थोड़े समय में मृत्यु से उत्पन्न हो जिसके कारण निगम को जांच करानी आवश्यक हो जाये ताकि यह पता लग सके कि क्या पालिसी लेते समय बीमा वाले ने कोई जानकारी छिपाई थी ।

(ग) निगम यथा संभव शीघ्र सभी दावों को निबटाने का इच्छुक है और जहां किसी प्रक्रिया के कारण कोई विलम्ब होता है, शीघ्र ही इनमें उचित संशोधन कर दिये जाते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम के ३५०० कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के ३५०० कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल"

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: हिन्दुस्तान शिपयार्ड के ३५०० कर्मचारी १२ अगस्त, १९६१ (पूर्व मध्याह्न) से हड़ताल पर हैं। हड़ताल निम्नलिखित स्थितियों में हुई ।

२६ जुलाई, १९६१ को शिपराइट (वर्थ) विभाग के दो कर्मचारियों ने अपना सामान्य कार्य इस आधार पर करने से इन्कार कर दिया कि इसमें 'स्लिंगिंग' शामिल था जो कि उनके पद के अनुसार उनके कार्य का अंग नहीं है । वे यह कार्य बहुत पहले से कर रहे थे । शिपयार्ड के प्रबन्धकों ने यह कहा कि उनको अपने काम के अन्तर्गत 'स्लिंगिंग' नहीं करना पड़ेगा । तथापि जब वे काम करने से इन्कार करते रहे तो उनको मुअत्तिल कर दिया गया । इसके फलस्वरूप शिप राइट वर्थ विभाग में २८ जुलाई, १९६१ से काम छोड़ो हड़ताल हो गई जिसमें ११५ में से १०६ कर्मचारियों ने भाग लिया । यहां यह बता देना भी संगत होगा कि जिस समय काम छोड़ो हड़ताल आरम्भ हुई उस समय, राज्य सरकार के श्रम कार्यालय में समझौते पर बातचीत हो रही थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी समय २८ जुलाई, १९६१ को शिपयार्ड के श्रम संघ के सचिव ने, हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्धक निदेशक के नाम एक नोटिस दिया जिसमें कहा गया था कि उसमें लिखी गयी २४ मांगों को या तो स्वीकार किया जाय या किसी मध्यस्थ के सुपुर्द किया जाय यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो नोटिस की १४ दिनों की मियाद समाप्त होने पर वे हड़ताल कर देंगे ।

शिपयार्ड के प्रबन्धकों ने इन मांगों पर विस्तृत विचार किया तथापि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनमें से कुछ मांगें जैसे कि प्रत्येक कर्मचारी की मजूरी में ३० प्रतिशत वृद्धि करना तथा निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों को रखना इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता था । प्रबन्धकों ने सावधानी से विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया कि इन में से कुछ मांगें न्यायनिर्णयन के लिये रखी जायें, कुछ अन्य मांगें मध्यस्थता के लिये रखी जायें तथा अवशेष मांगों को स्वीकार कर लिया जाये । इस आधार पर समझौते की बातचीतें आरम्भ हुईं । अग्रेतर प्रबन्धक, केवल उन मांगों को छोड़ कर जो स्वीकृत की गई थीं या अस्वीकृत होनी थीं, अन्य सभी मांगों को न्यायनिर्णयन के लिये भेजने को तैयार हो गये । संघ के साथ अब इस आधार पर बातचीत चल रही है राज्य सरकार से निरन्तर सम्पर्क रखा गया है और आन्ध्र प्रदेश सरकार के हड़ताल सहायक श्रम आयुक्त वार्त्ता में सहायता कर रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रमिक संघके प्रतिनिधि यहां मंत्री महोदय से बातचीत कर रहे हैं क्या उन्होंने यह कहा है कि यदि उनकी कुछ मांगें मध्यस्थ निर्णय के लिये रख दी जायेंगी तो हड़ताल समाप्त कर दी जायेगी ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं जानता कि संघ के प्रतिनिधि यहां हैं । तथापि मेरे एक मित्र मुझसे और परिवहन तथा संचार मंत्री से मिले थे । हमने कहा कि कुछ मांगें ऐसी हैं कि उनमे नीति सम्बन्धी बुनियादी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं अन्य मांगों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया जा सकता है कि उन्हें न्यायनिर्णयन या मध्यस्थ निर्णयन के लिये दे दिया जाये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन की कार्यवाही बतलाने वाला विवरण

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मैं राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन की कार्यवाही को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-३०८७/६१]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री दातार):** मैं (१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम १९५४ को अनुसूची ३ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) दिनांक २७ मई, १९६१ की जी० एस० आर० सख्या ७०८ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या ३०८८/६१]

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ३०९१/६१]

समुद्र सीमा शुल्क, केन्द्रीय सीमा शुल्क, नमक अधिनियम तथा औषधीय और प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं (१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८३७ ।

(ख) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८३८ ।

(ग) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८४० ।

(घ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८७२ ।

(ङ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८७४ ।

(च) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८७५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-३०९२/६१]

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७० की एक प्रति, जिसमें दिनांक १८ फरवरी १९६१ की अधिसूचना सख्या जी०एस०आर० १८८ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-३०९३/६१]

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८३५ ।

(ख) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८३६ ।

(ग) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८६८ ।

(घ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८६९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-३०९४/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १६५५ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १५ जुलाई, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६६ मे प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) तीसरा संशोधन, नियम, १६६१ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-३०६५/६१]

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), १६६१-६२ के बारे में विवरण

†**(श्री ब० रा० भगत)**: मैं १६६१-६२ के लिये बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में एक विवरण उपस्थापित करता हूं :

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और उनका जमानत पर छूटना

†**अध्यक्ष महोदय** : ७ अगस्त १६६१ को सर्वश्री स० मो० बनर्जी और इन्द्रजीत गुप्त ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी। उसका आधार यह था कि २६ जुलाई, १६६१ को उनकी दोष सिद्धि तथा तत्पश्चात् उन्हें छोड़ने की सूचना, जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा नियम २३० के अधीन नहीं दी गयी। इस संबंध में गृह-कार्य मंत्रालय को लिखा गया।

इसी बीच ६ अगस्त १६६१ को मुझे जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा एक तार प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने उनकी दोष सिद्धि तथा जमानत पर उनके छटने की जानकारी देते हुए समय पर जानकारी न दे सकने के कारण क्षमा याचना की है।

इसी बीच गृह कार्य मंत्रालय ने भी यह सूचित किया है कि बिहार सरकार ने इस भूल के लिये क्षमा याचना की है और कहा है कि वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न दुहराई जाये।

अतः जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तथा बिहार सरकार द्वारा व्यक्त की गई क्षमा याचना के पश्चात् मेरे विचार से इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाये।

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के सदस्य भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के विनियम २ : १ और २ : १ : १ के साथ पठित, उक्त संस्था की सम्पत्ति और विधियों के प्रशासन तथा प्रबन्ध की योजना के खण्ड १४ (५) में निहित उपबन्धों के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर की परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिए, अपने में से एक और सदस्य (१६ दिसम्बर, १६६० को निर्वाचित लोक-सभा के एक सदस्य के अतिरिक्त) चुनें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के सदस्य भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के विनियम २ : १ और २ : १ : १ के साथ पठित, उक्त संस्था की सम्पत्ति और विधियों के प्रशासन तथा प्रबन्ध की योजना के खण्ड १४(५) में निहित उपबन्धों के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर की परिषद के सदस्य के रूप में काम करने के लिए, अपने में से एक और सदस्य (१६ दिसम्बर, १९६० को निर्वाचित लोक-सभा के एक सदस्य के अतिरिक्त) चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से, जो ११ अगस्त, १९६१ को सभा में उपस्थापित की गई थी सहमत है"

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री आसर** (रत्नगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्न शब्द जोड़े जायें"

"इस रूपभेद के अधीन कि भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक १९६१ के विचार तथा पारित करने के लिये ३ घंटे के स्थान में ५ घंटे का समय दिया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें"

"इस रूपभेद के अधीन कि भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक १९६१ के विचार तथा पारित करने के लिये ३ घंटे के स्थान में ५ घंटे का समय दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं प्रस्ताव को संशोधित रूप में मतदान के लिये रखता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से, जो ११ अगस्त १९६१ को सभा में उपस्थापित की गई थी, इस रूपभेद के अधीन कि भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक १९६१ के विचार तथा पारित करने के लिये ३ घंटे के स्थान पर ५ घंटे का समय दिया जाये सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

मैं संविधान में एक बहुत छोटा संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं । यद्यपि यह संशोधन छोटा है तथापि इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है कि वह इसी प्रकार के अन्य संशोधनों का अग्रदूत है ।

यह संशोधन दादरा और नगर हवेली के भारत में एकीकरण से संबंध रखता है । यह शब्द 'नगर' है न कि 'नागर' जैसा कि कई अधिकांश लोग कहते हैं ।

इस सभावृत्त बस्ती का इतिहास सभी सदस्यों को ज्ञात है । कुछ वर्ष पूर्व नगर हवेली और दादरा के कुछ साहसी व्यक्तियों ने पुर्तगाली सैनिकों, पुलिस और वहां के अधिकारियों को मार भगाया और एक स्वतंत्र प्रदेश की स्थापना की । हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है और वे भी हमसे सहानुभूति रखते हैं ।

वस्तुत: जैसा कि हेग न्यायालय में सिद्ध किया गया यह कार्य वहां के निवासियों का था न कि भारत सरकार का । स्वतंत्रत प्रदेश की स्थापना होने पर हमने पुर्तगालियों को भारत के राज्य क्षेत्र से होकर आने तथा दादरा और नगर हवेली के निवासियों का दमन करने की अनुमति नहीं दी । अत : वे अपनी स्वतंत्रता कायम रख सके ।

पुर्तगाल की सरकार यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में ले गई तथा इन राज्य क्षेत्रों से होकर मार्ग का दावा किया । यह मामला कई वर्ष चलता रहा और वस्तुत: इसी कारण हम इन राज्य क्षेत्रों तथा गोआ के संबंध में भी वह कदम नहीं उठा सके जो हम उठाना चाहते थे । अन्ततोगत्वा इस मामले का निर्णय कर लिया गया यद्यपि यह निर्णय शतप्रतिशत उस प्रकार का नहीं हुआ जैसा कि हम चाहते थे तथापि इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि हमने जो बुनियादी रवैय्या अपनाया था वह बिल्कुल ठीक था, इससे यह प्रकट होता है कि हम इन राज्य क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल कर सकते हैं जैसा कि दादरा और नगर हवेली के निवासियों ने कई बार अपनी इच्छा को व्यक्त भी किया है । वहां की वरिष्ठ पंचायत ने इस आशय का संकल्प भी पारित किया है ।

हेग न्यायालय के निर्णय के पश्चात् हमने इस मामले पर अग्रेतर विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचे कि हमें वहां के पंचायत की प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिये । इसके परिणामस्वरूप हमने यह विधेयक संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है । इसके साथ एक संबन्धित विधेयक भी रखा गया है जो कि दादरा और नगर हवेली का इस सभा में प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखता है ।

हमने उन्हें संघ राज्य क्षेत्र में इस कारण रखा है कि हम उनका विभाजन कर उन्हें गुजरात या महाराष्ट्र में शामिल नहीं करना चाहते हैं । हम वहां के निवासियों की इच्छा को क्रियान्वित कर रहे हैं । उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक एकक समझा जाये । मैं नहीं जानता कि सुदूर भविष्य में क्या होगा तथापि निकट भविष्य में वे संघीय राज्य क्षेत्र बने रहेंगे । अत: किसी माननीय सदस्य द्वारा यह कहना कि उनके टुकड़े किये जायें वहां के निवासियों के इच्छाओं की विरुद्ध कार्य करना होगा ।

कुछ संशोधनों में यह सुझाव रखा गया है कि हमें इसमें गोआ, दमन और दीव के नाम भी इसमें जोड़ने चाहिये थे । इन संशोधनों से माननीय सदस्यों की इच्छाओं का पता चलता है तथापि वे सत्य के विपरीत हैं । हमारा सम्बंध दादरा और नगर हवेली में हुई घटनाओं से हैं । यहां की अवस्था

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गोआ, दमन और दीव से भिन्न है क्योंकि गोआ, दमन और दीव अभी भी पुर्तगाल को हमने यह कहा है कि ११ अगस्त से यह प्रदेश भारत संघ का एक अंग बन जायेगा। निसन्देह हमारी इच्छा है कि गोआ भारत संघ का एक भाग बने। तथापि जैसा कि मैंने कहा है कि दादरा और नागर हवेली का भारत में शामिल होना भविष्य के लिये एक अच्छा संकेत हैं।

इस सम्बन्ध में यह जानना उपयोगी होगा कि पुर्तगाली साम्राज्य आज के औपनिवेशवाद और साम्राज्य की समाप्ति वाले दिनों में सबसे बड़ा साम्राज्य है। यह विचित्र बात है कि जब इससे बड़े बड़े साम्राज्य विलीन हो रहे हैं तो यह साम्राज्य अभी भी जारी है। निसन्देह अफ्रीका के अंगोला प्रदेश में इसकी स्थिति बहुत दर्दनाक और खतरनाक है, कदाचित साम्राज्यवाद के पुराने इतिहास में भी वहां होने वाले दमन का मुकाबला नहीं मिलेगा। तथापि मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि अंगोला और मोजाम्बिक इत्यादि में पुर्तगाल साम्राज्य का विनाश निश्चित है।

दुख का विषय यह है कि हमें अंगोला के विषय में सही तथ्य ज्ञात नहीं होते हैं, क्योंकि वहां किसी को नहीं जाने दिया जाता है। कुछ समय पूर्व कुछ अंग्रेज मेथोडिस्ट मिशनरी वहां से आये और उन्होंने वहां होने वाले उत्पीड़न के सम्बन्ध में दर्दनाक हाल बताये। सबसे पहिली बार इस प्रकार विश्वसनीय सूत्रों से समाचार मिल सके। यद्यपि अभी तक बहुत कम हालात ज्ञात हुए हैं तथापि जिन हालातों का पता लगा है उनसे यह ज्ञात होता है कि वहां के पुर्तगाली अधिकारी और वस्तुतः पुर्तगाली सरकार भर्त्सना के योग्य हैं। मेरे विचार से पुर्तगाली सरकार वहां अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सकती है। हम अंगोला के निवासियों से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं।

गोआ के बारे में मुझे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूं कि गोवा की आजादी अफ्रीका में होने वाली घटनाओं पर निर्भर है—तो बात बड़ी अटपटी, बड़ी बेतुकी लगेगी। यह कहना गलत भी होगा और हमारे लिये यह फख्र की बात भी नहीं होगी कि गोवा की आजादी और भारत में उसको मिलाने के लिये हम दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं का मुंह ताकें। लेकिन असल में यह सवाल निर्भर करने का नहीं है। इन मामलों में हमें पूरी तसवीर को देखना पड़ता है, उन सभी चीजों को देखना पड़ता है जो एक दूसरे पर असर डालती हैं। वैसे गोवा में वही होगा जो भारत की जनता और सरकार करेगी। और ये, दोनों ताकतें ठीक वक्त पर पहल करेगी।

इसलिये यह एक बड़ा आसान सा, सीधा-सादा विधेयक है। मुझे यकीन है कि सभा का हर सदस्य इसे स्वीकार कर लेगा। हम अपने मन से तो नये स्थान इसमें जोड़ नहीं सकते। वह न तो असलियत से मेल खायेगा और न सही ही होगा। हम अपने मंशे का इजहार किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इस विधेयक में तो उसे शामिल नहीं कर सकते। ऐसे चलते-फिरते ढंग से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता।

इसीलिये हमें इसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिये। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के एक भाग को संवैधानिक रूप में भारत में मिलाने का यह पहला मौका है। और, यह एक तरह से आगे आने वाले वक्त का, भविष्य का लक्षण है।

दादरा और नगर हवेली की वरिष्ठ पंचायत के सदस्य यहां दिल्ली में इस ऐतिहासिक अवसर पर आये थे।

मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक स्वतन्त्र राज्य क्षेत्र की भांति कितने अच्छे ढंग से प्रशासन चलाया है। हमारा प्रशासक उनको जब तब राय देता रहता है। शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। उन्होंने १८ लाख रुपये अतिरिक्त राशि जमा कर ली है।

†**एक माननीय सदस्य** : तीस लाख ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : काफी बड़ी राशि है । यह भारत की संचित निधि में जमा की जायेगी । इन राज्य-क्षेत्रों के सुधार पर और भी ज्यादा बड़ी राशियां खर्च की जायेंगी ।

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): हमें दादरा और नगर हवेली की जनता को उनकी अपनी गुलामी के बन्धन काटने के लिये बधाई देनी चाहिये ।

उन्होंने काफी बड़ा बलिदान किया है और देशभक्ति की एक मिसाल हमारे सामने रखी है । प्रधान मन्त्री को इस बात पर जोर देना चाहिये था कि ये लोग भारत की जनता के ही अंग हैं, शताब्दियों से रहे हैं । भारत में शामिल होना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है ।

डियू, डामन और गोवा की जनता भी हमारी जनता का ही एक अंग है । दुर्भाग्य यही है कि वे अभी तक अपने को स्वतन्त्र नहीं कर पाये हैं । समय आयेगा जब हम उनको भी शेष भारत की भांति अहिंसापूर्ण संघर्ष के द्वारा मुक्ति दिलायेंगे ।

विदेशियों से अपना प्रदेश वापस लेना, मुक्त कराना हमारा अधिकार है । बुनियादी तौर पर वे भारत के ही अंग हैं ।

अभी चूंकि अहिंसक नीति हमें सदा ही सफलता दिलाती रही है, इसलिये हमें हिंसापूर्ण संघर्ष की आवश्यकता महसूस नहीं हुई । इसका यह मतलब नहीं कि हमें उसका अधिकार ही नहीं रहा ।

भारत का प्रत्येक नागरिक इस विधेयक का समर्थन करेगा ।

†**श्री डांगे** (बम्बई नगर---मध्य) : प्रधान मन्त्री के भाषण में कुछ खामियां रह गई हैं । विधेयक छोटा सा है, पर इसका अर्थ काफी बड़ा है । पुर्तगाली साम्राज्यवाद का पंजा ढीला होना---एक बहुत बड़ी बात है । हमें दादरा और नागर हवेली की जनता को बधाई देने में सात वर्ष लग गये । वे विद्रोह करते रहे और हम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का इन्तजार करते रहे । क्या गोवा के लिये भी हम इसी तरह इन्तजार करेंगे ? जब वे अपने को दासता से मुक्त कर लेंगे तब हम उनसे कहेंगे कि अब हम में मिल सकते हो !

दादरा और नगर हवेली की मुक्ति का रहस्य यह है कि बीच में भारतीय क्षेत्र पड़ने के कारण पुर्तगाली फौजें इन क्षेत्रों में नहीं आ सकती थीं ।

आज से सात साल पहले हमारे लोगों ने १५ अगस्त को बांदरा की सीमा से गोवा की ओर प्रयाण किया था । उन पर गोलियां बरसाई गईं थीं । लेकिन हमारी भारत सरकार ने उन ५००० स्वयंसेवकों की क्या सहायता की ? हम अंगोला के विद्रोहियों के कत्ल पर आंसू बहाते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिये पुर्तगाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध दूसरा मोर्चा क्यों नहीं खोलते ? दुनिया के बहुत से छोटे-छोटे बौने देशों ने अपनी दासता की बेड़ियां काट ली हैं, पर हम ४० करोड़ अपने गोवा को मुक्त नहीं करा सके । यह एक काफी बड़ी चीज़ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डांगे]

जब दादरा और नगर हवेली के ५०,००० लोगों को आजाद कराने में सात वर्ष लगे हैं, तो क्या गोवा को पांच लाख को आजाद कराने में ७० वर्ष लगेंगे ? मेरा अनुरोध है कि प्रधान मन्त्री उसके लिये उचित कदम उठायें ।

देश की जनता इसके लिये तैयार है । यदि सत्तारूढ़ लोग चाहें तो गोवा में जाने वाले स्वयं सेवकों को राइफिलों की कमी नहीं रह जायेगी । गोवा की समस्या तुरन्त हल होनी चाहिये ।

दादरा और नगर हवेली की जनता आज से हमारे देश का अंग बन गई है। यह बड़ी अच्छी चीज़ है । मैं उनको बधाई देता हूं । आशा है कि उनको निधियों की कमी नहीं पड़ेगी ।

आशा है कि अब हमारी सरकार वहां घाटे की अर्थ-व्यवस्था शुरू नहीं कर देगी । अभी वे आदिम क्षेत्र ही हैं । धीरे-धीरे उनमें भी अपना स्वायत्त राज्य बनाने की चेतना जागेगी, और तब हम नये राज्यों की सभी अन्य मांगों की तरह उसका भी विरोध करेंगे ! हम आदिम जाति क्षेत्रों को "ऊपर उठाने" का प्रयास करते हैं !

यदि वे अपनी एक राजनीतिक इकाई बनाना चाहें तो उसकी अनुमति दी जानी चाहिये । यूरोप में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या १ करोड़ से ऊपर नहीं । हमें आदिम जातियों को समुचित सम्मान देना चाहिये ।

यह कहना कि 'वे अपना शासन स्वयं चलाने योग्य हैं या नहीं, यह तो देखना पड़ेगा'---बिल्कुल वही तरीका होगा जैसा अंग्रेज शासक हमारे लिये कहा करते थे । इस पहलू की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । हमें इनको अपनी सभ्यता में रलमल जाने का समुचित ढंग और अवसर प्रदान करना चाहिये ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बहरामपुर): आज हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि दादरा और नगरहवेली की जनता ने पुर्तगाली शासन से मुक्ति पाने के लिये बड़ा प्रयत्न किया था, अतः इन दोनों के विलय के प्रश्न को गोआ की जनता की स्वतंत्रता और भारतीय संघ में सम्मिलित करने के प्रश्न से अलग नहीं किया जा सकता । इस तथ्य को स्पष्ट करने की दृष्टि से मैंने दो संशोधन रखे हैं। गोआ, दमन और डयू अब भी पुर्तगाली अधिकार में हैं किन्तु हमारे लिये संसद् में यह संवैधानिक घोषणा करने में कोई बाधा नहीं कि वे क्षेत्र हमारे हैं और हम उन पर अपने अधिकार की वैध मांग पर अटल हैं । और ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता । इसलिये हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि इन क्षेत्रों के बारे में हमारी कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है और उन्हें अपने स्वतंत्र राष्ट्र में सम्मिलित करने के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । जहां तक दादरा और नगर-हवेली में प्रशासन की बात है वह हम वही बनाये रखना चाहते हैं जो कि आजकल मौजूद है, इस वर्तमान विधेयक के द्वारा थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। वहां के निवासी चाहते हैं कि प्रशासन में उनका अधिक से अधिक हाथ हो । वहां की पंचायतें निर्वाचित इकाइयां हों । वहां के निवासी अधिकतर आदिम जातीय हैं। वहां पर भूमि का विभाजन बड़ा असमान है ।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुए]

†मूल अंग्रेजी में

डर इस बात का है कि अगर पंचायतों का चुनाव न किया गया तो वहां के खातेदार ही इन पंचायतों में नोमीनेट होकर आ जायेंगे और वे अपनी मनमानी करेंगे । अतः वहां पंचायतों का चुनाव करना नितान्त आवश्यक है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : दादरा और नगर हवेली के निवासियों ने पुर्तगाली सार्वभौमता को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। यहां के निवासी मख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं । अतः यह अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके इन के निवासियों को सम्बन्धित राज्यों में मिला दिया जाये । प्रधान मंत्री की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वह इन क्षेत्रों की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं और इनको महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में मिलाना वांछनीय नहीं है । दादरा और नगर हवेली की जनता ने भारतीय संघ में मिलने की इच्छा प्रकट की है लेकिन इसका यह भी अभिप्राय नहीं है कि वे केवल भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों में रहना चाहते हैं । मेरा विचार है कि अगर इन नगरों को दिल्ली से प्रशासित किया जाये तो कुछ कठिनाई होगी ।

वहां के लोग काफी पिछड़े हैं अतः यह आवश्यक है कि केन्द्र उनके विकास के लिये यथासंभव प्रयत्न करे । फिर भी हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि शीघ्र गोआ, दामन और डयू को स्वतन्त्र बनाने वाला विधेयक भी शीघ्र ही आयेगा । गोआ को भी शीघ्र ही मुक्त कराने की आवश्यकता है इसके लिये यह ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही कुछ करे बल्कि सरकार इस बात की जनता को अनुमति ही दे दे और जनता स्वयं अपने आप गोआ को मुक्त करा लेगी ।

आशा है कि विधेयक पारित हो जाने पर सरकार गोआ के सम्बन्ध में अपनी स्थिति और नीति पर पुनर्विचार करेगी । गोआ को भारत से किसी प्रकार की सहायता के लिये बिना भी चंद दिनों में मुक्त किया जा सकता है । बशर्ते कि सरकार देशवासियों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने से न रोके । जो वे प्राप्त कर सकते हैं । आशा है कि यह विधेयक पुर्तगालियों के लिये अपना बसन-बोरिया बांध लेने का संकेत सिद्ध होगा ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं । दादरा और नगर हवेली की जनता द्वारा स्वतन्त्रता के लिये किया गया आन्दोलन और उनकी भारतीय संघ में सम्मिलित होने की अभिलाषा के लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं । कुछ लोगों ने यह आशय व्यक्त किया है कि सरकार भारत के कुछ भागों पर विदेशी आधिपत्य की उपेक्षा कर रही है । इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी सेना से आक्रमण कराकर या सेना भेजकर लक्ष्य प्राप्त करना उतना आसान नहीं है । हांगकांग और ताइवान के मामले में चीन जैसा विशाल देश भी सैनिक कार्यवाही करके जल्दबाज़ी करने के बजाय प्रतीक्षा कर रहा है । गोआ, दमन और डयू के बारे में हमारी सरकार की नीति पूर्ण रूप से स्पष्ट की गई है और घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि हमने जो धैर्य रखा, वह उचित ही था । इस नीति के परिणामस्वरूप ये क्षेत्र भी जल्दी ही स्वतंत्र हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : दादरा और नगर हवेली के लोग सात साल पहले स्वतंत्र हो चुके थे और उन्होंने इतने वर्ष सब कठिनाइयों के बावजूद अपना काम जारी रखा । हम भी जानते थे कि वे स्वतंत्र हैं । किन्तु दुनिया इन बस्तियों को भारत का अंग नहीं समझती थी क्योंकि भारत ने उनका नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने का ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया था । आज वह कदम उठाया जा रहा है और इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से भारत में विलीन किया जा रहा है । आज वे संवैधानिक रूप से भारत का अंग बन चुके हैं और भारत की प्रभुसत्ता उस पर लागू होती है ।

श्री त्यागी ने आपत्ति उठाई है कि इन क्षेत्रों को उन के लोगों की इच्छा जाने बिना संघ क्षेत्र माना गया है । मेरे विचार में यह स्थिति ठीक नहीं है । भारत सरकार के अधीन किसी विशिष्ट क्षेत्र की जनता की स्थिति क्या है, यह एक ऐसी बात है जिसका निर्णय उन्हीं लोगों द्वारा किया जाना चाहिए । आत्मनिर्णय के प्रश्न को मान्यता देना उन लोगों को स्थिति निश्चित करने का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है । विधेयक में इस सिद्धान्त को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई है ।

दादरा और नगर हवेली का भारत संघ में प्रवेश इसलिये नहीं हुआ कि हम ने उन के लिए कुछ किया है । वास्तव में वहां के लोगों ने संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की । हम केवल उसे औपचारिक रूप दे रहे हैं । हमें उन्हें हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए ।

गोआ और पुर्तगाली आधिपत्य में अन्य बस्तियों के बारे में हमें ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए कि कानून का प्रत्यक्ष विरोध किये बिना यह बताया जा सके कि गोआ की जनता की मांग को पूरे भारत का समर्थन प्राप्त है और पुर्तगाली सरकार की इच्छा का विरोध भारत के सब लोगों द्वारा किया जा रहा है ।

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव) : सभापति महोदय, जो बिल सामने आया है, इसका मैं सहर्ष स्वागत करता हूं ।

इस बिल के द्वारा दादरा और नगर हवेली को हिन्दुस्तान के साथ शरीक किया जा रहा है । इसके साथ साथ अभी अभी कुछ माननीय सदस्यों ने गोआ, दमन और दीव के बारे में भी अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं समझता हूं कि कोई एमेंडमेंट लाना उचित नहीं होगा । इसके बारे में जो बात पंडित जी ने कही है, मैं उसको मानता हूं । लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री कभी कभी लोगों के दिमागों में ऐसी एक हवा पैदा कर देते हैं लेकिन उसको हमेशा भरे रहने नहीं देते हैं । अभी कुछ दिन पहले पंजाब में उन्होंने कहा था कि गोआ को आजाद कराना तो चन्द घंटों का काम है । ऐसी ही हवा उन्होंने १९५४ और १९५५ में पैदा की थी ।

गोआ विमोचन समिति बम्बई में स्थापित हुई । पूरे हिन्दुस्तान से और हिन्दुस्तान की हर स्टेट से गोआ को आजाद करने के लिए काफी लोग वहां आये । मुझे याद है वह दिन जब १४ अगस्त, १९५५ को रात के दस बजे मैं गोआ के अन्दर घुसा था दो सौ वालेंटीयरों के साथ और पूरी एक रात में हम गोआ के अन्दर ३२ मील तक चले गये थे । हम मोरजिम देहात तक पहुंच गये थे । यह बहुत बड़ा देहात है ।

रात को जाते वक्त हम को जिन लोगों ने रास्ता बताया, मुझे याद हैं उनके नाम, एक नाथ और तुका राम। बहुत अच्छे खासे प्यारे नाम हैं ये। उनके दिलों में गोआ को आजाद कराने की जो उमंग थी, वह आज भी मेरे सामने है। लेकिन आज तक उस उमंग को, लोगों की आजाद होने की उमंग को हमारी सरकार बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कांग्रेस के एक माननीय सदस्य जो कुछ दिन तक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, त्यागी जी, उन्होंने इस बात को छेड़ा है, पंडित जी भी इसको बार बार छेड़ते हैं। लेकिन यह कहना कि गोआ के लोगों को खुद-ब-खुद आजाद होने की कोशिश करनी चाहिये, इस बात को मैं ना-मुम्किन समझता हूं। दादरा, नगर हवेली और गोआ दमन और दीव की स्थिति में काफी फर्क है। आज मैंने टाइम्ज़ आफ इंडिया में एडीटोरियल पढ़ा है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। उनकी एक खास पोजिशन है। गोआ, दमन और दीव में सारे जहां के राष्ट्र काफी मदद ला सकते हैं और वहां के लोगों को दबा सकते हैं।

१५ अगस्त को हमने सवेरे मोरजिम देहात में ३२ मील अन्दर झंडावादन किया। हज़ारों लोग वहां चोरी छिपे आये हुए थे और खड़े थे। वे चाहते थे कि झंडावादन में शरीक हों। लेकिन वे डरते थे। उनको मालूम था कि अगर वे इसमें शरीक होते हैं तो उनकी जिन्दगी, उनकी प्रापर्टी खतरे में थीं। १५ अगस्त के रोज मैं जिन साथियों के साथ, करीब करीब ५० साथियों के साथ मोरजिम देहात गया तो हमारे पास खाने के लिये कुछ नहीं था। मैं गांव में गया, देहातियों से जिन के लिये हम कोशिश कर रहे हैं कि वे आजाद हों, कोशिश की कुछ खाने को मिल जाये। हर घर में मैं गया, लोगों ने मुझे कहा कि हम आजाद होना चाहते हैं और हम आजाद नहीं हो सकते हैं, बिना हिन्दुस्तान की मदद के। हम चाहते हैं कि हम आपका स्वागत करें, आप को खाने को दें, पीने को दें, लेकिन अगले दिन हमारी क्या हालत होगी ? आपके गिरफ्तार हो जाने के बाद, हम कह नहीं सकते हैं। कितनी उमंग है उनके अन्दर आजाद होने की, इसको बयान नहीं किया जा सकता है। वे जानते हैं कि हिन्दुस्तान के, भारत के भाइयों की मदद के बगैर वे आजाद नहीं हो सकते हैं। उस दिन पोर्चगीज सैनिकों के हमें गिरफ्तार करने के बाद दुनियां के कई पत्र पंडित वहां आये और सवेरे मुझ से मिले क्योंकि मैं उस गिरोह का लीडर था। उन्होंने मुझ से पूछा कि अगर गांधी जी जिन्दा होते तो गोआ के बारे में उन की क्या राय होती। मैंने उनसे कहा कि अगर भारत की आजादी के बाद गांधी जी जिन्दा होते तो यह स्पष्ट है कि वे पहला कदम रखते गोआ की आजादी के लिये, और उन्होंने इस बात को मान कर कहा कि वे गांधी जी की बायोग्रफी लिखने जा रहे हैं और वे इस बात का जिक्र उस बायोग्रफी में जरूर करेंगे। यह बात बाहर के लोग मानते हैं, हमारे यहां के लोग मानते हैं। लेकिन इस के लिये जो मदद हमको पहुंचानी चाहिये वह पहुंचाई नहीं जाती है। सन् १९५५ में जब चार या पांच हजार लोग गोआ विमोचन समिति की तरफ से गये तो बेलगांव से काफी लोगों को मोटर से जाने दिया गया। लेकिन बाद में टेलीफोन कनेक्शन और दूसरे जरियों से जो मोटर ट्रान्स्पोर्ट मिलता था उसे रोका गया। मुझे याद है १७०० लोग बम्बई से लड़के और लड़कियों को ले कर बेलगांव से गोआ के बार्डर तक पैदल चले गये। उन को तीन दिन तक लगातार चलना पड़ा। हमारी मिलिटरी की मदद भी हमें मिली। हमारे नाम उन्होंने लिख लिये और कहा कि हमारी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। इतना होते हुये भी ऐन वक्त पर सरकार की पालिसी बदल गई १५ अगस्त, १९५५ के दिन बोलते हुये पंडित जी ने इस बात का जिक्र किया कि गोआ को हमें आजाद करना है लेकिन यह

[श्री यादव नारायण जाधव]

केवल जिक्र करने से नहीं होता। चन्द घंटों में हम गोआ को आजाद कर सकते हैं। उन्होंने यह बात पंजाब के अन्दर कही, लेकिन अगर वे इस पर अमल करने लिये तैयार न हों तो लोगों के दिलों में झूठी आशा पैदा करना पंडित जी जैसे हमारे माननीय प्रधान मंत्री को शोभा नहीं देता। वे बड़े आदमी हैं, हम उन को श्रद्धा प्रदान करते हैं, लेकिन उन का यह फर्ज नहीं है। जब अफ्रीका में हमारे हिन्दी और अफ्रीकी भाइयों के ऊपर जुल्म होता था तो क्या उन के खिलाफ लड़ने के लिये गांधी जी नहीं गये? क्या पंडित जी का यह फर्ज नहीं है कि गोआ में सालाजारशाही की तरफ से जो जुल्म हो रहे हैं उन के खिलाफ वे लड़ें? मैं चाहता हूं कि पंडित जी को पहला सैनिक बन कर जाना चाहिये और गोआ को आजाद बनाना चाहिये।

इन सब बातों के साथ साथ दादरा और नगर हवेली के साथियों ने केवल अपने बल पर ही नहीं आजादी पाई। हिन्दुस्तान के दूसरे भाइयों की मदद भी उन को थी। उन के पीछे हमारी सदिच्छा थी। उन्होंने अपनी आजादी प्राप्त की है हमारी सदिच्छा के सहारे। हम जानते हैं कि पोर्चगीज़ लोग बड़े कायर होते हैं। जब हम २०० लोग गये तो हमें गिरफ्तार करने के बाद तेरेखोल की खाड़ी के नजदीक एक पहाड़ी के पास बैठा दिया था और डर के मारे वहां मुड़ मुड़ कर देखते थे कि कहीं और लोग तो नहीं आयेंगे। वे इतने डरपोक हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें इजाजत दी जाय तो, मैं एक महाराष्ट्र की बात नहीं कह रहा हूं, जैसा गोआ विमोचन समिति के चेयरमैन ने कहा, हर एक स्टेट से काफी लोग आ सकते हैं। यहां पर हमारी बहन हैं, उन का हमें शुक्रिआ अदा करना चाहिये कि दो गोलियों का निशाना बनने पर भी, एक पेट में और दूसरी बगल में, गोआ के दोस्त ने उन से पूछा है खत लिख कर कि वे उनसे मिलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वे कौन से रास्ते से जा सकती हैं। ऐसी बहादुर औरतें हैं जिन्होंने हमारे लिये मिसालें पेश की हैं। अगर उन को इशारा किया जाय तो वे गोआ की आजादी के लिये जाने को तैयार हैं। जैसा पंडित जी ने पंजाब में कहा कि यह चन्द घंटों का काम है, अगर यही भावना और यही मनोवृत्ति प्रधान मंत्री की है तो इस के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये कि चन्द घंटों में गोआ को आजाद किया जाय।

इन भावनाओं के साथ जो बिल सदन के सामने आया है, मैं उस का स्वागत करता हूं।

†**श्री महन्ती** (ढेंकनाल) : इस विधेयक का पारित किया जाना बहुत हर्ष का विषय है। किन्नतु सरकार को बताना चाहिए कि उस ने इस प्रकार के साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने में डेढ़ साल से भी अधिक समय लगाया है।

कुछ लोगों ने कहा है कि भारत सरकार हमारे देश से विदेशी बस्तियों को दूर करने में गम्भीर नहीं है। यह सत्य नहीं है। हमें समझना चाहिए कि गोआ का आज़ाद कराने का काम इतना साधारण नहीं है। केवल गोआ, दमन और दीव का नाम विधेयक में लिख देने से समस्या हल नहीं हो जायेगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि बम्बई सरकार या भारत सरकार के इशारे पर, जब भारतीय नागरिक इन बस्तियों के अन्दर प्रवेश करेंगे तो पुर्त्तगाली उपनिवेशवाद समाप्त हो जायेगा। यह तथ्य सामने रखना चाहिए कि गोआ 'नाटो' संघ का सदस्य है तथा उस सन्धि का एक अनुच्छेद यह है कि जब कभी पुर्त्तगाली शहरी आबादी पर आक्रमण हो, तो यह सारे संघ को चुनौती समझी जाये। अतः जहां पुर्त्तगाली बस्तियों को आज़ाद कराने में कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए, और ठोस कदम उठाने चाहिएं, वहां हमें सारी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। इस सदन में आज देर से ही सही लेकिन एक दुरुस्त बात की जा रही है। अच्छा रहा होता कि जब दादरा और नगर हवेली के निवासियों ने हिन्दुस्तान के अन्य निवासियों की सहायता से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके तुरन्त बाद दादरा और नगर हवेली को भारतीय जनतंत्र का एक हिस्सा बना लिया गया होता। किन्तु हिन्दुस्तान की सरकार जिस गति से चलती है उस गति के रहते हुए उससे कोई और अधिक अच्छी आशा नहीं की जा सकती थी। और जब दादरा और नगर हवेली को हम अपने गणतंत्र का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से उन हिस्सों की याद आती है जो अब भी हमारे होते हुए विदेशियों के कब्जे में हैं। उनमें से सब से ज्वलन्त उदाहरण गोआ का है जिसकी आजादी की लड़ाई में ही हमें दादरा और नगर हवेली की आजादी मिली है।

यह हमें समझ लेना चाहिए कि गोआ हमारा अभिन्न अंग है और गोआ को अब तक गुलाम रखने में अगर कोई जिम्मेदार है तो हिन्दुस्तान के वर्तमान प्रधान मंत्री और हिन्दुस्तान की वर्तमान सरकार हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस वक्त हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान की कांग्रेस के सभापति भी थे, और जब हिन्दुस्तान के स्वयं सेवक गोआ की आजादी के लिए गोआ में प्रवेश कर रहे थे और जब कि कांग्रेस संस्था से भी कोई इस तरह की मनाही नहीं की गयी थी कि उसके सदस्य गोआ में प्रवेश न करें, और जब गोआ में प्रवेश होने को ही था तब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री और उस वक्त के कांग्रेस सभापति, श्री जवाहरलाल नेहरू, द्वारा यह निर्देश दिया गया कि कोई भी कांग्रेसमैन गोआ में प्रवेश न करे। बड़े दुःख का विषय है कि आज प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि कभी न कभी तो गोआ आजाद होगा ही। इससे कौन इन्कार कर सकता है। दुनिया में जहां जहां उपनिवेश कायम हैं, वे सब—जिनमें अंगोला और मुजम्बिक भी शामिल हैं—कभी न कभी तो आजाद होंगे ही। इसलिए गोआनियों को छोड़ देना, हिन्दुस्तान के एक भाग को यह कह कर छोड़ देना कि कभी न कभी तो वह आजाद होगा ही, हिन्दुस्तान जैसे विशाल देश के प्रधान मंत्री के लिए कोई शोभा की चीज नहीं है, खास तौर से तब जब कि हिन्दुस्तान का एक एक नागरिक यह चाहता है कि चूंकि गोआ हमारे देश का अभिन्न अंग है इसलिए उसका समावेश हमारे देश में तुरन्त होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जरूर होगा।

श्री ब्रजराज सिंह : लेकिन हमारी वह आशा किस तरह पूरी होगी। आज अंगोला के निवासी जहां कि पुर्तगाल का साम्राज्य है, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुजम्बिक में आजादी की लहरें दौड़ रही हैं। लेकिन गोआ में उस आजादी की लहर को दौड़ाने के लिये हिन्दुस्तान की सरकार खुद कुछ नहीं कर रही है और हिन्दुस्तान की जनता को भी कुछ नहीं करने देती है। ऐसी सूरत में इस समय जब कि हम दादरा और नगर हवेली को कानूनी रूप से अपने गणतंत्र का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय सरकार को अपनी गोआ सम्बन्धी नीति में तुरन्त परिवर्तन करना चाहिये। खुद इस तरह के कदम उठाए जिससे गोआ साकार रूप में हमारे देश का अभिन्न अंग बन सके, और अगर स्वयं कुछ विशेष मुसीबतों की वजह से ऐसा नहीं कर सकती—हालांकि मैं कोई ऐसी मुसीबत नहीं देखता जिसकी वजह से हिन्दुस्तान की सरकार ऐसा न कर सके—तो मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की जनता को कम से कम इस बारे में स्वतन्त्र छोड़ दे कि वह जो कुछ चाहे गोआ के सम्बन्ध में कर सकती है। और मुझे विश्वास है कि अगर हिन्दुस्तान की सरकार हिन्दुस्तान की जनता को इस तरह की छूट दे दे तो हिन्दुस्तान की जनता गोआ को कुछ ही घंटों में स्वतंत्र करा सकती है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिये।

[श्री ब्रजराज सिंह]

इसके बाद मैं एक दूसरी बात दादरा और नगर हवेली के बारे में कहना चाहता हूं। वे अपना प्रशासन चलाने के बावजूद ३० लाख रुपया बचा सके हैं और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की जो परम्परा रही है आजाद होने के बाद वह तो इसकी उलटी रही है। अब यह डर है कि दादरा और नगर हवेली जब हमारे अभिन्न अंग बन जायेंगे तो वहां भी ऐसी ही व्यवस्था की जायेगी जैसी कि बाकी देश में हो रही है। सम्भव है वहां की उन्नति के नाम पर वहां के लिये भी इसी तरह की घाटे की अर्थव्यवस्था बनायी जाए। उनके लिये भी एक चीफ कमिश्नर रखा जायेगा, उसका एक साहबी ठाट होगा, उसका एक बंगला होगा और एक भारी खर्चा प्रशासन में किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि वहां इस तरह की प्रतिष्ठा के लिये सरकार पैसा खर्च न करे। दादरा और नगर हवेली में हम ऐसा खर्च न करें। वहां की जो परम्पराएं हैं उनको कायम रखते हुये कम से कम खर्च करें और वहां के प्रशासन को चलाएं। ऐसा ही करके हम दादरा और नगर हवेली की जनता को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना मेरा तो यह मानना है कि अगर जो हमारी व्यवस्था है उसी को हम वहां लागू करेंगे तो हम उनको भी अपनी ही तरह गरीबी में बांध लेंगे। इसीलिये मैं चाहूंगा कि वहां के प्रशासन का ढांचा ऐसा न बनाया जाए कि वहां की जनता को भी नौकरशाही के पंजों में फंसना पड़े। अच्छा है कि वहां की जनता को भारत में मिलाने के बाद अधिक अधिकार दिये जाएं और उस पर नौकरशाही का बोझा उस तरह न रखा जाए जैसा कि हिन्दुस्तान के अन्य भागों में है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार में जल्दी ही वह बुद्धि पैदा होगी कि वह गोआ को आजाद कराने में सक्रिय कदम उठाये और अगर वह स्वयं सक्रिय कदम न उठाना चाहे तो कम से कम भारत की जनता के मार्ग में बाधा न डाले और वे अपने भाइयों को आजाद करा सकें और हमारे देश के किसी भाग पर विदेशियों का कब्जा न रहे।

एक और बात पांडिचेरी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो कि हमारे देश का हिस्सा बन चुका है लेकिन कानूनी दिक्कतें अभी दूर नहीं हुई हैं। मैं आश करता हूं कि जल्दी ही ये कानूनी दिक्कतें भी हमारे रास्ते से दूर हो जायेंगी।

श्री आचार (मंगलौर) : दादरा और नगर हवेली के लोगों ने संख्या में कम होते हुए भी अपनी वीरता से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और हम उनका अपने संघ में स्वागत करते हैं।

कहा गया है कि हमने गोआ को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ नहीं किया। किन्तु हमें अपने देश की सामान्य नीति याद रखनी चाहिए। उस नीति के अनुसार हम गोआ में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री त्यागी : जब और सब उपाय असफल रहेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा।

श्री आचार : मैं नहीं कह सकता कि ऐसी हालत में या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बदलने पर क्या किया जायेगा। किन्त अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में जल्दबाजी से काम नहीं लिया जा सकता। हमें बहुत गहरे विचार के बाद कोई कदम उठाना होगा।

चूंकि दादरा और नगर हवेली के लोगों ने स्वतंत्रता स्वयं प्राप्त की है। इसलिए प्रभुसता उनके हाथ में है किन्तु उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय संघ में आना मंजूर किया है इसलिए हम उनका सहर्ष स्वागत करते हैं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : हम गर्व के साथ इस विधेयक का स्वागत करते हैं। किन्तु सरकार ने इसे प्रस्तुत करने में जो विलम्ब किया है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। मेरे विचार से सरकार ने उन लोगों को जो अपने आपको विदेशी शासन से आजाद कराने के लिए संघर्ष करते हैं पूरा प्रोत्साहन नहीं दिया और उनका नेतृत्व नहीं किया। यह बहुत शोचनीय है कि बम्बई सरकार ने उन लोगों को जो गोआ में जाना चाहते थे रोका!

यह बात समझ नहीं आती कि दादरा और नगर हवेली को केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र बनाया जाये। उन्हें बड़ी सुविधा से साथ वाले जिलों में विलीन किया जा सकता था। ५०,००० लोगों के छोटे से क्षेत्र को संघ क्षेत्र बनाने का और उसको वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन रखने का क्या औचित्य था। इस क्षेत्र की समस्याएं घरेलू हैं और इनकी देखरेख गृह-कार्य मंत्रालय को करनी चाहिए।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि दादरा और नगर हवेली को आज भारतवर्ष में मिलाया जा रहा है, लेकिन हमारी खुशी तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि दूसरी पार्टुगीज कालोनीज़, अर्थात् गोआ, दमन और दीव, को पूरी तरह से भारतवर्ष में न मिला दिया जाये। हमको स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए चौदह साल हो गये हैं और इस अवधि में भारतवर्ष एकटक देख रहा है, उम्मीद से इस बात को देखता रहा है कि गोआ कब हमारा हिस्सा बन सकेगा। कानून की दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से वह हमारा भाग नहीं है, अन्यथा मानसिक, ज्योग्राफिकल, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से गोआ हमेशा हमारा हिस्सा रहा है और वह जुदा नहीं हो सकता।

आज गोआ केवल भारतवर्ष की प्राबलम ही नहीं रह गया है, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया संसार के अन्य भागों पर भी हो रही है। गोआ पर पार्टुगीज़ का रूल होने की वजह से अंगोला या अफ्रीका की दूसरी पार्टुगीज कालोनीज में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसकी जवाबदारी भी, चाहे थोड़े अंशों में ही क्यों न हो, भारतवर्ष पर आ जाती है।

हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी की कठिनाइयों को भी मैं महसूस करता हूं। मैं समझता हूं कि गोआ को आजाद करने के तीन तरीके हो सकते हैं। या तो हम मिलिटरी ताकत से वहां जा पहुंचे और पार्टुगीज एम्पायर को वहां से हटा दें। यह तो हमारे लिये बहुत आसान बात हो सकती है। दूसरा तरीका था डिप्लोमेटिक उपाय काम में लाना, अर्थात् हम इस सम्बन्ध में अमरीका, इंग्लैंड और दूसरे ऐसे राष्ट्रों, जो पुर्तगाल के दोस्त हैं और जिन का उस पर असर पड़ सकता था, की या यू० एन० ओ० की सहायता लेते और उसके द्वारा देश के सामने उपस्थित इस महान मसले को सुलझा लेते। लेकिन इतने वर्षों में हम यह नहीं कर पाये।

तीसरा तरीका रह जाता है सत्याग्रह का। आज पार्टुगीज लोग चाहे यह मानें कि गोआ हमारी कालोनी है, या कालोनी नहीं है, बल्कि पुर्तगाल का हिस्सा है, परदेश में स्थित हमारे देश का टुकड़ा है, लेकिन हमारे लिये, या भारतवर्ष, या हमारी सरकार के लिये यह मानना जरूरी नहीं है कि वहां कोई दूसरा देश राज्य करता है। अगर हम गोआ के लोगों पर यह छोड़ दें कि वे सत्याग्रह कर के अपनी आजादी प्राप्त करें, तो मैं समझता हूं कि, हम उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं। आज के युग में और पुर्तगाल जैसे मदान्ध राष्ट्र की मनोवृत्ति को देखते हुए, जिस प्रकार के अत्याचार उसने किये हैं और कर रहा है, उनको देखते हुए अगर हम एक छोटी सी कौम से यह आशा करें कि वह अपनी आजादी हासिल करें और

[श्री कमल नयन बजाज]

जब वह आजाद हो जायें, तो हम अपने हाथ बढ़ाकर कहें कि आओ, हम तुम से मिलेंगे, तो मेरे विचार में हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध है--मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूं--कि प्रधान मंत्री जी इस पर सोचें कि क्या इस तरीके का रवैया हम अख्तियार कर सकते हैं। चाहे आज और चाहे सोच समझ कर किसी उचित समय पर वह भारतवर्ष को कह दें कि हम वहां पर मिलिटरी भेजने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन जो कोई अहिंसा और शान्ति के द्वारा वहां पर सत्याग्रह करना चाहता है, उसको हम मना नहीं करते हैं और गोआ और भारतवर्ष की लीगल बाउंड्री को हम कुबूल नहीं करना चाहते हैं। अगर हम यह तरीका अख्तियार करें, तो शायद हो सकता है कि भारतवर्ष की जनता आत्मिक, मानसिक और शारीरिक बल--हिंसा के शारीरिक बल की बात मैं नहीं कहता--के द्वारा और गोआ के भाइयों को हर प्रकार की सहायता देकर, अहिंसा, सत्याग्रह और शान्ति के मार्ग के द्वारा हम गोआ को मुक्त करा दें। उस समय यदि पार्टुगीज लोग लाखों भारतवासियों को गोली का शिकार बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष और गोआ के लोग आजादी के लिये बलिदान करने के लिये तैयार होंगे। हमारी सरकार ने उन लोगों से जो लीगल डिफरेंस मान रखा है, उसका निगेशन कर देना हमारी आजादी और गोआ की आजादी के लिये अगला स्टेप है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इस पर विचार करेंगे।

आज हमें खुशी है कि दादरा और नगर हवेली के जो लोग आज तक गुलाम थे, वे भारतवर्ष में शामिल हो रहे हैं और हम उनको बधाई देते हैं।

श्री अ० चं० गुह (बारासात) : दादरा और नगर हवेली को स्वतन्त्रता इसलिए प्राप्त हो सकी है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास अपील करने के बावजूद भी पुर्तगाल के लिए भारत के रास्ते से हो कर वहां जाना संभव नहीं था। किन्तु यह बात गोआ, दमन और दीव को आजाद कराने में सहायक नहीं होगी। इसलिए हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। हमें कुछ मान्यताओं का पालन करना होता है और अपने कार्य के परिणामों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह भी याद रखना चाहिए कि पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिससे हम किसी प्रकार के उदार दृष्टिकोण की आशा नहीं कर सकते।

अफ्रीका स्थित पुर्तगाली बस्तियों में कुछ घटनाएं हो रही हैं। वहां पुर्तगाल का साम्राज्य समाप्त हो रहा है। अब भारत सरकार को विचार करना होगा कि क्या इस अवसर पर भारत गोआ के लोगों को अपने आप को आज़ाद कराने में सहायता दे या कम से कम प्रोत्साहन दे। प्रधान मंत्री को विचार करना होगा कि क्या अंगोला की घटनाओं को और पुर्तगाल के असभ्य रवैये को ध्यान में रखते हुए, गोआ, दीव और दमन के सम्बन्ध में कोई नया कदम उठाया जा सकता है या कोई नई नीति अपनाई जा सकती है।

श्री उ० ला० पाटिल (धूलिया) : विदेशी बस्तियों के प्रति भारत सरकार की लापरवाही सब जानते हैं। सरकार ने इन्हें आज़ाद कराने के लिये कुछ नहीं किया। जब भी यह प्रश्न उठाया जाता है, यह उत्तर दिया जाता है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय खिंचाव के कम होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब पुर्तगाली अधिकारियों पर कुछ दबाव पड़ेगा और मित्र राष्ट्र पुर्तगाल को इन बस्तियों को छोड़ने के लिए कहेंगे। किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बल्कि हर साल १५ अगस्त के करीब हम यह समाचार पढ़ते हैं कि पुर्तगाली अधिकारियों ने वहां के देशभक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है।

विदेशी बस्तियों की मुक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं है जो केवल वहां की जनता पर छोड़ दिया जाये। भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन लोगों की सहायता करे और पुलिस या सेना भेज कर विदेशी शासकों को निकाल दे।

आश्चर्य की बात है कि इन दो क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र बनाया जा रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये लोग महाराष्ट्र या गुजरात के लोगों से भिन्न नहीं हैं। ग्राम को इकाई मानते हुए मराठी भाषी ग्रामों को महाराष्ट्र में और गुजराती भाषी ग्रामों को गुजरात में विलीन कर देना चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। साथ ही मेरा यह निवेदन है कि गोआ, दीव और दमन को भी संविधान की अनुसूची में शामिल किया जाये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप ने फरमाया कि इस मसले पर कुछ बहुत कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ थोड़ा सा कहने की जरूरत थी वह मैंने शुरू में कहा, और असल में जितने सदस्यगण इस पर बोले हैं उन्होंने इस बिल के ऊपर तो बहुत कम कहा, और बातों की चर्चा की। इस पर तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि वरिष्ठ पंचायत के या दादरा और नगर हवेली के रहने वालों को हम मुबारकबाद दें और अपने को दें।

हां, एक शिकायत हुई कि सात वर्ष बाद यह बिल क्यों आया। यह माकूल शिकायत है, हालांकि इसका जवाब भी बहुत माकूल है, और मोटा जवाब यह है कि, जैसा सब लोग जानते हैं, कि वर्षों तक यह मामला अटका रहा हेग की इंटरनेशनल अदालत में।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मालूम नहीं हम लोग गलत करते हैं या सही, लेकिन बहुत कायदे कानून के पावन्द हैं; और आज कल की दुनिया में, जहां कोशिश होती है हर मसले को लाठी, तोप और बम के जरिये से फैसला करने की, हम ने दिखलाया पिछले वर्षों में कि जहां हमारे पास हथियार हैं भी फैसला करने के लिये वहां पर भी हम हथियार के जरिये से नहीं बल्कि और जरियों से मामलों को तय करना चाहते हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि एक बात तो यही थी कि हेग की अदालत में मामला पेश था और हमने बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा कि हम कोई कार्रवाई यहां करें, जब तक कि वहां से फैसला न हो जाय, और उस फैसले को हम देख न लें।

ये मामले दादरा और नगर हवेली के या गोआ तक के छोटे हैं, कोई बड़े नहीं हैं। लेकिन आज कल की दुनियां में छोटे मामले भी बड़ों से बंधे होते हैं। आप जानते हैं, आज का ही अखबार खोल कर देखिये, एक कदम उठाया गया योरप में, जिस का असर कितनी दूर तक हो सकता है इसका पता नहीं। हम जो इतने रोज से कहते आते हैं कि हमारी नीति है कि जहां तक मुमकिन हो हम लड़ाई झगड़े से कोई मसले हल न करें, बल्कि और जरियों से, शांति से करें, अगर इन मसलों को हल करने की कोशिश करते फौजी तरीके से, तो एक तो यह हमारी नीति के विरुद्ध होता और उसके नतीजे कुछ दूर तक जा सकते थे।

वैसा आप जानते हैं, सब जानते हैं, मसला खाली गोआ का नहीं, मसला पुर्तगाल का है, और पुर्तगाल ने साया लिया है और मुल्कों का, बड़े बड़े मुल्कों का, नाटो है, जो एक लड़ाई का सम्बन्ध है, कई मुल्कों का अलायेंस है, वह उन्होंने किया है। ऐसे मौके पर अगर हम कहीं जरा भी आग लगायें तो कहां तक वह फैल जायेगी, यह कोई कह नहीं सकता। हम सबों को, जैसे कि बाज मेम्बरों को यहां बार-बार एक परेशानी होती थी, तबियत जिच सी हो जाती थी कि गोआ के मामले

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में क्यों नहीं कुछ किया जाता, क्यों न हम कुछ करें? लेकिन फिर हम सोचते थे कि भले ही दो या चार वर्ष और लगें, लेकिन अगर पक्की तौर से और शांति से काम हो तो वह ज्यादा मजबूत होगा और हम अपनी कुछ खिदमत करेंगे । बात यह है, जिस को आप माकूल जवाब समझें या न समझें । मैं नहीं जानता कि आइन्दा की तवारीख या इतिहास इसको क्या कहेगा, आइन्दा के लोग इसे देखेंगे । इसी-लिये हमने इसे मुल्तवी किया । इन बातों को हम ने कोई लड़ाई या फौजी जरिये से हल करने की कोशिश नहीं की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं होगी ।

जाहिर है कि आजकल की दुनियां में कोई इसका इकरार नहीं कर सकता कि आइन्दा क्या होगा । हालत इतनी डांवांडोल है कि पता नहीं कि दुनियां में अमन कायम रहेगा भी या नहीं । पता नहीं इसका असर हमारे देश पर क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमने दुनियां के सामने एक मिसाल रक्खी, जो कि अच्छी थी, यानी सब्र की । सब्र डर से नहीं, सब्र सोच कर के कि क्या हमारी नीति होनी चाहिये, क्या दुनियां की नीति होनी चाहिये, और अपनी इस नीति को हमने मजबूत किया । जो कुछ हमारा थोड़ा बहुत असर दुनियां पर था वह और बढ़ गया, घटा नहीं उस से । हां, यह सही बात है कि इसकी वजह से गोआ में जो बात वर्षों में होनी चाहिये थी वह मुल्तवी हो गई । लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब कि मैं या कोई और साथी यहां पेश हों और आप के सामने इस तरह का एक बिल पेश करें गोआ की निस्बत भी ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : आप ही करेंगे पंडित जी ।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : आप ही करेंगे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : वाक्या तो यह है, कि इस वक्त इन अलग-अलग मुल्कों के सवालों को छोड़ कर बड़े मुल्क आपस में बड़े सवालों को ले कर रंजिश और ठंडी लड़ाई जिसे कहा जाता है या गर्म लड़ाई की तैयारियों में हर बात को दुनियां में एक नये रंग में ले आते हैं, एक खूनी रंग उसको दे देते हैं । यहां पर नाटो का जिक्र मैं ने किया उसके क्या फायदे या नुक्सान हैं, मुझे इस से मतलब नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसे फौजी समझौते जो होते हैं, चाहे वह इस तरह से हों या दूसरी तरह से हों वे अच्छे होते हैं । मैं समझता हूं कि उनसे हमको हटना चाहिये । और सच बात तो यह है कि कोई बहुत ज्यादा उसके माने नहीं । जो भी कुछ उससे हो यह एक अलग बात है लेकिन एक बात नाटो की जरूर है और वह तकलीफ देह है कि उसने इस तरह से कुछ गलत बातों को अपने साये में ले कर उनको होने दिया । एक पुर्तगाल को ही ले लीजिये । कोई शक नहीं कि गोआ वगैरह के मामले में भी काफी मदद मिली, फौजी मदद नहीं मिली लेकिन और तरह से मदद मिली । उन बड़े-बड़े मुल्कों की पुर्तगाल को मदद मिली और इससे पुर्तगाल ने कुछ ज्यादा ऐंठन दिखाई इस मामले में । जैसा मैं ने अर्ज किया पुर्तगाल की निस्बत कुछ अर्ज करना मुश्किल है क्योंकि आज कल की बीसवीं सदी में हम भी एक मुल्क हैं । हमारा मुल्क भी है जो कि अक्सर दो हजार वर्ष पुराने खयालों में रहता है, कभी एक हजार वर्ष पुराने खयालों में रहता है और कभी पांच सौ वर्ष पुराने खयालों में, लेकिन उसी के साथ हम आज कल के जमाने में भी रहते हैं और यह एक मिली जुली बात हो गई है । लेकिन पुर्तगाल तो अभी निकला ही नहीं पांच सौ वर्ष पुराने खयालों से । वह उसी में पड़ा है और कोई झलक उनको नहीं मिली है कि आज कल का जमाना क्या है । जाहिर है कि यह बात चल नहीं सकती है । आप ने देखा कि अंगोला में क्या हो रहा है । लेकिन जो बात गौरतलब है वह यह कि जो मुल्क, बड़े मुल्क, दानिशमन्द मुल्क आज की दुनियां में आजादी का नाम लेते हैं, कैसे उन की मदद खुल्लमखुल्ला नहीं तो और तरह से पुर्तगाल को मिली । यकीनन इसी वजह से वे कायम हैं, चाहे अंगोला हो, चाहे मुजम्बिक हो, चाहे गोआ हो । यह बात उन

बड़े मुल्कों के लिए गौर तलब है। कुछ न कुछ वे भी समझे हैं, और पिछली बार जब यह सवाल उठा था संयुक्त राष्ट्र में, तो उस में वोटों से भी मालूम होता था कि लोग कुछ समझ गए हैं कि उनकी गलती करने की इन्तिहा हो गयी है कि वे किसी एक बात में नहीं बल्कि हर बात में पुर्तगाल का साथ देते हैं यह कह कर कि यह उनकी अन्दरूनी बातें हैं। अन्दरूनी बातें क्या हैं ? अन्दरूनी बात यह है कि बैठे बैठे पुर्तगाल ने एक दिन कह दिया कि गोआ और अंगोला वगैरह पुर्तगाल के जुज़ हैं, बल्कि पुर्तगाल ही हैं। यह अजीब बात है कि इस तरह की बातें बड़े मुल्क मान लें और उनको बुनियाद बनाएं अपनी पालिसी की।

दुनिया में आजकल बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे पेच हैं, बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन कोई सवाल हल नहीं होता आंखें बन्द कर लेने से कि सवाल है ही नहीं, चाहे वह गोआ का सवाल हो या अंगोला का सवाल हो। चुनांचे जो एक परदा पड़ा था इन बातों पर वह हट रहा है। और शायद ही कोई मुल्क आज दुनियां में ऐसा हो जो दो बातें न समझता हो, पहली तो यह जो पुर्तगाल ने गोआ की निस्बत कहा है वह बिल्कुल गलत बात है और उनकी पालिसी गलत है, और दूसरी बात यह कि जो हिन्दुस्तान की नीति है वह हमारे सब्र और दानिशमन्दी को दिखाती है और हमारा हक है वहां जाने का।

बाज साहिबान ने इसमें तरमीमें पेश की हैं कि गोआ को भी इसमें शामिल करो। मैं आपसे बहुत अदब से कहूं कि हमारी जो भी पालिसी गोआ के बारे में हो या न हो यह अलग बात है, लेकिन इसमें उसको जोड़ देना बेमानी है, और यह वजूहात के खिलाफ होगा। यह कहा गया कि आज से तीन दिन पहले ११ अगस्त को एक बात हो गयी। लेकिन यह गोआ में तो नहीं हुई। तो यह फिजूल बात है।

एक आध बात माननीय सदस्य श्री डांगे जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि हमको अंगोला को मदद करने के लिए गोआ में एक सैकिंड फ्रंट खोलना चाहिए। किस तरह से हम गोआ में अंगोला की मदद कर सकते हैं यह गौर तलब बात है। इस पर गौर करना चाहिए। इस बदलती हुई दुनिया में कोई जमा हुआ नहीं रह सकता। पुराने ढंग पर, और देखना पड़ता है कि इस वक्त क्या मौजूं है। बहरसूरत जो कुछ भी हम करें वह सही बात होनी चाहिए। महज तैश में आकर सैकिंड फ्रंट या कोई दूसरा फ्रंट खोलने के मैं कोई मानी नहीं समझता क्योंकि सैकिंड फ्रंट की बात करने से पहले हमको सोचना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा फ्रंट न खुल जाये जिसमें दुनिया तबाह हो जाए। इस सवाल को हर वक्त सामने रखना चाहिए। इसलिए इस वक्त ऐसी कोशिश करना गलत होगा।

एक बात और कही डांगे साहब ने कि यहां कुछ ट्राइबल्स लोग रहते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि लोगों की अक्सर ख्वाहिश होती है कि हम उनको ऊंचा उठाए या उनको बदल दें। इस बात में मैं उनसे पूरे तौर पर सहमत हूं, उनसे इत्तिफाक करता हूं। ट्राइबल्स के मामले में जो कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में और दूसरी जगहों पर रहते हैं मैं ने बहुत दिलचस्पी ली है, और मेरा ख्याल है कि उनको समझना कि पिछड़े हुए हैं, कभी सही हो सकता है, लेकिन कभी नहीं भी सही होता है। और मेरा ख्याल है कि कभी-कभी बाज बातों में उनका सामाजिक संगठन हमारे सामाजिक संगठन से ऊंचा होता है। मेरा तो ख्याल है कि हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्राइबलिज्म के बाहर हो। हम सब ट्राइबल्स हैं। जहां कास्ट का सिलसिला है वह ट्राइबलिज्म है। यह मेरा पक्का ख्याल है। हम अपनी खराबियां तो न निकालें और औरों को जाकर बताएं और

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

सिखाएं यह मुनासिब नहीं है । दोनों जगहों से खराबियां निकालनी चाहिएं । जो ट्रायबल्स हैं उनको हम उनके ढंग से मदद दें । यह नहीं कि हम उन पर अपना सामाजिक संगठन ठूंसें ।

एक और बात की चर्चा हुई कि इस इलाके के टुकड़े करके महाराष्ट्र और गुजरात में जोड़ दिए जाएं। मैं नहीं जानता कि आयन्दा क्या हो। यह वहां के लोगों पर मुनहसिर होगा कि वे क्या निश्चय करें। लेकिन इस वक्त तो उसके टुकड़े करना बिल्कुल गलत होगा। वह एक यूनिट है, आज से नहीं पुरचुगीज जमाने से । अब उसको लेकर उसके इस तरह से टुकड़े कर देना मुनासिब नहीं होगा । और आपने देखा कि पिछले सात आठ बरस में यह एक यूनिट अच्छा चल रहा है । उसने अच्छा काम किया है अपने एडमिनिस्ट्रेटर की सलाह से, लेकिन आखिर वहां की वरिष्ट पंचायत के लोगों की जिम्मेदारी थी । उन्होंने अच्छा काम किया । अब अगर उनको तोड़ दें और नए ढंग से जोड़ दें तो उनकी हैसियत खत्म हो जाती है । हिन्दुस्तान के समन्दर में वे खो जाते हैं और उनको व्यक्तिगत हैसियत निकल जाती है । यह ठीक नहीं है । आयन्दा हलके-हलके अगर वह ऐसा करना चाहें तो उनको इसका अधिकार है, कोई रोक नहीं है । इस बात को हमने बहुत सफाई से कहा है और मैं इस वक्त उस बात को दुहराए देता हूं कि गोआ जब भारत में शामिल होगा गोआ को किसी प्रदेश में नहीं मिलाया जाएगा । गोआ एक यूनिट रहेगा और जो कुछ वहां अन्दरूनी प्रबन्ध हो वह रहेगा । बाद में वहां के लोग चाहें तो देखा जाएगा । गोआ भी चार सौ पांच सौ, न जाने कितने बरसों से, एक यूनिट रहा है पुरचुगीज के नीचे, तरह-तरह की चीजें वहां चली हैं, अच्छी बुरी। इसलिए उसको तोड़ देना ठीक नहीं होगा। हमारा पक्का इरादा है कि गोआ एक यूनिट ही रहेगा और जो अधिकार हम दूसरे यूनिटों को देते हैं वे ही अधिकार उसको भी दिए जाएंगे ।

यही चीजें थी जो मैं अर्ज करना चाहता था । चुनांचे मैं उम्मीद करता हूं कि जो तरमीमें पेश की गयी हैं वे वापस ले ली जाएंगी और सब लोग खुशी-खुशी इस बिल को मंजूर करेंगे और एक नया ज़माना उस के लिए इस तरह से शुरू करेंगे ।

एक बात और मैं कह दूं जो कि शुरू से हम ने कही है। हिन्दुस्तान के आजाद होने के साथ उस के दो टुकड़े हुए, पारटीशन हुआ, हमारी रजामन्दी से हुआ और उसके हमने नुकसान भुगते, परेशानी भुगती——हमने और पाकिस्तान ने। बहुत कुछ हुआ। खैर। लेकिन इसके बाद हमारा कभी यह इरादा नहीं था और न है, और न किसी दानिशमन्द आदमी का हो सकता है कि हम अब इसमें दखल दें। हम अलग-अलग हो गए। हम चाहते हैं कि वह खुशी से रहें और हम भी खुशी से रहें और जितना हम दो मुल्कों में सहयोग हो सके उतना अच्छा है।। और हम कुछ नहीं चाहते। उसके बाद से हमारा कोई इरादा भारत के हुदूद बढ़ाने का या किसी और मुल्क का कोई हिस्सा लेने का नहीं रहा है, सिवा इस के कि जो मुल्क के हिस्से हैं, जैसे गोआ वगैरह हैं, उनको मिलाना चाहते हैं । और उस के बाद जहां तक भारत की शक्ल है वह पूरी हो जाती है। उसको हम नहीं बढ़ाना चाहते। आजकल का जमाना मुल्कों को बढ़ाने का नहीं है। हां कहीं-कहीं ये पुराने जमींदारी खयालात मौजूद हैं । हम में भी कुछ लोग इस तरह के ज़मींदारी खयाल के हैं जो समझते हैं कि जमीन के लिए हाथापाई करने से शान बढ़ जाती है । लेकिन यह आजकल की दुनिया का खयाल नहीं है । और कम से कम हिन्दुस्तान के हुदूद बढ़ाने का कोई सवाल हमारे सामने नहीं है। हां कोई हमारी जमीन को ले ले तो उस से वापस लेना, यह दूसरा सवाल है। खाली गोआ, दमन और ड्यू बाहर रह गए थे और जब तक ये भारत में शामिल नहीं

होते तब तक हमारी राजनीतिक क्रांति पूरी नहीं होती। यह हो जाए उसके बाद यह सवाल खत्म हो जाता है। फिर और हमारे सामने और लम्बे चौड़े सवाल हैं, सामाजिक क्राति के, आर्थिक व दूसरे जिन पर हम अब भी चल रहे हैं।

तो मैं आशा करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस बिल को हम सब लोग बड़ी खुशी से और इत्तिफाक राय से स्वीकार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नलदुर्गकर (उस्मानाबाद) : औचित्य प्रश्न के हेतु मेरा निवेदन है कि इस मामले में अनुच्छेद ३६८ लाग् नहीं होता क्योंकि किसी नये राज्य को शामिल करना संविधान का संशोधन नहीं समझा जा सकता अतः इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : उपखंड (२) में उल्लिखित किसी अनुसूची को संशोधित करने वाला विधान संवैधानिक संशोधन ही होगा ।

जहां तक कि अर्जन एवं संघ की किसी भूमि के हस्तान्तरण का प्रश्न है संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । इसी कारण बेरुवारी तथा कूच बिहार के प्रश्न के समय यह मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था । संविधान की अनुसूची में भी इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ऐसा आभास होता है कि जब कभी किसी भूमि को लिया जाये अथवा संघ की किसी भूमि का हस्तान्तरण किया जाये तो इसके लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है । खासी संविधान के अनुच्छेद २ अथवा ३ के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता । यह मामला विधि का नहीं है बल्कि प्रश्न औचित्य का है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने दोनों ओर की बातें सुन ली हैं । मैं इसे संवैधानिक संशोधन मानूंगा । इसके लिये विभाजन होगा ।

प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ३३७ और विपक्ष में कोई नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब विधेयक की खंडवार चर्चा होगी । संशोधन संख्या ५, ७ और ८ नियम वाह्य हैं । क्या कोई सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**श्री उ० ल० पाटिल :** जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं खंड २ और ३ को एक साथ रखूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है :

"कि खड २ और ३ विधेयक का अंग बनें"

सभा में विभाजन हुआ* ।

पक्ष में ३३९ और विपक्ष में कोई नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

सभा में विभाजन हुआ

पक्ष में ३४३ और विपक्ष में कोई नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५०, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १७५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और द्विसंदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समाप्त) अधिनियम १९६१ में कुछ मामूली संशोधन करने वाले विधेयक को श्री अमजद अली, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री आर० रामनाथन् चेट्टियार, श्री श्रीनारायण दास, श्री म० ला० द्विवेदी, श्री अरविन्द

---

*इस विभाजन का परिणाम प्रत्येक खण्ड पर अलग-अलग लागू होता है।

†मूल अंग्रेजी में

घोषाल, श्री आर० एम० हजरनवीस, श्री बलराज मधोक, श्री जसवन्त राज मेहता, श्री जगन्नाथ राव, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री शंकरैया, श्री एम० एस० सुगन्धि, श्री अ० कु० सेन की एक प्रवर समिति को १६ अगस्त, १९६१ तक अपना प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५०, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ और दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम १९६१ में संशोधन करता है। अधिकांश संशोधन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों के अनुसार हैं, संशोधन के दो उद्देश्य हैं, एक तो यह कि प्रत्येक मतदाता को मतदान का अधिकार दिलाना और दूसरा निर्वाचनों को अधिक सरल और शीघ्र बनाना।

इस विधेयक के द्वारा पहिला परिवर्तन तो यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २३ की उपधारा (४) और (५) को समाप्त करना है। इसका अभिप्राय निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेशों को निष्प्रभावी बनाना है। विधेयक का खंड ४ उस उपबन्ध को समाप्त करता है जिसके अनुसार विधान परिषदों के लिये शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आवास की अर्हता आवश्यक है।

खंड ५ का उद्देश्य इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाये जाते हैं उस पर संसद् का अधिक नियंत्रण करना है। पहले केवल यही होता था कि वे सभा पटल पर रखे जाते थे लेकिन अब इस खंड में संशोधन करने से सभा अधीनस्थ विधान पर और भी अधिक नियंत्रण रख सकेगी। यह खंड स्पष्ट रूप से सभा के अधिकारों में वृद्धि करती है तथा यह स्पष्ट करती है कि तीस दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

खंड ६ में बम्बई शब्द निकाल कर उपयुक्त अथवा समान स्थानीय प्राधिकार संस्थाओं शब्द रख दिये गये हैं।

अध्याय ३ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ में संशोधन करने के बारे में है। इसके अनुसार निर्वाचन का समय कम करने का उपबन्ध किया गया है। इसका उद्देश्य नामांकन की अवधि घटा कर सात दिन करने का है। नामांकन पत्रों की जांच की अवधि घटाकर दो दिन कर दी जायेगी। खंड ८ का उद्देश्य यह है कि कोई भी उम्मीदवार चार से अधिक नामांकन पत्र न भर सके। खंड १२ धारा ५४ को हटाती है। खंड १३ की धारा ५८ के अनुसार यह उपबन्ध किया जा रहा है कि मतदान पेटियां नष्ट होने या उनके सम्बन्ध में कोई गड़बड़ होने पर नये सिरे से चुनाव होगा। वर्तमान धारा ६३ को भी हटाया गया है।

खंड १७, १८ और १९ याचिकाओं के बारे में है। खंड १८ में यह उपबन्ध किया गया है कि भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाने वाली याचिका के साथ हलफनामा देना होगा : खंड २३ के अनुसार याचिकाओं की प्रतिभूति १००० से बढ़ा कर २००० कर दी गई है। कभी कभी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ वैसे ही शिकायत कर दी जाती है फलस्वरूप उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी से बचने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

खंड २५ महत्वपूर्ण खंड है। इसके अनुसार धर्म, वंश, जाति, समुदाय अथवा भाषण के आधार पर अपील नहीं की जा सकती। इस खंड के अनुसार धर्म, वंश, जाति, समुदाय

अथवा भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के लोगों में वैमनस्य की भावना को बढ़ावा देना भ्रष्ट आचरण बना दिया गया है । खंड २६ के अनुसार ऐसा अपराध करना दंडनीय बना दिया गया है । खंड २७ के अनुसार एक अन्य संशोधन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य चुनाव आरम्भ होने से २४ घंटे पूर्व मतदान क्षेत्र में सभाओं के आयोजन पर रोक लगाता है । अगर सभा आदि करना जारी रखा जाता है तो विधि और व्यवस्था प्राधिकारियों को विधि और व्यवस्था बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है । अभी तक ये सभाएं निर्वाचन दिन के पहली रात में १२ बजे तक की जा सकती हैं लेकिन अब २४ घंटे पहले बन्द कर देनी होगी ।

यह प्रायः देखा गया है कि चुनावों में पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं, जिनमें मुद्रक तथा प्रशासक के नाम तो दिये जाते हैं किन्तु जब यह मालूम करने की कोशिश की जाती है कि छपवाने वाले वास्तव में कौन हैं तो कुछ पता नहीं चलता । इसलिए खंड २८ के अनुसार जब तक कोई प्रकाशक सर्कुलर, पुस्तिकाओं या पोस्टरों के साथ यह घोषणापत्र न दे कि वह इस सामग्री पहुंचाने वाले को जानता है, मुद्रक इन्हें छाप न सकेंगे । माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि ऐसी पुस्तिकाएं परिचालित की जाती हैं जो बिल्कुल जाली होती हैं। अब इस संशोधन के बाद जो भी व्यक्ति मुद्रक को सामग्री देगा उसका नाम आदि मालूम हो सकेगा ।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस अधिनियम की त्रुटि नोट कर ली है और यह हम सब का अनुभव है कि कई बार हानिकारक पोस्टर मुद्रित और प्रकाशित किये जाते हैं। मेरे विचार में यह एक अच्छी सावधानी है कि कोई व्यक्ति जो कोई चीज छपवा कर परिचालित करना चाहे, यह कष्ट जरूर उठाये कि अपना नाम पता आदि प्रेस को अवश्य बताये ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

श्री हजरनवीस : खंड ३३ का उद्देश्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन-क्षेत्रों के आकार और सीमाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का अधिकार देना है । यह अधिकार निर्वाचन आयुक्त को दिया जायेगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री तंगामणि (मदुरै) : मुझे हर्ष है कि संशोधक विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है । किन्तु मैं ने देखा है कि निर्वाचन आयोग को कुछ सिफारिशों का पालन नहीं किया गया और कुछ संशोधनों के लिए संतोषजनक कारण नहीं दिये गये ।

खंड ३३ के सम्बन्ध में मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या यह द्विसदस्यीय चुनाव (समापन) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं जाता ? क्या वर्तमान संशोधन का आशय निर्वाचन आयोग का अधिकार बढ़ाना है ताकि वह कुछ ऐसे क्षेत्र सम्मिलित कर सके जो कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आते थे ? यदि यही आशय है, तो इस से बहुत धांधली होगी ? क्योंकि सत्तारूढ़ दल की यह प्रवृत्ति होगी कि निर्वाचन क्षेत्रों में अपने लाभ के अनुसार अधिक क्षेत्र जोड़ दें या उन में कुछ क्षेत्र निकाल दें । खंड ३१ के द्वारा उम्मीदवार की अपनी जमानत बचाने के लिए कुल मतों का छटा हिस्सा प्राप्त करने के स्थान पर

कुल मतों का पांचवां हिस्सा प्राप्त करने की जो शर्त रखी जा रही है, वह उचित नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि दस उम्मीदवारों में से उस एक उम्मीदवार को भी जो कि सफल हुआ हो १।५ मत न मिले हों। छठे हिस्से की शर्त पहले सोच विचार के बाद रखी गई थी और अब उसे बदलना विधेयक के लक्ष्य से दूर जाना होगा।

यदि सरकार यह चाहती है कि साम्प्रदायिक प्रचार को रोका जाये, खंड २९ से आगे के खंडों में परिवर्तन करना आवश्यक होगा।

खंड २३ के अन्तर्गत जमा की जाने वाली राशि को १,००० रुपये से बढ़ा कर २,००० रुपये करने के लिए कोई उचित कारण नहीं है। क्या इस से चुनाव याचिकाओं की संख्या कम हो जायेगी। चुनाव याचिकाएं कम करने का तरीका यह है कि उन की जांच पड़ताल की व्यवस्था की जाये। इस जांच पड़ताल के लिये दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति स्थापित करनी चाहिये।

कहा गया है कि चुनाव याचिकाओं का राजपत्र में प्रकाशित करना बन्द कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से कोई बचत नहीं होगी। ऐसा प्रकाशन अधिकृत समझा जाता है और जो लोग चुनाव याचिकाओं में रूचि रखते हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक है।

यह सिफारिश कि एक उम्मीदवार अधिक से अधिक चार नामांकन पत्र भर सकेगा बहुत अच्छी है और इसको क्रियान्वित करना चाहिए।

मैं अनुभव करता हूं कि जिस तरह से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह उचित नहीं है। फिर भी मुझे हर्ष है कि प्रवर समिति इसकी पूरी छानबीन करेगी और इसके संशोधक खंडों का अर्थ और भी स्पष्ट करेगी।

श्री कासलीवाल (कोटा) : मैं खंड ७ का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे चुनाव की अवधि कम होती है। और आशा करता हूं कि प्रवर समिति इसे स्वीकार कर लेगी।

खंड ८ के बारे में, नामांकन पत्रों की संख्या ४ तक सीमित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यदि चार के चार पत्र ही अस्वीकार हो जायें, तो यह उम्मीदवार के प्रति अन्याय होगा।

मुझे खेद है कि खंड ९(ख) में चुनाव अधिकारी को आपत्ति करने का जो अधिकार दिया जाना है वह एक नई बात है। मेरे विचार में ऐसा अधिकार देना उचित नहीं।

खंड १० का उद्देश्य यह है कि निर्वाचन अधिकारी का समाधान होना चाहिए कि अपना नाम वापस लेने वाले किसी भी उम्मीदवार ने वास्तव में अपनी इच्छा से नाम वापस लिया है। यह बिल्कुल ठीक है।

खंड २३ के अन्तर्गत जमा की जाने वाली राशि को १,००० से २,००० रुपये तक बढ़ाना बहुत सस्ती करना है। खंड २३ के अन्तर्गत नये खंड ३ ए के जोड़ने का हम स्वागत करते हैं। परन्तु खंड २७ का कोई औचित्य नहीं है जिसमें व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के दिन से २४ घंटे पहले सभा नहीं की जा सकती। इस विषय में पुराने नियम में संशोधन नहीं करना चाहिए।

खंड ३१ बहुत लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि १/६ के स्थान पर १/५ करने से झूठे उम्मीदवारों को रोका जा सकेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यद्यपि मैं विधेयक का विरोध नहीं करता, फिर भी मैं समझता हूं कि इससे उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाये।

खंड ९ के सम्बन्ध में, चुनाव अधिकारी को चाहिए कि वह किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र प्राप्त करते समय उसको बता दे कि उसके विचार में क्या आपत्तियां उठाई जा सकती हैं।

खंड २३ में, निक्षेप की राशि को बढ़ा कर २,००० रुपये कर देना उचित नहीं है, क्योंकि १,००० रुपये की सीमा से ही लोगों को कठिनाई होती है। यह ५०० रुपये के लगभग होनी चाहिए।

विधि आयोग को यह बताना चाहिए कि ऐसे कितने चुनाव के मामले होते हैं जो बिलकुल महत्वहीन होते हैं और क्या चुनाव याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है।

सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या खंड २५ में से प्रस्तावित शब्द 'पद्धतिपूर्ण' को निकाल देना काफी है। व्यय के प्रश्न पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यय की अधिकतम सीमा तो है, किन्तु यह सब जानते हैं कि इसकी कैसे उपेक्षा की जाती है। यदि व्यय की अधिकतम सीमा पर नियन्त्रण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसे उपबन्ध को रखने से क्या लाभ है?

खंड ३१ के बारे में यह संशोधन होना चाहिए कि यदि कोई उम्मीदवार किसी निर्वाचन क्षेत्र से १/६ मत प्राप्त न कर सके उसे निर्वाचित घोषित न किया जाय। यदि यह शर्त उस उम्मीदवार पर लगाई जानी है जिसकी जमानत जब्त होनी है तो यह उस उम्मीदवार पर भी लागू होनी चाहिए जिसे निर्वाचित घोषित किया जाता है।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : सभापति महोदय, जो संशोधक-विधेयक सदन के सामने है, वह स्वागत-योग्य है। इसकी एक धारा के अनुसार जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने को करप्ट प्रैक्टिस माना जायगा। लेकिन अभी मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि आया इस अमेंडमेंट के द्वारा हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पायेंगे या नहीं। आज देश में एक विषाक्त वातावरण फैला हुआ है और चारों तरफ यह चर्चा है कि साम्प्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने की आवश्यकता है और उसको दूर करने के लिये हम पीनल कोड को अमेंड करने की फिक्र कर रहे थे। लेकिन उससे पूर्व ही चुनाव कानून में यह संशोधन करके हम उसको दूर करना चाहते हैं। लेकिन हमको इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस अमेंडमेंट के द्वारा हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं।

इस बिल को देखने से मालूम होता है कि इस संशोधन के बावजूद हम जाति और धर्म के नाम पर अपील कर सकते हैं। इस बिल में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अर्थ यह है कि जब तक कोई व्यक्ति विभिन्न वर्गों में विद्वेष और झगड़ा न फैलाये, तब तक वह जाति और धर्म के आधार पर वोट मांग सकता है और वह करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जायगा। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं फलां जाति या धर्म का हूं, इसलिये उस जाति या धर्म वाले मुझे वोट दें। मैं यह नहीं कहता कि दूसरी जाति या धर्म वालों से झगड़ा या विद्वेष करो। इससे प्रकट होता है कि इस विधेयक के अनुसार जाति और धर्म के नाम पर

अपील करना करप्ट प्रैक्टिस और अपराध होने के बावजूद हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। वह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि हम जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने को करप्ट प्रैक्टिस और अपराध घोषित न कर दें। मैं प्रवर समिति और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वर्तमान रूप में यह अमेंडमेंट हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। मैं समझता हूं कि जब तक वोट मांगना भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

जहां तक जमानत की जब्ती का प्रश्न है, पहले १/८ से कम वोट्स पाने पर जमानत जब्त हो जाती थी। उसके पश्चात् १/६ कर दिया गया और अब उसको १/५ किया जा रहा है। इस संशोधन के अनुसार जो १/५ से कम वोट पायेगा, उसकी जमानत जब्त हो जायगी। मैं तो चाहता हूं कि इसको १/४ कर दिया जाय। अभी तक पास मार्क्स १/३ अर्थात् ३३ परसेंट हैं। हर इम्तहान में ३३ परसेंट से कम मार्क्स पाने वाला फेल डिक्लेयर किया जाता है चुनाव में जिस व्यक्ति के वोट १/३ से भी कम आयें, वह तो उस इम्तहान में फेल माना जाना चाहिए और इसलिये उसकी जमानत जब्त कर ली जानी चाहिए। इस प्राविजन का लाभ यह होगा कि देश में जो मशरूम पार्टीज चुनाव में भाग ले रही हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं, जब उनको मालूम होगा कि १/४ से कम वोट पाने पर जमानत जब्त हो जाती है, तो वे खड़ी नहीं होंगी। इस प्रकार इलैक्शन में स्ट्रेट फाइट की नौबत आयगी और इस से डेमोक्रसी आगे बढ़ सकती है। हमारे देश में डेमोक्रेसी के रास्ते में सब से बड़ी रुकावट अनेक पार्टियों का होना है। अनेक पार्टियां इसलिये हैं कि जमानत जब्त होने का डर बहुत कम है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि हमारे प्रदेश में एक जीते हुए कैंडीडेट की जमानत जब्त हो गई, क्योंकि उसने १/८ से कम वोट पाये थे, लेकिन फिर भी वह जीता हुआ डिक्लेयर हो गया। वहां पर दस बारह कैंडीडेट खड़े थे और उन सब के १/८ से कम वोट थे, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति के वोट उनमें सबसे ज्यादा थे, इसलिये उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। इन हालात में मैं समझता हूं कि अगर १/५ के बजाये १/४ कर दिया जाय, तो बेकार खड़े होने वाले आदमी खड़ नहीं होंगे।

एक भाई ने कहा कि चुनाव के दिन से चौबीस घंटे पहले मीटिंग वगैरह बन्द करने की व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर चौबीस घंटों के बजाय ३६ घंटे कर दिया जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा। जितनी गर्मी कम होगी, चुनाव उतना ही अच्छी तरह से सम्पन्न होगा। चुनाव के दौरान में गर्मी आ जाती है और झगड़े की नौबत आ जाती है आज-कल यह प्रैक्टिस है कि चुनाव से चौबीस घंटे पहले चुनाव का प्रचार बन्द कर दिया जाय। अब उसको कानूनी रूप दिया जा रहा है, यह अच्छा है।

जहां तक इलैक्शन पेटीशन के लिये दो हज़ार रुपये की ज़मानत रखे जाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इलैक्शन पेटीशन्ज़ जितनी भी कम हों, अच्छा है,। जो व्यक्ति जनता से वोट मांग कर नहीं जीत सका, वह इलैक्शन पेटीशन के ज़रिये जीतना चाहता है और वह ज्यादा अच्छा नहीं है। इस सम्बन्ध में मुकदमे लड़े जाते हैं और धन और समय काफ़ी ज़ाया होता है। हम यह भी देखते हैं कि इलैक्शन पेटीशन मुश्किल से दो तीन परसेंट मन्ज़ूर होते हैं और ज्यादातर खारिज होते हैं। जिन लोगों के खिलाफ़ इलैक्शन पेटीशन होती हैं, वे जानते है कि इस में कितनी परेशानी होती है। कुछ भाइयों ने कहा कि ज़मानत की रकम को २,५०० रुपये कर दिया जाये। अगर वह रखा जाये, तो और भी अच्छा है, लेकिन २,००० रुपये भी ठीक है।

[श्री सिंहासन सिंह]

हम अपने देश में जातीयता और धर्मान्धता का अन्त करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उसी नाम पर अपील भी करते हैं और कैंडीडेट भी खड़े करते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : खास तौर पर कांग्रेस ।

श्री सिंहासन सिंह : कांग्रेस और सोशलिस्ट सब । सब एक ही तरह के काम कर रहे हैं ।

हमने हरिजनों को जाति के आधार पर ही संरक्षण दिया है । हम एक काम को मिटाना चाहते हैं, लेकिन करते वही हैं, मेरा सुझाव है कि हमने हरिजनों को संविधान के अनुसार जो संरक्षण दिया है, वह ठीक है, लेकिन इलैक्टोरल रोल्ज़ में जो भिन्न भिन्न जातियां लिखी जाती हैं उन के नाम के आगे, अगर इनको लिखना बन्द कर दिया जाए तो कुछ हद तक जो बुराई है वह दूर हो सकती है । आज लिखा जाता है कि वह ठाकुर है, मियां है, मुहम्मद है . . .

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : पंजाब में यह हट गया है ।

श्री सिंहासन सिंह : अगर पंजाब में हट गया है तो और जगहों पर तो है । मैं समझता हूं कि यह चीज़ हर जगह है । अभी तक यह चीज़ कानून से नहीं हटाई गई है । इस चीज़ को अभी इलैक्टोरल रोल्ज़ से नहीं हटाया गया है । १९५० का जो एक्ट है, उसके मुताबिक इलैक्टोरल रोल्ज़ में यह चीज़ आ सकती है । अगर यह तय हो जाता है कि जाति का नाम नहीं रहेगा, सिंह, ठाकुर, तिवारी नहीं रहेगा, तो कुछ हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं । आप इन चीज़ों को हटा नहीं रहे हैं । आज हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हम अपने नाम के साथ पंडित लिखें या दूसरी जातियां लिखें । अगर सही मानों में हम चाहते हैं कि हमारे देश में जाति भावना, धर्म भावना न रहे, तो जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने आप को हिन्दुस्तानी कहें ।

आज दुर्भाग्य इस बात का है कि दो भाई जब मिलते हैं तो एक दूसरे से यह पूछते है हैं कि किस जाति के हो, यह नहीं पूछते हैं कि हिन्दुस्तानी हो या नहीं हो । कोई अपने आप को ठाकुर कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, और कोई कुछ और कहता है । मुसलमानों में भी जातीयता बहुत बढ़ गई है ।

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री सिंहासन सिंह : इन में भी रज़ील, शरीफ, मिया, धुनियां इत्यादि कितनी ही जातियां हैं । यही हाल हरिजनों का है । उन में भी जाति प्रथा चलती है । जब चुनाव होता है तो टिकट देते वक्त यह देखा जाता है कि यह चमार है या पासी है या कौन है, तब टिकट दिया जाता है । यह तो जातीयता बढ़ गई है, इस के बारे में हमें कोई सक्रिय कदम उठाना होगा । सैक्युलर स्टेट में जाति, बिरादरी की परवा किए बगैर हर एक आदमी को अपने आपको हिन्दुस्तानी कहने पर गर्व होना चाहिये और जब ऐसा होगा तब जा कर कुछ सुधार होने की आशा की जा सकती है, कुछ लाभ हो सकता है । इसके बारे में कानून का भी सहारा लिया जाना चाहिये । कागज़ों में तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम ठीक नहीं आता है । इसलिए कागज़ और परिणाम दोनों साथ साथ चलने चाहियें । इस के लिए यह जरूरी है कि हमारी वाणी, हमारा काम और हमारा कर्त्तव्य सब साथ साथ चलें ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इन सुझावों पर विचार करें और देखें कि किस तरह से जाति और धर्म के नाम से अपील जब की जाती है उस से जो बुराई पैदा होती है, वह कैसे दूर की जा सकती है । मैं यह भी चाहता हूं कि वह इस बिल में कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कम उम्मीदवार खड़े हों ताकि अच्छा प्रचार कार्य हो सके और खर्चा में भी कमी हो सके ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक उन त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है जो कि चुनाव आयोग को इस अधिनियम के संबंध में अनुभव हुईं। तथापि इस विधेयक में सुधार की बहुत गुंजायश है।

चुनावों के समय को घटाने के लिये जो संशोधन किया गया है वह खंड ९ के अंतर्गत है।

इस विधेयक द्वारा यह उपबन्ध किया जा रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार को कुल मतों का पांचवें हिस्से से भी कम मत मिलेंगे तो उसकी जमानत जब्त कर ली जायेगी यह उपबंध बहुत अच्छा है। इस से ऐसे उम्मीदवारों को क्षेत्र से हटाने में सुभीता मिलेगी जो केवल भाग्य की आशा से चुनाव में खड़े हो जाते हैं। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये कम से कम व्यक्तियों को चुनाव में खड़ा होना चाहिये। अतः यह संशोधन अवश्य पारित होना चाहिये।

चुनाव याचिका के लिये २,००० रु० जमा करने का उपबंध किया गया है यह उपयुक्त है यह राशि वैसे भी बहुत अधिक नहीं है। एक उम्मीदवार को अपने चुनाव के लिये कम से कम १०,००० रु० व्यय करने होते हैं। चुनाव याचिका के संबंध में यह सुझाव भी विचारणीय है कि एक ऐसी समिति होनी चाहिये जो कि इन चुनाव याचिकाओं का परीक्षण करे और उन्हीं लोगों को अपील करने की अनुमति दी जाये जो किसी ठोस आधार पर हों। इस से बहुत सी परेशानी और व्यय में बचत हो सकती है। मेरे विचार से प्रवर समिति को इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये।

खंड २६ महत्वपूर्ण है। इस में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर देश के विभिन्न समुदायों में दुश्मनी पैदा करेगा या द्वेष की भावना बढ़ायेगा तो उसे दंडित किया जा सकता है। तथापि इस विधेयक की शब्दावलि बहुत त्रुटिपूर्ण है इस से इस के दुरुपयोग की बड़ी गुंजायश है। जहां तक भाषा का संबंध है वह पंजाब और आसाम में किसी न किसी रूप में आयेगा ही। अतः प्रवर समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये कि वहां के उम्मीदवार अपनी बातें कह सकने में समर्थ हों और वे इस विधेयक के चंगुल में न आयें। इस उपबंध के अधीन जो दंड की व्यवस्था की है वह बहुत कम है केवल तीन साल की कैद ही काफी नहीं अपितु उसे आगामी कुछ वर्षों के लिये किसी भी संस्था से चुनाव लड़ने के लिये अनर्हत ठहरा दिया जाना चाहिये।

यदि कोई प्रचारक उम्मीदवार की सहमति या उसकी सहमति के बिना ही किसी सभा में कोई ऐसी बात कहता है जिस से कि दो समुदायों में उत्तेजना फैलने की गुंजायश हो तो ऐसी अवस्था में क्या होगा। प्रवर समिति को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

जहां तक चुनाव के चौबीस घंटे पूर्व चुनाव संबंधी सभाओं पर रोक लगाने का प्रश्न है उस संबंध में मेरा निवेदन है कि यह बहुत अच्छी बात है इस से एक ओर तो मतदाताओं को सोचने का मौका मिलता है और दूसरी ओर दूसरे उम्मीदवार को भी अपनी चुनाव व्यवस्था की ओर ध्यान देने का मौका मिलता है।

मैं खंड २८ में किये गये उपबंध का समर्थन करता हूं। मुद्रकों को चुनाव की अवधि में एक पंजी रखनी चाहिये जिस में वे पर्चियों तथा प्रचार सामग्री के प्रकाशकों के संबंध में जानकारी लिखते रहें।

उम्मीदवार की अनहर्ता का संबंध नाम निर्देशन की तारीख से होना चाहिये। इतना ही नहीं हमें इस से भी आगे बढ़ कर यह उपबन्ध करना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति घोषणा की तारीख के दो महीने पूर्व खड़े होने का पात्र नहीं था तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मुझे दुख है कि हमारे देश के समस्त चुनाव अधिनियम इस प्रकार के हैं कि उन से व्यक्तिगत उम्मीदवार को दल से अधिक महत्व मिलता है और वस्तुतः सारा दायित्व ही दल पर से हट कर व्यक्ति पर आ जाता है। जब कि विदेशों में दल को व्यक्तिगत उम्मीदवार से कहीं अधिक महत्व दिया जाता है। मेरे विचार से हमें इस मामले पर विचार करना चाहिये।

चुनाव विधि की उपयुक्तता का दूसरा मापदंड यह है कि चुनाव में कम से कम व्यय होना चाहिये। तथापि इस विधेयक से चुनाव के व्यय में कमी न होकर और भी वृद्धि होगी।

तीसरे यह कि हमारे देश में चुनाव याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पराजित उम्मीदवार यह सोचता है कि वह हार कर भी विजित उम्मीदवार की पीठ पर छुरा भोंक सकता है। अतः इन की संख्या घटाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

उक्त तीन बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हमारी चुनाव विधि बहुत त्रुटिपूर्ण है जो भी संशोधन किये जा रहे हैं उन से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अब मैं विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक खंड ३१ का संबंध है मैं इसका समर्थन करता हूं। निसंदेह यदि एक व्यक्ति को कुल मतों का पांचवां भाग भी न मिले तो उसकी जमानत जब्त हो जानी चाहिये। अन्यथा बहुत से अन्य उम्मीदवार भी चुनाव में खड़े हो जायेंगे इस से एक ओर तो मतदाताओं का ध्यान सही उम्मीदवार से हट जायेगा और दूसरे सही उम्मीदवार को इससे परेशानी होगी।

पर्चियों का प्रचार पुस्तिकाओं के संबंध में जो उपबन्ध किया गया है वह प्रभावहीन है। वस्तुतः हमें ऐसे उपबन्ध ही नहीं बनाने चाहियें जो कि प्रभावी नहीं हो सकें। अतः हमें चाहिये कि इस संबंध में उपबन्ध और कड़े किये जायें जिस से ... जहां तक कदाचार का संबंध है आपने कहा है कि धर्म जाति सम्प्रदाय और भाषा के नाम पर अपील नहीं की जानी चाहिये। मेरे विचार से इतना ही लिखना काफी था कि यदि चुनाव के नाम पर दो समुदायों के बीच विद्वेष फैलाया जाता है तो वह कदाचार के अधीन आयेगा। इसमें इतने स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय सबसे आवश्यक बात यह है कि देश की राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को बनाये रखा जाये। इस समय हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा है। अतः इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिये।

जहां तक चुनाव याचिका का संबंध है उसके लिये जमानत की राशि बढ़ा कर २,००० रु० कर दी गयी है। मेरे विचार से यह राशि पर्याप्त नहीं है। इस राशि को बढ़ा कर उस राशि के बराबर कर दिया जाय जितना कि चुनाव में व्यय करने की अनमति दी जाती है। क्योंकि २,००० की रकम अधिक नहीं है और प्रतिपक्षी मिलकर विजित उम्मीदवार से प्रतिकार लेने के लिये इतनी रकम जमा कर सकते हैं।

जहां तक चुनाव याचिकाओं की प्रतिलिपि तैयार करने का संबंध है चुनाव आयोग को स्वयं यह तैयार करनी चाहिये।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपर) : मैं इस विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसका आशय यह है कि प्रवर समिति का क्षेत्र इस प्रकार विस्तृत किया जाय कि वह १९५० और १९५१ के अधिनियमों के चुनाव व्यय, चुनाव याचिकाओं तथा अनर्हता से संबंध रखने वाले उपबन्धों पर भी विचार

---

†मूल अंग्रेजी में

कर सके। इसके अतिरिक्त कई अन्य बातें जो चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण हैं उन पर भी विचार किया जा सके।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

Ins iruct ons "अनदेशों" शब्द के पश्चात् ये शब्द रख दिये जायें—

"also to examine the provisions of the Representation of the People Act, 1951 dea'ing with (1) election expenses (2) election petitions and (3) disqualifications for membership and voting and to suggest and recommend such amendments to aforesaid provisions as may be considered necessary, and"

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के १९५१ के उन उपबंधों पर भी विचार करे जो (१) चुनाव व्यय, (२) चुनाव याचिकायें, और (३) सदस्यता और मतदान के लिये अनहर्ताओं से संबंध रखते हैं और उक्त उपबंधों के संबंध में यथावश्यक सुझाव दे तथा सिफारिश करे। (१)

†**सभापति महोदय :** यह संशोधन भी सदन के समक्ष है।

†**श्री ले० अबौ सिंह** (आन्तरिक मणिपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके पूर्व भी हम इस प्रकार का सुझाव रख चुके हैं कि चुनाव के संबंध में इससे अधिक व्यापक विधेयक रखा जाना चाहियें। मैं श्री म० ला० द्विवेदी के संशोधन से सहमत हूं कि प्रवर समिति का क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया जाय जिससे कि विधेयक पर अधिक व्यापक रूप से विचार किया जा सके।

वर्तमान विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि अधिसूचना के निकलने के पश्चात् सात दिनों के भीतर नाम निर्देशन पत्र भर लिये जाने चाहियें। मेरे विचार से इससे देश के सीमांत क्षेत्रों में असुविधा होगी इसके लिये पहिले का ही उपबंध रखा जाना चाहिये।

धारा ५८ के संशोधन से चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियां दी गयी हैं। जहां तक चुनाव आयोग का संबंध है हमें उस पर पूरा विश्वास है तथापि यह बात चुनाव अधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर निर्भर करेगी। अतः इस संबंध में हमें अधिक सावधान रहना चाहिये।

यह कहा गया है कि चनाव याचिकाओं के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित नहीं होगा। मेरे विचार से यह लोकतंत्रात्मक प्रणाली के विरुद्ध बात होगी। जब तक ये बातें सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं होंगी सर्वसाधारण को यह ज्ञात ही किस प्रकार होगा कि किस प्रकार के विवाद का किस प्रकार निपटारा हुआ।

मैं निर्वाचन तथा चुनाव याचिका दोनों के लिये ही जमानत की राशि में वृद्धि करने का विरोधी हूं। ऐसा करने से गरीब वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

जहां तक विजित उम्मीदवार को हर्जाना देने का संबंध है, ऐसे मामलों में जटिल वैध मामलों के उत्पन्न होने पर ऐसे मामले पूरी तरह चुनाव अधिकरण पर ही छोड़ दिये जाने चाहियें।

यद्यपि खंड २५ का उद्देश्य साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करना है तथापि मेरे विचार से इससे यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सरकार को इस संबंध में अधिक जानकारी देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचौ सिंह]

खंड २७ में जो नयी व्यवस्था की गयी है बहुत-बहुत कठोर है मेरे विचार से वह व्यावहारिक सिद्ध नहीं होगी। चुनाव के बारह घंटे पहिले तक सभायें करने की अनुमति होनी चाहिये।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि सभा की यह परम्परा रही है कि प्रवर समिति को उन मामलों पर विचार करने की अनुमति नहीं होती है जो कि मुख्य विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल): जहां तक इस संशोधन का संबंध है इसमें सिद्धान्तों का कोई प्रश्न अन्तग्रस्त नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि विषय से संबद्ध या संबंधित कुछ मामलों पर प्रवर समिति में चर्चा हो सकती है या नहीं? यदि विषय से संबंध प्रश्नों पर प्रवर समिति में चर्चा हो सकती है तो इसे स्वीकृत किया जाना चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): मेरे विचार से प्रवर समिति को इस प्रकार की शक्तियां देना उचित नहीं है। क्योंकि इसका पता नहीं होने से पहिले सदस्य इस पर मत प्रगट नहीं कर सके हैं। यह अच्छा पूर्व दृष्टांत नहीं बनेगा।

†**श्री हजरतवीस** : सभा ने इस विधेयक के प्रति जो समर्थन प्रगट किया है उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। यह विधेयक दलगत भेदभावों से परे और सभी सदस्यों से संबंध रखने वाला विधेयक है।

प्रवर समिति उन सभी सुझावों पर विचार करेगी जो कि माननीय सदस्यों ने दिये हैं। श्री तंगामणि ने यह विचार प्रगट किया है कि चनाव व्यय के बारे में गौर किया जाय और यह निश्चय किया जाय कि क्या इससे कोई उपयोगी प्रयोजन हल होता है। श्री द्विवेदी ने भी यही बात दुहराई है। इसके अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ ठोस सुझाव दियें हैं, क्योंकि सभा के कई पक्षों ने इस बात पर चिन्ता भी प्रगट की है अतः मेरे विचार से हमें यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये कि प्रवर समिति में चर्चा का क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया जाय। चुनाव याचिकाओं के संबंध में हमने स्वयं ही कई संशोधन रख हैं।

मैं श्री अणे से इस बात पर सहमत हूं कि प्रवर समिति को अनिश्चित शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें जिसका कि स्वयं सभा को भी पता नहीं हो। तथापि इस प्रकार के पूर्व दृष्टांत मौजूद हैं कि जब प्रवर समिति को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान की गयी थीं कि वह सारे अधिनियम पर विचार कर सके।

यह सुझाव पहिले श्री तंगामणि ने दिया तदुपरांत श्री द्विवेदी ने। अतः मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रवर समिति से यह कहा जाय कि इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाय।

हमने इस संबंध में स्वयं ही कई संशोधन रखे हैं अतः जो संशोधन रखे गये हैं वे हमारे संशोधनों के अन्तर्गत आ जायेंगे।

जहां तक चुनाव याचिका का संबंध है हमने कहा है कि जमानत १,००० रु० के स्थान में २,००० रु० होनी चाहिये। प्रवर समिति को यह अधिकार होगा कि वह इस राशि को घटा कर ५०० रु० कर देवे या बढ़ा कर ७,००० रु० कर देवे। चुनाव याचिका किस प्रकार लिखी जानी चाहिये वह भी एक संशोधन के अधिन आ गया है। यद्यपि मैं उस माननीय सदस्य से सहमत हूं तथापि ऐसे कई संशोधन उपरि-दृष्टि से ही नियम वाह्य हैं। तथापि प्रवर समिति इस मामले पर विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक अनर्हता का प्रश्न है यदि एक व्यक्ति कदाचारण का दोषी ठहरता है तो उसे दो प्रकार के दंड दिये जाते हैं। पहिला उसे अपने स्थान का त्याग करना होता है और दूसरे उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलता है। यह बताया गया है कि राज्य विधान सभाओं में कई ऐसे अधिनियम हैं, जिनमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का निर्देश किया गया है। इसका अनजाने में यह प्रभाव होता है कि राज्य चुनाव में जिन अनर्हताओं को लाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है वे भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के कारण आ जाती है। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस प्रश्न पर भी विचार करे। प्रवर समिति का प्रतिवेदन सभा की ही सम्पत्ति है और सभा उस पर जैसी भी उचित समझे राय जाहिर कर सकती है।

†**सभापति महोदय** : जैसे कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है मैं यह संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव में instructions "अनुदेशों" शब्द के पश्चात् ये शब्द रख दिये जायें--

"also to examine the provisions of the Representation of the people Act, 1951 dealing with (1) election expenses (2) election petitions and (3) disqualifications for membership and voting, and to suggest and recommend such amendments to the afore said provisions as may be considered necessary, and"

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के १९५१ के उन उपबंधों पर भी विचार करें जो (१) चुनाव व्यय, (२) चुनाव याचिकायें, और (३) सदस्यता और मतदान के लिये अनहर्ताओं से संबंध रखते हैं और उक्त उपबंधों के संबंध में यथावश्यक सुझाव दे तथा सिफारिश करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) अधिनियम, १९६१ में कुछ मामूली संशोधन करने वाले विधेयक को श्री अमजद अली, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री आर० रामनाथन् चेट्टियार, श्री श्रीनारायण दास, श्री म० ला० द्विवेदी, श्री अरविन्द घोषाल, श्री आर० एस० हजरनवीस, श्री बलराज मधोक, श्री जसवन्त राज मेहता, श्री जगन्नाथ राव, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री एम शंकरैया, श्री एम० एस० सुगन्धि और श्री अशोक कु० सेन की प्रवर समिति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के (१) निर्वाचन सम्बन्धी व्यय (२) निर्वाचन याचिकाओं और (३) सदस्यता तथा मतदान के लिए अनर्हताओं सम्बन्धी उपबन्धों की जांच करने और उपरोक्त उपबन्धों में ऐसे संशोधनों के, जो आवश्यक समझे जायें, सुझाव देने और सिफारिश करने वाला तथा १९ अगस्त, १९६१ तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, १४ अगस्त, १९६१

---

२३ श्रावण, १८८३ (शक)

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . १०१५—३८

तारांकित
प्रश्न संख्या

४३० पंजाब में मतदान पत्रों का छापा जाना . १०१५—१७

४३१ इस्पात कारखानों के लिये कार्यपालक अधिकारी १०१७—२०

४३३ गुजरात के पास तेल . . १०२१—२२

४३४ प्रतिरक्षा सैनिक कर्मचारियों के वेतन-क्रम . १०२२—२४

४३५ दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत . १०२४—२५

४३६ विदेशी मुद्रा नियम १०२५—२८

४३७ राष्ट्रीय महिला परिषद् . . १०२९—३१

४३८ दिल्ली में चिट फंडों पर नियंत्रण . . . १०३२

४३९ गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज . . १०३३—३४

४४० होशियारपुर के पास गैस . . . १०३४—३५

४४१ सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श की प्रणाली . १०३५—३६

४४२ इंजीनियरी संस्थायें . . . १०३६—३७

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१ दिल्ली के स्कूलों के लिये अंग्रेजी की एक 'सप्लीमेंटरी रीडर' . १०३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . १०३८—६०

तारांकित
प्रश्न संख्या

४३२ रुद्रसागर में तेल . . . . १०३८—३९

४४३ संस्कृत के विद्वानों की राष्ट्रीय पंजी . . १०३९

४४४ उखीमठ (उत्तर प्रदेश) के निकट विमान दुर्घटना . १०३९—४०

४४५ कोयले का परिवहन . . . १०४०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४४६	तेल शोधक कारखाने	१०४१
४४७	ब्रिटेन से हैलीकोप्टर	१०४१–४२
४४८	पैट्रोलियम उत्पादों की खपत	१०४२
४४९	तेल के लिये छिद्रण	१०४२
४५०	तेल की पाइप लाइन	१०४२–४३
४५१	बस्तर के भूतपूर्व शासक	१०४३
४५२	असम भाषाई नीति	१०४३–४४
४५३	प्योर झरिया कोलियरी में आग	१०४४–४५
४५४	पुरातत्व संबंधी वस्तुओं के नमूने	१०४५
४५५	ऊंची श्रेणी का तेल	१०४५–४६
४५६	मद्रास और आंध्र प्रदेश के बीच परिसम्पत् और देनदारियों का विभाजन	१०४६
४५७	कलकत्ते का विकास	१०४६
४५८	दिल्ली के लिये तीन पोलीटैक्नीक	१०४७
४५९	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	१०४७–४८
४६०	धातु मिश्रित और औजारी इस्पात कारखाना	१०४८
४६१	माल डिब्बे न मिलने के कारण कोयला खानों का बन्द किया जाना	१०४८–४९
४६२	मैकेनिकों और टैक्नीशियनों के प्रशिक्षण के लिये संस्था	१०४९
४६३	कोयला धोने के कारखाने	१०४९
४६४	अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर	१०५०
४६५	केन्द्रीय पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति	१०५०
४६६	पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी कार्यवाहियां	१०५१
४६७	शिक्षण संस्थायें	१०५१
४६८	रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	१०५२
४६९	रूरकेला इस्पात संयंत्र	१०५२
४७०	रूस भेजे गये भारतीय प्रविधिज्ञ	१०५३
४७१	कृषिजन्य खाद्य उत्पादों के मूल्य	१०५३
४७२	सीमान्त क्षेत्र	१०५३–५४
४७३	केरल में सोने के निक्षेप	१०५४
४७४	कुरासिया कोयला खानें	१०५४–५५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

४७५ स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . १०५५
४७६ तीसरे वित्त आयोग का प्रतिवेदन . . . १०५५–५६
४७७ यात्री बैंक . . . १०५६
४७८ धातु मिश्रित और औजारी इस्पात संयंत्र . १०५६–५७
४७९ चौथा इस्पात संयंत्र . १०५७
४८० भारत में पाकिस्तानी नागरिक . १०५७–५८
४८१ इस्पात का प्रतिवारण मूल्य १०५८
४८२ इस्पात संयंत्रों का विस्तार . १०५८–५९
४८३ विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान . १०५९
४८४ नई दिल्ली में अलग विश्वविद्यालय १०५९
४८५ राष्ट्रीय अनुशासन योजना . . . १०६०
४८६ अखिल भारतीय शिक्षा सेवा . . १०६०
४८७ तेल की पाइप लाइन . . . १०६१
४८८ रानीगंज क्षेत्र में कोयला . . . १०६१
४८९ शस्त्र नियम . . १०६१–६२
४९० भिलाई इस्पात संयंत्र . . . १०६२
४९१ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये केनवस के थैले . . १०६२–६३
४९२ प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिजों में प्रवेश . . . १०६३
४९३ प्रविधिक संस्थाओं में सेवा परिस्थितियां . . . १०६३
४९४ दिल्ली की दुकानों में भारत-विरोधी साहित्य की प्राप्ति . १०६४
४९५ संयुक्त राज्य अमरीका से हैलीकोप्टर . १०६४
४९६ गोआनी जासूस . . १०६५
४९७ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि १०६५–६६
४९८ विश्वकवि रवीन्द्र की कृतियों को कापीराइट . १०६६
४९९ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ १०६६–६७
५०० मंत्रियों पर व्यय १०६७
५०१ सोवियत रूस से हैलीकोप्टर १०६८
५०२ बनस्पति उत्पादों का निर्माण . . . १०६८
५०३ भट्टी के तेल का आयात १०६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

५०४ तेल की पाइप लाइन १०६६
५०५ जीवन बीमा निगम की विनियोज्य निधियां . . १०६६–७०
५०६ रूरकेला में उर्वरक संयंत्र १०७०
५०७ प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये निवास स्थान . . १०७०
५०८ नेपाल में तेल सर्वेक्षण . . . १०७१
५०९ श्रव्य-दृश्य शिक्षा संबंधी चलचित्र . . . १०७१
५१० तिब्बती शरणार्थियों में ईसाई धर्म प्रचारकी की गतिविधियां . १०७१–७२
५११ उत्तरी विश्वविद्यालय में दक्षिण भारतीय भाषायें . १०७२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८९६ लडलो कैसिल, दिल्ली के निकट स्कूल क्षेत्र . . . १०७२
८९७ सेना अधिनियम . . . १०७३
८९८ दिल्ली में बाल सहायता कार्यालय १०७३
८९९ केन्द्रीय शिक्षा संस्था . १०७३
९०० राज्यों में कोयले के संग्रह . . १०७४
९०१ राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसन्धान संस्था . . १०७४
९०२ बहुप्रयोजन आदिम-जातीय खण्डों का कार्यकरण . . १०७५
९०३ पिछड़े वर्गों के लिये कसौटी १०७५–७६
९०४ आयकर की बकाया . . १०७६
९०५ केन्द्रीय संवर्ग के लिये स्थानान्तरण . . १०७६
९०६ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम १०७६–७७
९०७ अशोधित तेल का उपयोग . . १०७७
९०८ नागा क्षेत्र में सेना की ज्यादतियां १०७७
९०९ पंजीकृत सहकारी आवास समितियां १०७७–७८
९१० सैनिक सामान का उत्पादन १०७८–७९
९११ राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आवण्टित धन का उपयोग . १०७९
९१२ शासकीय रहस्य अधिनियम १०८०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९१३	दिल्ली में अपहरण की घटनायें	१०८०
९१४	मराठी भाषा का विकास	१०८०
९१५	मराठी नाटक का संवर्धन	१०८०–८१
९१६	मुफस्सिल नगरों में खेलों के स्टेडियम	१०८१
९१७	'शक्तिमान' ट्रक	१०८१
९१८	वित्त मंत्री की उड़ीसा यात्रा	१०८२
९१९	नौविक विहार	१०८२
९२०	विदेशों के साथ संविदायें	१०८२–८३
९२१	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	१०८३
९२२	उड़ीसा में स्कूलों के होस्टल	१०८३–८४
९२३	उड़ीसा में विद्यार्थियों के दौरों के लिये सहायता	१०८४
९२४	अहिंसा सम्बन्धी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम	१०८४
९२५	करीमगंज में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	१०८४–८५
९२६	विदेश भेजे गये विद्यार्थी	१०८५
९२८	मंत्रालयों में हिन्दी अनुभाग	१०८५
९२९	विदेश भेजे गये सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल	१०८५–८६
९३०	निजी थैलियां	१०८६
९३१	प्रारम्भिक हिन्दी एकक	१०८६–८७
९३२	विभिन्न न्यायालयों के विचाराधीन मामले	१०८७
९३३	भारत के गजट में हिन्दी के भाग	१०८७
९३४	आयुध फैक्टरी में निर्मित सामान	१०८७–८८
९३५	हिन्दी अनुभाग	१०८८
९३६	इंजीनियरी के डिप्लोमा वालों को रोजगार	१०८८
९३७	दिल्ली में बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन	१०८९
९३८	जलियांवाला बाग स्मारक	१०८९
९३९	पाकिस्तान को कोयला का निर्यात	१०८९–९०
९४०	दिल्ली में स्कूल	१०९०
९४१	दिल्ली और नई दिल्ली में तम्बुओं में प्राथमिक विद्यालय	१०९०
९४२	दिल्ली और नई दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय	१०९०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

६४३	विदेश भेजे गये शिक्षक	१०६०—६१
६४४	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय का हिन्दी अनुभाग	१०६१
६४५	गैर-शिक्षक प्राइवेट बी० ए० उम्मीदवार	१०६१
६४६	साहित्य रत्न परीक्षा . . .	१०६१—६२
६४७	विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षा का माध्यम	१०६२
६४८	विश्वविद्यालय में हिन्दी शिक्षा का माध्यम . .	१०६२
६४६	हिन्दी में वैज्ञानिक और पारिभाषिक पुस्तकों की प्रदर्शनी	१०६२—६३
६५०	शिक्षा सम्बन्धी मितव्ययता समिति	१०६३
६५१	पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद . .	१०६३—६४
६५३	बनारस में एक और दो नये पैसे के सिक्के .	१०६४—६५
६५४	दिल्ली में बहरे और गूंगे लोगों का सम्मेलन .	१०६५
६५५	असिस्टेंटों के वेतन-क्रम . . .	१०६५
६५६	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कनाडा से सहायता .	१०६५—६६
६५७	विमानों के जैट इंजन	१०६६
६५८	स्वर्ण खान . . .	१०६६—६७
६५६	पंजाब में पुरातत्वीय खुदाई	१०६७
६६०	देहरादून और मद्रास की परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुदान	१०६७
६६१	दिल्ली में नये स्कूल . .	१०६८
६६२	हमदर्द दवाखाने पर आय-कर लगाना . . .	१०६८—६६
६६३	कोयला धोने के कारखाने . .	१०६६
६६४	गांवों में जीवन-बीमा	१०६६—११००
६६५	सरकारी उपक्रमों के बारे में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें .	११००
६६६	अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्ग की सूचियों का पुनरीक्षण .	११००
६६७	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अवकाशगृह . .	११००—०१
६६८	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का मंहगाई भत्ता . .	११०१
६६६	भारतीय टैक्नोलोजी संस्था, खड़गपुर . . .	११०१—०२
६७०	विदेशी मुद्रा	११०२
६७१	स्त्री शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्था . .	११०२
६७२	परीक्षा व्यवस्था में सुधार . . .	११०३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९७३	दिल्ली में मूर्ति की स्थापना	११०३
९७४	दिल्ली में सार्वजनिक संस्था . .	११०३–०४
९७५	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	११०४
९७६	ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्रण .	११०४
९७७	खाकसारों का सम्मेलन .	११०५
९७८	देर तक काम करने का भत्ता	११०५–०६
९७९	राष्ट्रीय एकीकरण .	११०६
९८०	बाक्साइट निक्षेप . .	११०६
९८१	दिल्ली में मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां	११०६–०७
९८२	दिल्ली में जूनियर टैक्नीकल स्कूल . . .	११०७
९८३	दिल्ली में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां .	११०७
९८४	दिल्ली में भंगियों के लिये पहियेदार गाड़ी . .	११०७–०८
९८५	दिल्ली के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन . . .	११०८
९८६	प्रतिरक्षा कर्मचारियों को प्रशासनिक कक्षा में सेवा की अवधि	११०८
९८७	इस्पात संयंत्रों के सैनिक प्रशासनिक मुख्याधिकारी	११०८–०९
९८८	भिलाई इस्पात परियोजना . .	११०९
९८९	इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों को स्थायी बनाना	११०९–१०
९९०	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली . . .	१११०
९९१	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये लाभांश .	१११०–११
९९२	सशस्त्र बल के मुख्यालय की विभागीय परीक्षायें .	१११९
९९३	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये आवास .	१११९–१२
९९४	दिल्ली पुलिस .	१११२
९९५	अश्लील साहित्य . .	१११२
९९६	प्रागारण संयंत्र	१११३
९९७	औजारी तथा धातु मिश्रित इस्पात .	१११३–१४
९९८	वायर राड	१११४
९९९	बैंकों के पुनर्गठन का प्रस्ताव . . .	१११५
१०००	खोपरा का तेल निकालने वाली मशीन . .	१११५
१००१	मनीपुरी लेखकों को सहायता	१११५–१६
१००२	इम्फाल में आदिम जातियों के लड़कों का पीटा जाना .	१११६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या		
१००३	इम्फाल पूर्व तहसील के गांव	१११६
१००४	जाली सिक्के बनाने की मशीन पर कब्जा .	१११७
१००५	दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् . . .	१११७
१००६	पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्रतिरूप निधियां	१११७–१८
१००७	"अप्सरा" नौकायें	१११८–१९
१००८	बौक्साइट .	१११९
१००९	मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद	१११९
१०१०	नहरकटिया में बस्ती . . .	११२०
१०११	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें .	११२०
१०१२	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र .	११२०
१०१३	कोयला विश्लेषण . .	११२१
१०१४	स्कूल के लड़कों के लिये स्टेडियम	११२१
१०१५	मैसूर में विज्ञान मन्दिर	११२१
१०१६	त्रिपुरा में पुलिस कांस्टेबल .	११२२
१०१७	दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक	११२२
१०१८	हिमाचल प्रदेश में अध्यापक . . .	११२२
१०१९	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणामों के आधार पर नामजद क्लर्कों को अग्रिम वेतनवृद्धि	११२३
१०२०	सम्बद्ध कार्यालयों में सेक्शन आफिसर . .	११२३–२४
१०२१	त्रिपुरा के महाजनों द्वारा खड़ी फसल की खरीद	११२४
१०२२	त्रिपुरा में बेदखलियां . . .	११२४
१०२३	त्रिपुरा के गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल . .	११२४–२५
१०२४	त्रिपुरा के विस्थापितों को बिना ब्याज का ऋण .	११२५
१०२५	त्रिपुरा के लिये स्कूल बोर्ड	११२५
१०२६	उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में हिन्दी को अपनाना .	११२५
१०२७	शिक्षा में मुनाफेबाजी	११२६
१०२८	त्रिपुरा में आदिम जातीय झूमियां . .	११२६
१०२९	दिल्ली के अध्यापकों का वेतन-क्रम . . .	११२६–२७
१०३०	यूनाइटेड प्राविन्सेज कमर्शियल कारपोरेशन . . .	११२७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१०३१	चेन्ना वासवनायक का अनुवाद	११२७–२८
१०३२	मद्रास, इत्यादि में पुरातत्वीय खुदाई	११२८
१०३३	पंजाब में मैला हटाने के लिये हथगाड़ी (व्हील बैरो)	११२८
१०३४	तेल गोदाम डिपो	११२८
१०३५	औद्योगिक मजदूरों के लिये भविष्य निधि	११२९
१०३६	कस्टम हाउस, मद्रास	११२९
१०३७	पंजाब उच्चन्यायालय	११२९–३०
१०३८	पंजाब में पिछड़े वर्गों के लिये मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	११३०
१०३९	पंजाब को सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिये सहायता	११३०–३१
१०४०	धन कर	११३१
१०४१	दिल्ली में अस्पृश्यता निवारण	११३१
१०४२	प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसन्धान	११३१–३२
१०४३	१९६२ के सामान्य निर्वाचन	११३२
१०४४	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	११३३
१०४५	दिल्ली की अदालतों में हिन्दी का प्रयोग	११३३
१०४६	विधि मंत्रालय में हिन्दी का काम	११३३–३४
१०४७	विस्तार निदेशालय की कार्यवाही हिन्दी में	११३४
१०४८	सामान्य विज्ञान के अध्यापकों के मार्ग दर्शन के लिये पुस्तकें	११३४
१०४९	कलकत्ता में जूट के माल की जब्ती	११३४–३५
१०५०	विवाह-विच्छेद के मामले	११३५
१०५१	विज्ञान के प्रतिभावान विद्यार्थियों की खोज	११३५
१०५२	दिल्ली विश्वविद्यालय में जाति का विचार	११३५–३६
१०५३	बिहार राज्य सरकार पर बकाया ऋण की रकम	११३६
१०५४	पटना विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसन्धान	११३६
१०५५	ठगों के दल का पकड़ा जाना	११३६–३७
१०५६	भारत-रूस सांस्कृतिक समझौता	११३७
१०५७	सैनिकों द्वारा बनाये गये मकान	११३७–३८
१०५८	ट्रिनिडाड में भारतीय अध्ययन विभाग	११३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०५९	भारत में विदेशी सहायता कार्यक्रम का सर्वेक्षण . .	११३८–३९
१०६०	प्राइमरी शिक्षा की सहायता के लिये यूनेस्को योजना . .	११३९
१०६१	पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार . . .	११३९
१०६२	तेल की खोज में प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये स्कूल . .	११३९
१०६३	आई० सी० एस० अधिकारी . . .	११४०
१०६४	पंजाब के भारत सेवक समाज को सहायता .	११४०–४१
१०६५	अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा . .	११४१
१०६६	पंजाब राज्य में पिछड़े ईसाई .	११४१–४२
१०६७	पंजाब में बाक्साइट निक्षेप . .	११४२
१०६८	दुर्गापुर में कच्चे लोहे और इस्पात का स्टाक . .	११४२
१०६९	तम्बाकू कम्पनियों को लाभ	११४२–४३
१०७०	दिल्ली में शराब की दुकानें	११४३
१०७१	अभ्रक	११४३–४४
१०७२	उड़ीसा में आम चुनावों के बीच में होने वाले निर्वाचन के लिये निर्वाचक-नामावलियां	११४४
१०७३	काम न आने वाली जीपों की बिक्री . .	११४४
१०७४	वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकक द्वारा उपक्रमों की जांच .	११४५
१०७५	सरकारी कर्मचारियों की कर्तव्य भावना . .	११४५
१०७६	नीलकण्ठ अभियान	११४५–४६
१०७७	चारबतिया (उड़ीसा) में प्रतिरक्षा मंत्रालय की इमारतें .	११४६
१०७८	पंजाब उच्चन्यायालय . . .	११४६
१०७९	दिल्ली के लिये इंजीनियरिंग कालिज .	११४६–४७
१०८०	केरल के लिये लोहा तथा इस्पात . .	११४७
१०८१	बस्तर में लौह अयस्क	११४७–४८
१०८२	करनाटक हत्याकाण्ड का मामला . .	११४८
१०८३	कुतुबमीनार में शव . .	११४८–४९
१०८४	केरल में पोलीटैक्नीक . . .	११४९
१०८५	वेल्स के तट के निकट गुम भारतीय विमान चालक .	११५०
१०८६	कांगों में भारतीय के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ का पदक .	११४९
१०८७	उत्पादन शुल्क अधिकारियों का सम्मेलन .	११५०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०८८	बोलानी ओर्स लमिटेड	११५०–५१
१०८९	उड़ीसा के प्राचीन स्मारक	११५१
१०९०	भुवनेश्वर राज्य संग्रहालय	११५१–५२
१०९१	प्लास्टिक की वस्तुओं की जब्ती	११५२
१०९२	कर्मचारियों के लिये पेन्शन लाभ	११५२
१०९३	दिल्ली के देहाती क्षेत्रों की अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर	११५३
१०९४	बाल कल्याण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संघ .	११५४
१०९५	सीमा क्षेत्रों में सैनिक प्रशिक्षण	११५४–५५
१०९६	उड़ीसा में विज्ञान क्लब . .	११५५
१०९७	उत्कल विश्वविद्यालय में फिल्म क्लब	११५५
१०९८	पेन्शन के मामलों का निबटाना .	११५६
१०९९	वायु सैनिकों को हिन्दी का प्रशिक्षण	११५६
११०१	अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षण परिषद् .	११५६–५७
११०२	लेखापरीक्षा विभाग .	११५८
११०३	समुद्र के रास्ते संभरित कोयले का मूल्य	११५८
११०४	भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय	११५८
११०५	केरल राज्य विधान सभा .	११५८–५९
११०६	उच्चन्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश . .	११५९
११०७	जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों के दावे	११५९–६०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		११६०–६१

श्री स० मो० बनर्जी ने विशाखापटनम् स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र		११६१–६३
(१)	मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की १०, ११ और १२ अगस्त, १९६१ को हुई बैठक द्वारा निकाले गये वक्तव्य की एक प्रति ।	

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २७ मई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७०८ ।

(ख) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८६३ ।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६३ की एक प्रति ।

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८३७ ।

(ख) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८३८ ।

(ग) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८४० ।

(घ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८७२ ।

(ङ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८७४ ।

(च) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८७५ ।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७२ की एक प्रति, जिस में दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८८ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख—की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक एक प्रतिः—

(क) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८३५ ।

(ख) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८३६ ।

(ग) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८६८ ।

(घ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८६९

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--क्रमशः

(७) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८९९ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) तीसरा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६१-६२ के बारे में विवरण . ११६३

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने वर्ष १९६१-६२ के लिये बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनपूरक मांगों के बारे में एक विवरण पेश किया ।

समिति के लिये निर्वाचन ११६३-६४

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्यों में से एक और सदस्य भारतीय विज्ञान संस्था परिषद् बंगलौर का सदस्य चुना जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--स्वीकृत . . . ११६४

पैंसठवां प्रतिवेदन संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

विधेयक--पारित ११६५--८२

प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू ने संविधान प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय । सभा में मतविभाजन हुआ । पक्ष में ३३९, विपक्ष में कोई नहीं, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । इसी प्रकार खंड २ और ३ मतविभाजन द्वारा स्वीकृत हुए, पक्ष में ३३९, विपक्ष में कोई नहीं । खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम सामान्य बहुमत से स्वीकृत हुए । विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर सभा में मतविभाजन हुआ, पक्ष में ३४३, विपक्ष में कोई नहीं । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया . ११८२-९३

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री म० ला० द्विवेदी ने उस पर एक संशोधन रखा । श्री हजरनवीस ने विवाद का उत्तर दिया । श्री म० ला० द्विवेदी का संशोधन स्वीकृत हुआ । विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

बुधवार, १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—1025 (Ai) LS—12-9-61—125